₹ 20

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

क्रान्ति

मई 2013



- सार्थक-सफल जीवन की खोज
  —मौलाना मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ाँ
- हर कोई निकला अपने शिकार में
  —डॉ० मुहम्मद अहमद
- नया प्रिजन एक्ट ठण्डे बस्ते में !
  —विद्या प्रकाश
- ग़रीबी उन्मूलन और ज़कात
  —डॉ० एम० ए० रशीद

جامعۃ البنات

(بنات فائونڈیشن ٹرسٹ رجسٹرڈ)



بنات پرائمری اسکول

بنات سکنڈری اسکول

بنات عربک کالج



اپنا چیک یا ڈرافٹ

اس نام سے روانہ کریں

Jamiatul Banat,
Khandail

Address :

Secretary Jamiatul Banat
Khandail, Gaya-824237
(Bihar)

اپیل

مخیّر احباب سے گذارش ہے کہ بنات کی مذکورہ بالا فوری ضروریات کی تکمیل کے لیے بڑھ چڑھ کر مالی تعاون سے نوازیں۔

جامعۃ البنات

کھنڈیل، چیرکی، گیا (بہار) 824237

صدر : نصیر الدین خاں (گیا)　　سکریٹری : پروفیسر زیارت حسین خاں (گیا)　　خازن : پروفیسر محمد بدیع الزماں (گیا)

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

वर्ष 22 अंक 11 मई 2013

जिसने किसी व्यक्ति को किसी के ख़ून का बदला लेने या धरती में फ़साद फैलाने के अतिरिक्त किसी और कारण से मार डाला तो मानो उसने सारे ही इन्सानों की हत्या कर डाली। और जिसने उसे जीवन प्रदान किया, उसने मानो सारे इन्सानों को जीवन दान किया। –क़ुरआन

संपादक

डॉ० मुहम्मद अहमद

अपने विचार, लेख, रचनाएं भेजने एवं संपादकीय मामलों के लिए लिखें–

संपादक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल editorkanti@yahoo.com

* * *

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए लिखें–

प्रबंधक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

* * *

फ़ोन संपादकीय एवं प्रबंधकीय

09818799223, 011-26949430

सहयोग राशि

एक प्रति रु० 20/- विशेषांक रु० 30/-

वार्षिक रु० 220/-, दो वर्ष 425/-

पांच वर्ष 1000/-, आजीवन रु० 5000/-

सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से–100 रियाल

यूरोप व अमेरिका से–35 US डॉलर

वेब : **www.kanti.in**

चेक / ड्राफ्ट **'मासिक कान्ति'** के नाम से बनवाएं

मुक्तक

जो अंगारों वाली धरती पर बीज सृजन के बोता है
जो मानवता की छाती के शोषण-कलंक को धोता है,
जो रक्त बना स्याही मानवता का दर्द लिखा करता
सदियां उसकी होती हैं इतिहास उसी का होता है ।

जिस दिन छल का आवरण उतर जाएगा
तन का मन का व्याकरण संवर जाएगा,
उस दिन तू बन जाएगा सच्चा मानव
जिस दिन तेरा आचरण सुधर जाएगा ।

नागफनी के जंगल से संग्राम करें
मूल्यों का मोहक उपवन अभिराम करें,
जिसे पीढ़ियों की पीढ़ियां कहें, गाएं
इस जीवन में कुछ तो ऐसा काम करें ।

पतित पाप के प्रासादों पर ताला हो
भ्रष्ट आचरण को अब देश निकाला हो,
जाति, वर्ग और वर्णों का विद्वेष मिटे
समता का भारत में दिव्य उजाला हो ।

आज ही क्यों नहीं क्यों भला कल चलें
बांसुरी में नये स्वर बनें ढल चलें,
प्यास के होंठ पर तृप्ति रखते हुए
हम नदी की तरह बांटते जल चलें ।

निष्क्रियता और विराग गया
सोया था पौरुष जाग गया,
जिस दिन हमने डरना छोड़ा
डर हम से डरकर भाग गया ।

डॉ० रामसनेही लाल शर्मा 'यायावर'

86, तिलकनगर, बाईपास रोड,

फ़ीरोज़ाबाद-283203 (उ०प्र०)



कहां क्या है ?

मुक्तक	–डॉ॰ रामसनेही लाल शर्मा 'यायावर'	3
कुरआन ज्योति		5
अल्लाह की प्रशंसा और उसके प्रति कृतज्ञता (हदीस मंजरी)		6
कन्या भ्रूण-हत्या : मानसिकता में बदलाव की ज़रूरत (संपादकीय)		7
परमार्थ ही जीवन का सार्थक उद्देश्य (आपके पत्र)		9
दोहे	–रोहित यादव	11
अनुपम जीवन (जीवन आदर्श)	–संकलित	13
सार्थक सफल जीवन की खोज (प्रेरणा)	–मौलाना मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ां	17
महमूद व अयाज़ (कहानी)	–डॉ॰ सलीम ख़ान	18
नीम में असाधारण वनौषधि क्षमता (स्वास्थ्य चर्चा)	–आर॰पी॰ श्रीवास्तव	25
शीतला सिंह आयोग ने क्या कहा ? (विशेष आयोजन)		26-27
कैसे हो विधवाओं का उद्धार (विचारार्थ)	–गुलज़ार सहराई	35
हर कोई निकला अपने शिकार में (फेसबुक उवाच)	–डॉ॰ मुहम्मद अहमद	37
दलितों के कल्याण की राह (नज़रिया)	–हीरालाल कर्दम	39
संघर्ष (लघुकथा)	–मासूम अंसारी	41
ज़कात क्रा हिसाब (सवाल-जवाब)		42
ग़रीबी उन्मूलन में ज़कात का महत्वपूर्ण योगदान	–डॉ॰ एम॰ ए॰ रशीद	43
मेले में लड़की (साहित्यिकी)	–डॉ॰ मुहम्मद अहमद	47
नया प्रिज़न एक्ट ठंडे बस्ते में क़ैद	–विद्या प्रकाश	49
कोयल (कविता)	–रोहित यादव	50
मां की दुआएं (मुक्तक)	–डॉ॰ रामसनेही लाल शर्मा 'यायावर'	50

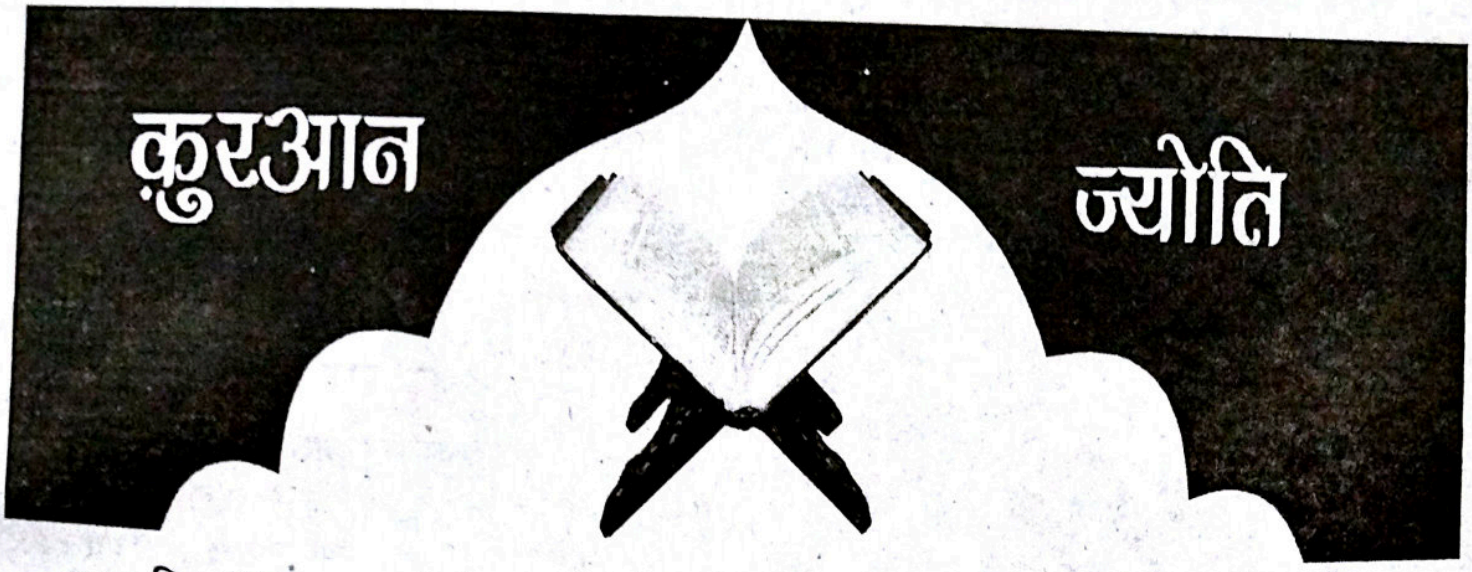

(28) फिर (तुम यह भी देख चुके हो कि) इस तरह सज़ा देने के बाद अल्लाह जिसको चाहता है, तौबा की तौफ़ीक़ भी प्रदान करता है।[24] अल्लाह क्षमा करने वाला और दयाशील है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, मुशरिकीन नापाक हैं, इसलिए इस सबके बाद ये मस्जिदे हराम के क़रीब न फ़टकने पाएं[25], और अगर तुम्हें तंगदस्ती का डर है तो असंभव नहीं कि अल्लाह चाहे तो तुम्हें अपनी मेहरबानी से मालामाल कर दे। अल्लाह जानने वाला और तत्वदर्शी है।

–क़ुरआन, 9 : 28

24. हुनैन की लड़ाई में विजय प्राप्त करने के बाद नबी (सल्ल०) ने पराजित शत्रुओं के साथ जिस उदारता और शालीनता का व्यवहार किया, उसका फल यह निकला कि उनमें से अधिकतर लोग मुसलमान हो गये। इस उदाहरण से मुसलमानों को यह बताना अभिप्रेत है कि तुमने यही क्यों समझ रखा है कि बस अब अरब के सारे मुशरिक नष्ट-विनष्ट कर डाले जाएंगे। नहीं, पहले के अनुभवों को देखते हुए तो तुमको यह आशा होनी चाहिए कि जब अज्ञानतापूर्ण व्यवस्था के विकास और अस्तित्व की कोई आशा उन लोगों को बाक़ी न रहेगी और वे सहारे समाप्त हो जाएंगे, जिनके कारण ये अब तक अज्ञानता से चिमटे हुए हैं, तो स्वत: ये इस्लाम की रहमत के दामन में पनाह लेने के लिए आ जाएंगे।

25. अर्थात आगे के लिए उनका हज और उनकी ज़ियारत ही बन्द नहीं, बल्कि मस्जिदे हराम (प्रतिष्ठित मस्जिद) की सीमाओं में उनका प्रवेश भी बन्द है, ताकि शिर्क और जाहिलियत (अज्ञानता) के दोहराए जाने की कोई संभावना ही बाक़ी न रहे। 'नापाक' होने से तात्पर्य यह नहीं है कि वे अपने आप में नापाक हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि उनके विश्वास व आस्थाएं, उनके चरित्र, उनके कर्म और जीवन बिताने के उनके अज्ञानतापूर्ण तरीक़े नापाक हैं और इसी नापाकी के कारण हरम की सीमाओं में उनका प्रवेश बन्द कर दिया गया है। इमाम अबू हनीफ़ा (रह०) के निकट इससे तात्पर्य केवल यह है कि वे हज और उमरा और अज्ञानतापूर्ण रस्मों को अदा करने के लिए हरम की सीमाओं में नहीं जा सकते। इमाम शाफ़ई (रह०) के नज़दीक इस आदेश का उद्देश्य यह है कि वे मस्जिदे हराम में जा ही नहीं सकते और इमाम मालिक (रह०) यह राय रखते हैं कि केवल मस्जिदे हराम ही नहीं, बल्कि किसी मस्जिद में भी उनका प्रवेश करना सही नहीं। लेकिन यह आख़िरी राय सही नहीं है, क्योंकि नबी (सल्ल०) ने स्वयं मस्जिदे नबवी में उन लोगों को आने की अनुमति दी थी।

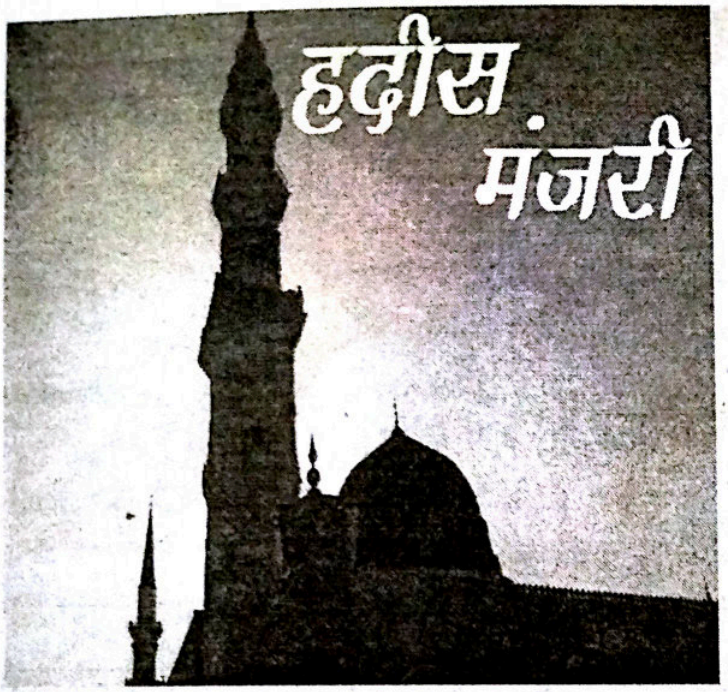

अल्लाह की प्रशंसा और उसके प्रति कृतज्ञता

● हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "कोई महान और महत्वपूर्ण कार्य जिसका आरंभ 'अलहम्दुलिल्लाह' (सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है) से न हो वह अपूर्ण है ।"

–अबू दाऊद आदि । यह हदीस 'हसन' है ।

● हज़रत अबू मूसा (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "जब किसी बन्दे का बेटा मर जाता है, तो अल्लाह तआला फ़रिश्तों से पूछता है : तुमने मेरे बन्दे के बच्चे की रूह ग्रस्त की ? फ़रिश्ते इसका उत्तर हां में देते हैं । अल्लाह कहता है : तुमने उसके दिल का फल तोड़ लिया ? फ़रिश्ते फिर इसका उत्तर हां में देते हैं । वह कहता है : इस पर मेरे बन्दे ने क्या कहा ? फ़रिश्ते कहते हैं कि तेरे बन्दे ने तेरी प्रशंसा की और 'अलहम्दुलिल्लाह' (सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है) कहा और 'इन्ना लिल्लाह व इन्ना अलैहि राजिऊन' (हम अल्लाह ही के हैं और निश्चय ही हमें अल्लाह की ओर पलटना है) पढ़ा । अल्लाह तआला कहता है : मेरे इस बन्दे के लिए जन्नत में एक घर बना दो और उसका नाम 'बैतुलहम्द' रखो ।"

–तिरमिज़ी । तिरमिज़ी ने कहा कि यह हदीस 'हसन' है ।

● हज़रत अनस (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "निश्चय ही अल्लाह उस बन्दे से राज़ी हो जाता है, जो खाना खाता है, तो उस पर अल्लाह की प्रशंसा करता है और कुछ पीता है, तो उस पर भी अल्लाह की प्रशंसा करता है । –मुस्लिम

अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) पर दरूद

● हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल-आस (रज़ि॰) से रिवायत है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) को यह कहते हुए सुना : "जो व्यक्ति मुझ पर एक बार दरूद (रहमत की दुआ) भेजता है अल्लाह उस पर दस बार दरूद भेजता है ।" –मुस्लिम

● हज़रत औस बिन औस (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "निश्चय ही तुम्हारे दिनों में सर्वश्रेष्ठ दिन जुमा का है । अत: उस दिन मुझ पर अधिकाधिक दरूद भेजा करो क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझे पेश किया जाता है ।" सहाबा ने कहा : ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰), हमारा दरूद आपको कैसे पेश किया जाएगा जबकि आपका शरीर मिट्टी में मिल चुका होगा । रावी कहते हैं कि उन्होंने (रावी) ने कहा : जबकि आपका शरीर गल चुका होगा । आपने कहा : "निश्चय ही अल्लाह ने नबियों के शरीरों को धरती पर हराम कर दिया है (अर्थात् नबियों का शरीर सुरक्षित रहता है)।"

–अबू दाऊद । अबू दाऊद ने इसे सहीह सनदों से रिवायत किया है ।

● हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "उसकी नाक धूल-धूसरित हो जिसके पास मेरा ज़िक्र किया जाए और वह मुझ पर दरूद न भेजे ।"

–तिरमिज़ी । तिरमिज़ी ने कहा कि यह हदीस 'हसन' है ।

('रियाज़ुस्सालिहीन' से)

इस्लाम-परिचय : हिन्दी वेबसाइटें

www.islamdharma.org
www.islamic videos.com
www.islamicwebdunia.com
www.quranhindi.com

कन्या भ्रूण-हत्या : मानसिकता में बदलाव की ज़रूरत

कन्या भ्रूण-हत्या की विकृत मानसिकता का वीभत्स प्रदर्शन जारी है । इन घटनाओं में आयी तेज़ी यह साबित करती है कि इन पर रोक की बातें एकदम झूठी हैं और जो लोग शिक्षा-प्रसार और चेतना जगने की बातें कहकर यह दावा करते हैं कि इन घटनाओं में कमी आ रही है । यह संवेदनशीलता दिखावे भर की है । देश भर में चार साल तक की लड़कियों की संख्या तीन साल में बहुत कम हो गयी है । वर्ष 2008 में जहां हज़ार लड़कों के मुक़ाबले 915 लड़कियां मौजूद थीं, अब महज 914 रह गयी हैं । देश के सबसे बड़े जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण के नतीजे लड़कियों के ख़िलाफ़ पैदा होने से लेकर परवरिश तक में होने वाले भेदभाव को लेकर हैरान करने वाली हक़ीक़त पेश कर रहे हैं । देश के ऐसे सबसे बड़े सर्वे के नतीजे बताते हैं कि देश में चार साल तक की लड़कियों का ताज़ा लिंगानुपात महज़ 914 है । यह वर्ष 2008 के अनुपात से तो एक अंक नीचे है ही, पिछले पांच साल में भी सबसे निचले स्तर पर है । भ्रूण-हत्या और लिंग भेद के ख़िलाफ़ सरकारी अभियानों को देखते हुए यह तथ्य बेहद हैरान करने वाला है । यह सच्चाई सामने आयी है भारत के महापंजियक की ओर से करवाये जाने वाले सालाना सर्वेक्षण एस॰आर॰एस॰ में । यह रिपोर्ट बताती है कि बीते दो साल के दौरान बेटी को लेकर लोगों की मानसिकता में रत्ती भर का भी सुधार नहीं हुआ । अब भी सालाना हज़ार लड़कों के मुक़ाबले महज़ 906 लड़कियां पैदा होने दी जा रही हैं । पिछले साल के मुक़ाबले यह 0.1 फ़ीसद का मामूली सुधार भले दिखायी दे मगर उससे भी एक साल पहले के हालत देखें तो यहां कोई सुधार नहीं दिखेगा । जन्म के समय लड़कियों के अनुपात के लिहाज से छत्तीसगढ़ 991 अंकों के साथ सबसे बेहतर स्थिति में है । जबकि पंजाब महज़ 841 लड़कियों के साथ सबसे पीछे है । गांव में लड़कियों की स्थिति थोड़ी बेहतर रही । शहरों के 900 के अनुपात के मुक़ाबले गांवों में यह 907 रहा । लड़कियों के प्रति हमारे देश में प्रचलित पुरुष-मानसिकता, पालन-पोषण और इलाज में भी लड़कियों के साथ जमकर भेदभाव हो रहा है । यही कारण है कि चार साल तक की उम्र के बच्चों में लड़कियों की मौत लड़कों से ज़्यादा हो रही है । जहां 11.5 फ़ीसद बालक चार साल के होने से पहले ही दम तोड़ देते हैं, बालिकाओं में यह औसत 13 फ़ीसद है । छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया जाए तो सभी बड़े राज्यों में लड़कों के मुक़ाबले लड़कियों की मृत्यु दर ज़्यादा है । स्थिति इतनी भयावह है कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले में स्थित एक अस्पताल में एक दंपत्ति ने अपनी छह दिन की बेटी को इसलिए तीसरी मंज़िल से फेंक कर मार डाला, क्योंकि उन्हें बेटे की ख़्वाहिश थी । इसके कुछ ही दिन पहले राजधानी हैदराबाद में एक व्यक्ति ने बेटे की हसरत के चलते अपनी नवजात बच्ची को कुएं में फेंक दिया । यूं लड़के-लड़की में फ़र्क़ करने यानी बेटे को तरजीह देने की मानसिकता समाज में सदियों से रही है, पर अत्याधुनिक तकनीकी साधनों के इस ज़माने में इसने एक क्रूर शक्ल इख़्तियार कर ली है । बहुत-सी कन्याएं गर्भ में ही मार दी जाती हैं, कुछ जन्म लेने के बाद भी । जबकि जनगणना के आंकड़ों से लेकर तमाम अध्ययन बताते हैं कि देश में स्त्री-पुरुष अनुपात बेहद गड़बड़ा गया है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं की तादाद में गिरावट काफ़ी चिंताजनक स्तर पर आ गयी है । यूं कन्या भ्रूण-हत्या पर रोक लगाने के मक़सद से लिंग चयन निषेध अधिनियम, 1994 लागू है । मगर अमल की हक़ीकत यह है कि जिन लोगों

की पहुंच अल्ट्रासाउंड जैसी तकनीकों तक है, वे पहले ही चोरी-छिपे गर्भ में पल रहे भ्रूण के लिंग का पता लगा लेते हैं और बेटी होने पर उसे नष्ट करा देते हैं । आंध्र प्रदेश की ताज़ा घटनाएं भी जन्म के बाद भी बेटियों के सुरक्षित न होने की उदाहरण हैं ।

कन्या भ्रूण-हत्या के मामले में एक पहलू यह है कि गर्भवती महिला पर आमतौर पर उसके पति या परिवार वालों का दबाव होता है, जिसके सामने वह खुद को लाचार पाती है । इसलिए स्त्री-पुरुष अनुपात में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने पर गंभीरता के साथ विचार कर रही है । महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कन्या भ्रूण-हत्या के संबंधित परिवार को ज़िम्मेदार मानने की क़वायद शुरू कर दी है । साथ ही क़ानूनों को मज़बूत बनाया जा रहा है, लेकिन मनोवृत्ति में बदलाव के लिए प्रभावी पहल करने की ज़रूरत है, तभी सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं । इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पहल शुरू की है, क्योंकि इस सिलसिले में उसके विभिन्न समयों में दिये गये विभिन्न निर्देश एवं उपाय प्रभावहीन साबित हुए हैं । सरकारी आंकड़ों के मुताबिक़, हमारे देश में हर साल लगभग पांच लाख कन्या-भ्रूण-हत्याएं होती हैं, जिन्हें अंजाम देते हैं अधिकतर पढ़े-लिखे मध्यम वर्ग के लोग ! पंजाब और हरियाणा के लोग इस अपकर्म में सबसे आगे हैं । इन्हीं राज्यों में अस्सी फ़ीसद से अधिक गर्भपात होते हैं । अब बड़ी मुश्किल से देश भर में सौ डॉक्टरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की बात चल रही है, जिनमें से 28 हरियाणा के हैं । सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों की अपनी टिप्पणी में लोगों को नसीहत की है और इस सिलसिले में वेद, उपनिषद और स्मृतियों के कई हवाले दिये हैं । कोर्ट ने राज्यों को इन हत्याओं पर रोक लगाने के लिए प्रभावी क़दम उठाने का निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले में राज्यों ने जो आंकड़े दिये हैं, वे बेहद चिंताजनक हैं और ऐसा लगता है कि लोगों को क़ानून का डर नहीं है । पीठ के जज श्री के०एस० राधाकृष्णन और श्री दीपक मिश्रा ने कहा कि इस संबंध में बने क़ानून के क्रियान्वयन न होने की वजह से महिला-पुरुष का अनुपात बिगड़ गया है । कोर्ट ने कहा कि धार्मिक ग्रंथों, वेदों, स्मृतियों, उपनिषदों और लोकोक्तियों में महिलाओं का सम्मान करने व धार्मिक अनुष्ठानों में उनका स्थान नियत किया गया है । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) से पूर्व अरब में महिलाओं की हालत बहुत ख़राब थी । उन्हें कोई अधिकार प्राप्त न था । विरासत में किसी तरह का हिस्सा न था । पैदा होते ही लड़कियों की हत्या, बलात्कार और दुराचार सामान्य बात बन चुकी थी । कुमार्गगमन और बेहयाई आम थी । महिला-शोषण की इन्तिहा थी । पुरुष जितनी चाहता शादियां कर लेता, यहां तक कि सौतेली मां को भी अपनी पत्नी बना लेता । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने इस महिला-विरोधी गंदी मानसिकता को पूरी तरह स्वस्थ-सकारात्मक मानसिकता में बदल दिया । महिलाओं को उनके स्वाभाविक अधिकार दिये एवं आदर-सम्मान प्रदान किया । आपने लड़कियों के अच्छी तरह लालन-पालन की शिक्षा और प्रेरणा दी । उनकी हत्या पर रोक लगा दी । समाज को भ्रूण-हत्या जैसी लानत से मुक्त किया । इस्लाम लड़कों को लड़कियों पर प्राथमिकता नहीं देता । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने कहा, "जिस व्यक्ति के लड़की हो वह न तो ज़िन्दा गाड़े, न उसके साथ उपेक्षा का व्यवहार करे, न उस पर अपने लड़के ही को प्राथमिकता दे, तो अल्लाह उसे जन्नत में दाख़िल करेगा" (अबू दाऊद)। एक और हदीस में है-"जिसने तीन लड़कियों की परवरिश की, उनकी शिक्षा-दीक्षा का प्रबंध किया, उनका विवाह किया और उनके साथ बाद में भी सद्व्यवहार किया, तो उसके लिए जन्नत है" (अबू दाऊद) इस सिलसिले में इस्लाम की और भी शिक्षाएं हैं, जो महिला-सम्मान के लिए उभारती हैं ।

परमार्थ ही जीवन का सार्थक उद्देश्य

मानव जीवन को उत्तम गुणों से समावेश करना ही उज्ज्वल चरित्र के निर्माण की प्रमुख भूमिका है । वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मानव महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए तत्पर हो जाता है, उचित-अनुचित का विचार छोड़कर जैसे भी बने, वैसे अपना स्वार्थ सिद्ध करने की नीति जब अपनायी जाने लगती है, तो मनुष्य का व्यक्तित्व असुरता से परिपूर्ण हो जाता है । जहां राक्षसी भावना में वृद्धि होगी वहां सुख-शांति का ठहर सकना संभव नहीं होगा ।

सच्चा विद्यार्थी जीवन ही मानव के चरंत्रि को ऊंचा उठाने में सहायक होता है । हमारे देश में चारों तरफ़ अपराधों, अभावों, चिंताओं और समस्याओं का घटाटेप दिखायी पड़ता है । इसका प्रमुख कारण मानव जीवन में बढ़ रही संकुचित भावना, स्वार्थपरता व चरित्रहीनता है । यदि हम दुनिया के इतिहास के पन्नों को उलटकर देखें तो यह पता चलेगा कि जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उनमें किसी भी प्रकार के अहंकार, क्रोध, मोह, स्वार्थ आदि की कलुषित भावनाएं नहीं थीं । व्यक्ति स्वयं तो पाप करता ही है साथ ही दूसरों को भी अपने साथ पाप में ले डूबता है । आज कोई भी व्यक्ति ईमानदारी, निस्वार्थ भावना से कार्य नहीं करना चाहता है । सब जगह मुनाफ़ाख़ोरी, रिश्वत व घोटाला करने की प्रवृत्ति जारी है । इसी कारण से हमारे देश की प्रगति अवरुद्ध बनी पड़ी है ।

यह जानते हुए भी कि हम हाड़-मांस के पुतले हैं । कुछ ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि निस्स्वार्थ भावना से जीवन भर कार्य करते हैं । उच्च भावनाओं के आधार पर वह श्रेष्ठ व्यक्ति भविष्य में बन जाता है परन्तु अधिकांश व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऐसे घिनौने कार्य करता है, वह स्वयं का नहीं समाज व राष्ट्र का अनुचित बोझ बन जाता है । जिससे देश की प्रगति का ह्रास होता है । यदि हमें आत्म-कल्याण के लक्ष्य की पूर्ति करनी है तो हमें सत्प्रवृत्तियों को अपनाना होगा । कुकर्मों और कुप्रवृत्तियों में डूबे हुए लोग चाहे कितना ही धार्मिक कर्म कांड क्यों न करते रहें, कितना भजन-पूजन कर लें, उन्हें परमेश्वर के दरबार में प्रवेश न मिल सकेगा । इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपनी संकुचित भावना को बिल्कुल त्याग दें और यह शपथ लें कि भविष्य में जो भी कार्य करेंगे वह निस्स्वार्थ भावना से ही, उसमें किसी भी प्रकार का अहंकार, क्रोध, लोभ आदि का समावेश होगा ही नहीं । व्यक्तिगत संकीर्णता को छोड़ना होगा । अपने में परमार्थ की भावना उत्पन्न करनी पड़ेगी । तभी समाज व देश ऊंचा उठ सकेगा ।

रामस्वरूप झैवर
शास्त्रीनगर, माहेश्वरी सभा, भीलवाड़ा

'कान्ति' ने दिलों में जगह बनायी

खुशी की बात है 'कान्ति' मासिक ने हिन्दी साहित्यकारों, समालोचकों के दिलों में जगह बनायी है । अमन, चैन, प्यार बना रहे यही अवाम के दिलों की धड़कनें हैं ।

'कान्ति' का अक्तूबर 2012 का अंक तसल्ली से पढ़ सकी हूं । यह एहसास वाक़ई क़ाबिले तारीफ़ है कि हम वक़्त में उन अल्फ़ाज़ को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, जो हमारे दिलों के सुकूं हर लें ।

दावत ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब उमरी जी सही फ़रमाते हैं कि 'हमारा देश इस समय विभिन्न समस्याओं और विसंगतियों से दोचार है । इनके निदान के लिए वास्तविक मूल्यों, मान्यताओं और उच्चादर्शों को अपनाना ज़रूरी है । (सन्देश) पृष्ठ-3 पर हमारा मानना है कि हम प्यार और सिर्फ़ प्यार करें तो खुद-ब-खुद काफ़ी परेशानियां दूर हो जाएंगी ।

डॉ॰ अपर्णा चतुर्वेदी 'प्रीता'
ए-511, सिद्धार्थ नगर, जवाहर सर्किल गार्डन के पास,
जे॰एल॰एन॰ मार्ग, जयपुर-302017-11 (राजस्थान)

परपीड़ी का अनुभव

एक बार एक बालक को पीटा जा रहा था । उसे देखकर एक दूसरे बालक ने पीटने वाले से कहा, उसे कब तक पीटते रहोगे । पीटने वाला नाराज़ होकर बोला, तुम्हें इससे क्या मतलब ? बालक ने कहा, मुझ से इसकी पीड़ा देखी नहीं जा रही है । तुम्हें इसे जितने कोड़े लगाने हैं उसमें से आधे मुझे लगा दो । कोड़े लगाने वाले को शर्म आयी और उसने बालक को छोड़ दिया । यही बालक आगे चलकर

अंग्रेज़ी का विख्यात कवि लार्ड बायरन बना । दूसरे के दुख को अपना दुख समझ कर उसमें हिस्सेदारी करना बड़े परोपकार की बात है ।

इस्लाम में भी दूसरे के दुख-दर्द को अपना दुख समझने की शिक्षा दी गयी है । दीन-दुखियों तक पहुंचकर उसकी पीड़ा अपने सामर्थ्य भर दूर करने की प्रेरणा दी गयी है । पड़ोसी का ख़याल रखने को कहा गया है । अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने कहा है कि "वह आदमी ईमान वाला नहीं हो सकता जो खुद तो पेट भर कर खाये और उसका पड़ोसी भूखा सोये ।"

क्या ही अच्छा हो विश्व में इस्लाम के इन नियमों का पालन हो । प्रत्येक मनुष्य अपना कर्म समझे तो संसार में कोई भी ग़रीब नहीं रह सकता । आज संसार में इसी बात की कमी देखी जा रही है और यही कारण है कि द्वेष बढ़ते जा रहे हैं ।

घेवरचन्द गोदीका
639, सिरमोर हाउस, किशनपोल बाज़ार,
जयपुर-302003

बंगलादेश में अन्याय

इस्लाम का अर्थ है शांति और ईश्वर की आज्ञा का पालन । जमाअत इस्लामी हिन्द शांति, प्रेम, भाईचारा, मानवता और एक ईश्वर की बन्दगी और उसकी आज्ञापालन का निमंत्रण देती है । यह जमाअत आतंकवाद, साम्प्रदायिकता, नक्सलवाद, अलगाववाद, हिंसा, नफ़रत आदि के विरुद्ध है । इसका 65 वर्ष का रिकार्ड इसका सबूत है ।

जमाअत की ओर से इस्लामी लिट्रेचर हिन्दी, अंग्रेज़ी सहित देश की सभी बड़ी भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है । देश की कई भाषाओं में जमाअत की पत्र-पत्रिकाएं भी प्रकाशित होती हैं । समाज सेवा के क्षेत्र में भी जमाअत इस्लामी हिन्द का बहुत काम है । जमाअत की ओर से अन्य धर्मावलंबियों को भी अपने सम्मेलनों में बुलाया जाता है । 1945 ई० में जमाअत के पटना अधिवेशन में गांधी जी भी सम्मिलित हुए थे । दिल्ली आकर उन्होंने जमाअत इस्लामी हिन्द की बड़ी तारीफ़ की थी ।

1947 ई० में देश के विभाजन के साथ मुस्लिम लीग, जमीअत उलमा, कम्युनिस्ट पार्टी आदि की तरह जमाअत इस्लामी का भी विभाजन हो गया । भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश और जम्मू एवं कश्मीर की जमाअत इस्लामी एक दूसरे से एकदम अलग हो गयी । इनका आपस में कोई संबंध नहीं रह गया । इनका नेतृत्व, इनके संविधान और पॉलिसी प्रोग्राम सब एक दूसरे से अलग हो गये ।

बंगलादेश की शेख़ हसीना की अवामी लीग सरकार ने 42 वर्ष बाद बंगलादेश की जमाअत इस्लामी के 3 बुज़ुर्ग लीडरों पर मुक़दमा चलाकर उन्हें मौत की सज़ा सुनायी है । इस सज़ा की एमनेस्टी इंटरनेशनल और विश्व के दूसरे बहुत से मानवाधिकार संगठनों ने निंदा की है । ख़ालिदा ज़िया की बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी और बंगलादेश की जमाअत इस्लामी ने अन्याय के विरुद्ध बंगलादेश में बन्द का आयोजन किया । अन्य छोटी-बड़ी पार्टियों और छात्र संगठनों ने भी उनका साथ दिया । हसीना की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है । अगले चुनाव में उसकी पराजय निश्चित है । ऐसे में हमारे राष्ट्रपति का बंगलादेश जाकर शेख़ हसीना का समर्थन करना देश हित में नहीं है ।

हसनैन कैफ़
भंडारा; महाराष्ट्र

बढ़ती महंगाई

'कान्ति' मासिक का नवीन अंक मार्च 2013 पढ़ा । पत्रिका में प्रकाशित दो व्यंग्य क्षणिकाएं 'नेताजी' और

मुनअम पब्लिक स्कूल
(सी०बी०एस०ई०, दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त, 10+2, इंग्लिश मिडियम विद्यालय)
महाराजगंज, पो० दादपुर, जिला हजारीबाग, झारखण्ड।
नामांकण सूचना


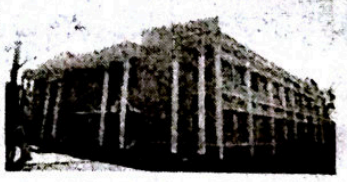

हजारीबाग के प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपुर पहाडी क्षेत्र में स्थापित, विशाल कैम्पस में फैला एक अति-आधूनिक शैक्षणिक संस्था जहां छात्र-छात्राओं के लिए गार्डन स्कूल की तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं।

सफलता का सत्रहवां साल - मुस्लिम लडकीयों के लिए नायाब तोहफा

लडकीयों के लिए 100 बेड का शानदार हॉस्टल

सत्र 2013-2014 के लिए छात्रावास में रह कर शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्र-छात्राएं 150/- रू० अदा कर के फार्म एंव प्रास्पेक्टस स्कूल काउंटर से प्राप्त करें या 175/- रू० का ड्राफ्ट भेज कर डाक से भी प्राप्त किया जा सकता है। विशेष जानकारी हेतु सम्पर्क करें -
मो० 09431530878, Website : munammission.org
E-mail-munam_school2000edu@yahoo.com

एस०एम० बईग
डायरेक्टर
एम०ए०, बी०एड

नकील अहमद
प्रिन्सिपल
बी०एस०सी०, बी०एड

'धोखा'–अभिराम सत्यज्ञ जयशील पसन्द आयीं । विशेष आयोजन में ''बीमारियों की जननी है शराब'' ज्ञानवर्द्धक लेख है । अन्य रचनाएं भी अच्छी हैं ।

महंगाई निरंतर बड़ी होकर जनता को निगलने के लिए आगे बढ़ रही है । हर वस्तु महंगी हो रही है । साल में कितनी ही बार पेट्रोल व डीज़ल की क़ीमतें बढ़ी हैं । रेल किराया, माल किराया सब बढ़ा दिया गया है । दाल, चावल, चाय, तेल सब महंगे होते जा रहे हैं ।

'कान्ति' का महंगाई पर एक विशेषांक निकाला जाए ताकि जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंच सके ।

यशपाल जैन आदर्श

494/5, राजापार्क, जयपुर

शुभ कामनाएं

'कान्ति' का फ़रवरी 2012 अंक पढ़ा । भानुदत्त त्रिपाठी की कविता अच्छी लगी । परमार्थ के अतिरिक्त मानव जीवन का अन्य कोई भी उद्देश्य व्यर्थ है ।

अन्य रचनाएं भी पठनीय रहीं । 'कान्ति' के माध्यम से जग जीवन में आप सात्विक आलोक फैला रहे हैं । यह एक नेक व उच्च सदाशयता वाला कार्य है । आप अपनी पूरी टीम के साथ इस प्रकार ही लगे रहें ।

आपकी पत्रिका प्रत्येक व्यक्ति को नेकी और भलाई के पथ पर चलने की प्रेरणा देती है । व्यक्ति के मार्गदर्शन के अतिरिक्त जीवन की वास्तविकता से भी परिचित कराती है । इसके अंतर्गत आप जिस भांति निष्पक्ष नैतिक व सुसमृद्ध सामग्रियां प्रकाशित करते हैं, यह प्रशंसनीय है । अल्पसंख्यकों, दलितों व तिरस्कृत लोगों की समस्याओं को सही परिप्रेक्ष्य में उठाना आपका मिशन है । मार्च अंक में प्रकाशित आलेख ''ग्राहक अपने अधिक़ार को पहचानें'' उपयोगी तथा सटीक है ।

अभिराम सत्यज्ञ जयशील

हथुआ, बिहार

सभ्यता की रक्षा ज़रूरी

हमारा विशाल भारत, धर्मनिरपेक्ष देश है । उसकी सभ्य संस्कृति को सम्मानजनक स्तर तक पहुंचाने में हमारे पूर्वजों एवं बुज़ुर्गों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है । किसी न किसी प्रकार से उसके अंश आज तक जीवित हैं । किन्तु जब से प्रश्चिमी सभ्यता ने इस देश में प्रवेश किया तब से रहन-सहन, खानपान, पालन-पोषण जैसी अनेकों संस्कृतियां प्रभावित हुईं । विवाह संबंध एवं अनेकों परिवार टूटे, बुज़ुर्गों का अपमान हुआ, उनकी अनदेखी की जाने लगी । खान-पान को लोगों ने खड़े होकर ग्रहण करना आरंभ किया । अर्धनग्न परिधानों ने अश्लीलताएं फैलायीं और महिलाओं के प्रति सम्मान, यौन आकर्षण में बदला जाने लगा । वैवाहिक संबंधों के विपरीत अवैध यौन एवं प्रेम संबंधों ने जगह ली । समाज ने उसे बुरा माना । इसी कारण बदनामी के डर से ऐसे लोग कहीं दूर भागने लग जाते हैं या फिर आत्महत्याएं करने पर विवश होते हैं । चाहे उन्होंने उन संबंधों को सहमति से ही क्यों न बनाया हो । अत: इस संबंध में राज्यों एवं केन्द्र शासन को हमारी संस्कृतियों एवं सभ्यताओं के रक्षार्थ इन मुद्दों पर अवश्य ही विचार करना चाहिए ताकि हमारे देश की संस्कृति और सभ्यताएं जीवित एवं सम्मानीय रिश्तों वाली रह सकें ।

मलिक

नागपुर

दोहे

कौन उछल कर आ गया, कौन गया है कूद ।
नेताओं का रह गया, केवल यही वजूद ।।
पागल हुए चुनाव में, भाषण करें फ़िज़ूल ।
न विकास की बात है, न ही कोई उसूल ।।
आये गुंडे, माफ़िया, राजनीति के द्वार ।
राज़नीति इनके लिए, हो गयी हरिद्वार ।।
सभी दलों की सोच में, मारे आज सड़ांध ।
गठबंधन का बन गया, राजनीति में बांध ।।
नारे-वादे सब सुने, सुन-सुन हुई थकान ।
रोज़गार सब को मिल, तभी करें मतदान ।।
कालचक्र रुकता नहीं, रहता है गतिशील ।
चलता इसके साथ जो, बनता पत्थर मील ।।
अब सांसारिक काम का, आकर्षण दे छोड़ ।
मानव का जीवन मिला, धर्म-कर्म से जोड़ ।।
प्रश्न और आलोचना, न पशुओं का कार ।
ये तो मानव मित्र हैं, कुदरत का उपहार ।।
कौन शत्रु 'औ' मित्र है, पशुओं को पहचान ।
कुदरत ने उनको दिया, यही अनूठा ज्ञान ।।

● **रोहित यादव**

بسم اللہ الرحمن الرحیم

"नेकी यह है कि
अल्लाह की मुहब्बत में
अपना दिलपसन्द माल
रिश्तेदारों और यतीमों पर,
मिस्कीनों और मुसाफ़िरों पर,
मदद के लिए हाथ फैलाने
वालों पर और ग़ुलामों की
रिहाई पर ख़र्च करे ।"

(कुरआन)

Ek Hamdard, Ranchi
(Jharkhand)

अनुपम जीवन

हिन्दी के प्रख्यात साहित्यकार सरदार पूर्णसिंह 'अध्यापक' साहित्यिक अभिव्यंजनों का प्रयोग करते हुए लिखते हैं–

"देखो, हिरा की कन्दरा में एक अनाथ दुनिया से विरक्त एक अजीब नींद सोता है । जैसे गली में पड़े हुए पत्थर की ओर कोई ध्यान नहीं देता, वैसे ही आम आदमियों की तरह इस अनाथ को कोई न जानता था । एक उदार-हृदय, धन-सम्पन्न स्त्री की वह नौकरी करता है । उसकी सांसारिक प्रतिष्ठा सिर्फ़ एक मामूली गुलाम की-सी है, मगर कोई ऐसा दैवी कारण हुआ जिससे इस अनजान और बेपहचान की बारी आयी ! उसकी निद्रा खुली, संसार पर मानो हज़ारों बिजलियां गिरीं ! अरब के रेगिस्तान में बारूद की तरह आग लग गयी । इस वीर की आंखों की ज्वाला इन्द्रप्रस्थ से लेकर स्पेन तक प्रज्वलित हुई । उस अज्ञात और गुप्त हिरा की कन्दरा में सोने वाले ने एक आवाज़ दी । कुल पृथ्वी भय से कांपने लगी । हां, जब पैग़म्बर मुहम्मद ने 'अल्लाहु अकबर' का गीत गाया, तब कुल संसार चुप हो गया और कुछ देर बाद प्रकृति उसकी आवाज़ की गूंज को सब दिशाओं में उड़ा ले चली । पक्षी अल्लाहु गाने लगे और मुहम्मद के पैग़ाम को इधर-उधर ले उड़े । पर्वत उनकी वाणी को सुन का पिघल पड़े और नदियां 'अल्लाहु-अल्लाहु' का अलाप करती हुई पर्वतों से निकल पड़ीं । जो लोग उनके सामने आये वे इसके दास बन गये । चन्द्र और सूर्य ने बारी-बारी से उठकर सलाम किया । इस वीर का बल देखिये कि सदियों बाद भी संसार के लोगों का बहुत-सा हिस्सा उसके पवित्र नाम पर जीता है और अपने छोटे से जीवन को अंत तुच्छ समझकर अनदेखे, अनजाने, केवल सुने-सुनाये नाम पर क़ुरबान कर देने को अपने जीवन का सबसे उत्तम फल समझता है ।"

मेरी आंखें खुल गयीं

● प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बाबू मुकुटधारी प्रसाद ने हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के बारे में कहा–"आप लोगों को यह मालूम हो गया न हो, लेकिन सत्य यह है कि इस्लाम और मुहम्मद साहब के संबंध में मेरे विचार पहले उतने अच्छे नहीं थे, जैसा कि आप आज पाते हैं । मेरा दिल उनकी ओर से द्वेष से भरा हुआ था और मुझे मुहम्मद साहब और उनके इस्लाम में कोई गुण दिखाई नहीं देता था । लेकिन जब असहयोग आन्दोलन में जेल गया और वहां आपकी जीवनी का अध्ययन किया तो मेरी आंखें खुल गयीं और मुझे मुहम्मद साहब के अपार गुणों का क़ायल हो जाना पड़ा और इसी कारण आज मैंने यह उच्च पद ग्रहण कर लिया है ।

अरब देश के इतिहास से स्पष्ट है कि मुहम्मद साहब के धर्म-प्रचार से पहले अरब समाज नितांत मूर्खता, बर्बरता, पथ-भ्रष्टता, मद्यपान और तरह-तरह के कुकर्मों में लिप्त था । लेकिन मुहम्मद साहब की शिक्षा का यह प्रभाव हुआ कि केवल 23 वर्ष के अल्प समय में इस मूर्ख और बर्बर देश की काया पलट गयी । आपकी शिक्षाएं अगणित हैं । किन्तु इनमें विशेष रूप से जो मुझे अत्यंत प्रिय हैं और जो हर आदमी के लिए लाभकारी और व्यवहार योग्य हैं, बयान करता हूं–

मैं सबसे पहले समता को लेता हूं । स्वामी हो या दास, धनी हो या निर्धन, गोरा हो या काला इस्लाम ने हर मुसलमान को बराबर का पद दिया है । मुहम्मद साहब की शिक्षा में पारिवारिक नीच-ऊंच के लिए कोई जगह नहीं है, बल्कि नाम और प्रतिष्ठा की कसौटी कर्म और केवल कर्म है ।

सज्जनो ! कहा जाता है कि 'इस्लाम तलवार के बल से फैला' । आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि मेरा भी यही विचार था । लेकिन वह कौन-सी तलवार थी ? क्या वह लोहे की तलवार थी ? नहीं, वह मुहम्मद साहब की यही अमूल्य सच्चरित्रता, क्षम्य-भाव, शुद्ध आचार-व्यवहार उनके महान गुण और उनकी क़ियामत तक न मिटने वाली आदर्श शिक्षाओं की चमकती दमकती तलवार थी, जिसने गर्दन काटने की जगह दिलों को एक धागे में जोड़ दिया । इस्लाम की लोकप्रियता और प्रसिद्धि के यही वे कारण हैं, अन्यथा कोई चीज़ जो बलपूर्वक और अत्याचार के आधार पर क़ायम

की जाती है, स्थायी और फलदायक नहीं होती । मुहम्मद साहब की अति उत्तम शिक्षा और सदाचार ही के यह चमत्कार हैं कि इस्लाम अब तक क़ायम है और मुझे यह स्वीकार करने में कुछ भी संकोच नहीं है कि मुहम्मद साहब का धर्म ही अपनी शिक्षाओं के आधार पर आज संसार में सबसे अधिक लोकप्रिय है ।''

–जगत महर्षि, पृ॰ 62-68

महानतम नेता

● श्री बी॰एन॰ साहनी, पूर्व संपादक 'हिन्दुस्तान टाइम्स' दिल्ली, अपने एक लेख, 'ग़लत मज़हबों का काफ़िर' में लिखते हैं–

''अपने-अपने युग में मुहम्मद (सल्ल॰), ईसा और बुद्ध जैसे महात्माओं के साथ उसी प्रकार का घृणा पूर्ण और तिरस्कारयुक्त व्यवहार किया गया जो अधर्मियों (यानी झूठे धर्म उपासकों) की ओर से सच्चे धर्म के प्रवर्तकों के लिए ख़ास है और हज़रत मुहम्मद को इसी प्रकार के धर्म का एक महान अग्रण्य नेता समझकर ही मैं इस बात पर मजबूर हुआ हूं कि उनका सम्मान करूं ।

यह आप ही का काम था कि अद्वितीय साहस और दृढ़ता के साथ जिसके कारण आप कई बार मौत के मुंह तक पहुंच गये । आपने उस काल के प्रचलित धर्म सिद्धांतों को तोड़ा और एक ऐसे धर्म की नींव रखी, जिसने उस काल की सभ्यता में भी महत्वपूर्ण क्रांति उत्पन्न कर दी और आगे चलकर इस दुनिया के विभिन्न भागों में बसने वाले करोड़ों मनुष्यों के लिए मार्ग प्रदीप का काम किया ।

इस सच्चाई से किसी को इन्कार नहीं हो सकता कि इस्लाम के प्रवर्तक का व्यक्तित्व जितना पवित्र और उत्तम था, उसमें उतनी ही आकर्षण शक्ति मौजूद थी और आप ऐसे दिल और ऐसे दिमाग़ के मालिक थे, जिसका उदाहरण आज तक इस दुनिया में बहुत कम पाया जाता है । इस पवित्रात्मा पैग़म्बर ने सदियों पहले अपने अनुयायियों के लिए जो जीवन व्यवस्था बनायी थी, उसमें दो बातें विशेष रूप से हर व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं । यह बात कितनी आश्चर्यजनक है कि लोकतंत्र के इस युग में भी हम सामाजिक और बौद्धिक समता के उस उच्च स्तर पर नहीं पहुंच सके हैं, जिसकी कल्पना इस महामहिम पैग़म्बर के मस्तिष्क में सदियों पहले आ चुकी थी और जिस पर दुनिया के मुसलमानों ने एक क़ौम की हैसियत से अपने दैनिक जीवन में आश्चर्यजनक निष्ठा के साथ अमल किया है ।

राजनीतिक लोकतंत्र में भी बहुत कुछ विशेषताएं हैं और यह वास्तविकता है कि हर ऐसा राजनीतिक विधान जो जनता के उस राज्य के स्थापित करने में पूर्ण स्वतंत्रता न दे जिसके अंतर्गत वह जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, निस्संदेह अन्यायपूर्ण और निरंकुश है । लेकिन केवल राजनीतिक लोकतंत्र से काम नहीं चला करता और लोकतंत्रात्मक जीवन प्रणाली की इससे पूर्ति नहीं होती । लोकतंत्र का वास्तविक रहस्य जिस चीज़ में निहित है, वह तो यह है कि मनुष्य की दृष्टि में दूसरे मनुष्य की प्रतिष्ठा कितनी है और एक समाज दूसरे समाज के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है ?

दुनिया के सारे धर्मों में केवल इस्लाम ही एक ऐसा धर्म है जो इस बात की घोषणा कर सका है कि उसे लोकतंत्र का सच्चा संदेश और सच्चा संदेशदाता (पैग़म्बर) मिला है ।

इस्लाम में सबसे अधिक वर्णनीय वे अधिकार हैं जो उसने स्त्रियों को दिये हैं । यह सत्य है कि जहां तक समाज में स्त्रियों की हैसियत और मर्दों के साथ मेलजोल रखने की स्वतंत्रता का सवाल है, दोनों धर्मों इस्लाम और ईसाइयत ने स्त्रियों को बहुत स्वतंत्रता दे रखी है, लेकिन विरासत (कोड), खुला (पत्नी की मांग पर पति से संबंध विच्छेद), जायदाद और मिल्कियत के वैधानिक अधिकारों के विषय में इस्लाम के संस्थापक और प्रवर्तक ने स्त्रियों को ऐसे स्वत्व प्रदान किये हैं, जिन्हें आज हर देश के धार्मिक अग्रगण्य अपनी स्त्रियों को देने के इच्छुक हैं ।''

–मासिक 'पेशवा' दिल्ली, जुलाई, 1931 ई॰

अनूठा व्यक्तित्व

● विश्व प्रसिद्ध अंग्रेज़ विद्वान माइकल एच॰ हार्ट ने विश्व के 100 महापुरुषों के जीवन पर 'द हंड्रेड' शीर्षक कालजयी कृति की रचना की है । इस पुस्तक में श्री हार्ट ने मुहम्मद (सल्ल॰) को प्रथम स्थान पर रखा है । श्री हार्ट ने मानव इतिहास तथा संपूर्ण विश्व पर महापुरुष विशेष के सर्वाधिक व्यक्तिगत प्रभाव को चयन का आधार माना है । उनके शब्दों में–

''विश्व के सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में मुहम्मद को प्रथम स्थान देने पर कुछ पाठक ताज्जुब कर सकते हैं और कुछ सवाल भी कर सकते हैं । परंतु मानव

इतिहास में वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, जो धार्मिकता और धर्मनिरपेक्षता दोनों स्तरों पर सर्वाधिक सफल हुए । ऊंचे घराने में जन्मे और पले-बढ़े मुहम्मद ने विश्व के सबसे बड़े धर्मों में से एक (इस्लाम) की स्थापना की तथा ऐसी हिकमत के साथ उसका प्रचार-प्रसार किया कि इसके आधार पर विश्व के सर्वाधिक प्रभावशाली राजनेता बन गये । उनके देहांत के तेरह सौ साल बाद भी आज उनका प्रभाव सर्वाधिक शक्तिशाली और व्यापक बना हुआ है ।''

(पृ॰ 33)

श्री हार्ट ने आगे कहा–''इसलिए हम देखते हैं कि मानव इतिहास में, सातवीं शताब्दी में, अरबों द्वारा जो विजय अभियान चलाया गया था, वह आज भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है । धर्मनिरपेक्षता और धार्मिकता के प्रभाव का अद्वितीय मणिकांचन संयोग, मेरे विचार में, मुहम्मद को मानव इतिहास का एकमात्र सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व बना देता है ।''

–पृ॰ 40

अद्वितीय दया और क्षमा-भाव

● स्वामी भवानी दयाल संन्यासी दक्षिण अफ़्रीक़ा के विख्यात भारतीय नेता और नेटाल इंडियन नेशनल के भूतपूर्व वाइस प्रेसीडेंट थे । एक बार पैग़म्बर जयंती के अवसर पर डेहरी (शाहाबाद) में आयोजित एक विराट सभा में सभापति की हैसियत से आपने जो भाषण दिया था, उसका कुछ अंश नीचे दिया जा रहा है–

''आज मुहम्मद साहब के अनुयायियों की संख्या दुनिया में बहुत है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि मुहम्मद साहब की सत्यतापूर्ण पुकार को उनकी जाति ने तुरंत स्वीकार कर लिया ? और उनके आदेशों को आसानी से मान लिया ? नहीं ऐसा नहीं हुआ । यदि ऐसा होता तो मुहम्मद साहब की असीम सहनशीलता, दृढ़ता, अद्वितीय दया और क्षमा-भाव, इसके अतिरिक्त आपके अगणित उत्तम गुण पर्दे में अदृश्य रह जाते और दुनिया उनसे परिचित न हो सकती । मुहम्मद साहब को भी आरंभ में उन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जो हर बड़े से बड़े सुधारक का हिस्सा है, इस महान सुधारक को अपने सत्य उद्देश्य में सफल होने के प्राण घातक यातनाएं और कष्ट झेलने पड़े । फिर भी मुहम्मद साहब ने अपनी अद्वितीय दृढ़ता और साहस को न छोड़ा और बराबर इस्लाम का प्रचार करते रहे, सत्य बात कहने से कभी न रुके । अंततः मुहम्मद साहब का बोलबाला हुआ और उनके जीवन ही में सारा अरब देश समस्त बुराइयों से पाक और शुद्ध हो गया ।''

''मुहम्मद साहब के साहस, शौर्य और दृढ़ता ने दुनिया में मुसलमानों जैसी वीर और ईश्वर उपासक जाति को जन्म दिया है । अधिक दिन नहीं हुए कि संसार में हर ओर उसकी विजय-पताका फहरा रही थी, सारी दुनिया में उसके नाम का डंका बज रहा था और कोई दूसरी जाति उसका सामना नहीं कर सकती थी । यही मुसलमान आज इतने पतनशील और दिशाहीन क्यों नज़र आ रहे हैं ? उनके गले में दूसरों की गुलामी का जुआ क्यों पड़ा हुआ है ? इसका कारण इसके सिवा और कुछ नहीं है कि मुहम्मद साहब की शिक्षा से मुसलमान कोसों दूर हट गये हैं । मुहम्मद के नाम लेवा चाहें तो अपनी खोयी हुई प्रतिष्ठा और गौरव को पुनः प्राप्त कर सकते हैं अगर वे सच्चाई के साथ मुहम्मद साहब के प्रबल धैर्य और दृढ़ता, साहस और शौर्य एवं सदाचार और उदारता को फिर ग्रहण कर लें । मित्रो ! मैं दूसरे धर्म के लोगों से भी प्रार्थना करता हूं कि वे मुहम्मद साहब को अपना आदर्श बनाएं और उनकी उत्तम शिक्षा पर चलकर लाभांवित हों ।''

–जगत महर्षि, पृ॰ 12

क्रान्तिकारी संदेश

तमिलनाडु के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अन्नादुरई कहते हैं–

''विरोध के तूफ़ान के बीच पूरी दृढ़ता के साथ अल्लाह के रसूल क्रान्तिकारी संदेश देते रहे । यह उनकी महानता का बहुत बड़ा सबूत है । अल्लाह के रसूल ने जब उपदेश देना शुरू किया तो 13 वर्ष तक आप और आपके साथियों पर काफ़ी अत्याचार किये गये । इस अवधि में पवित्र क़ुरआन में जितनी आयतें उतरीं उन सब में बुराई का बदला भलाई से देने और ईमानदारी और धैर्यता के साथ ज़ुल्मो को सह लेने की हिदायत दी गयी । बाद में मुहम्मद साहब जब मदीना पहुंचे तो वहां भी उन पर हमला किया गया । इस विषम परिस्थिति में मुहम्मद साहब और उनके साथियों को अपनी सुरक्षा हेतु लड़ने की इजाज़त दी गयी । आप और आपके साथियों पर ज़ुल्म और सब्र की चरम सीमा पर पहुंचने पर लड़ने का निर्देश दिया गया । इस संदर्भ में प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान एडवर्ड गिब्बन कहते हैं कि ''प्राकृतिक नियमों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अस्त्रों द्वारा अपनी और संपत्ति की रक्षा करे ।''

('हज़रत मुहम्मद (स) : सबके लिए' से संकलित)

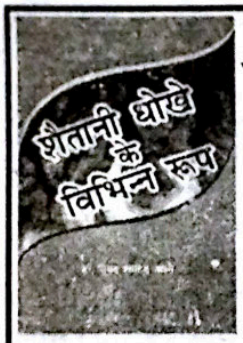

हमारी नई किताब

शैतानी धोखे के विभिन्न रूप

लेखकः डा० सय्यद शाहिद अली

पृष्ठ 96

मूल्य 40 ₹

शैतान क्या है? शैतान क्यों है? शैतान कैसा है? शैतान मनुष्यों को किस-किस तरह बहकाता है? इन प्रश्नों का उत्तर इस पुस्तक में मिलेगा। शैतान इस सांसारिक जीवन में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है इसलिए मनुष्य को सावधान रहना चाहिये। मनुष्य अपने प्रत्येक अच्छे या बुरे काम का स्वयं ज़िम्मेदार है शैतान केवल मनुष्य को बहकाता है। वास्तव में शैतान को मनुष्य के इम्तिहान के लिए छूट दी गयी। इन्ही सब बातों की इस पुस्तक में व्याख्या की गयी है।

हमारी अन्य पुस्तकें

इस्लाम आतंक या आदर्श?	(उर्दू, हिन्दी, अंग्रेजी)	स्वामी लक्ष्मीशंकराचार्य	₹ 40=00
ग़लत फहमियों का निवारण	(उर्दू, हिन्दी, अंग्रेजी)	डा० ज़ाकिर नाईक	₹ 25=00
डा० अम्बेडकर और इस्लाम	(उर्दू, हिन्दी)	आर० एस० आदिल	₹ 10=00
इतिहास के साथ यह अन्याय	(उर्दू, हिन्दी)	बी० एन० पाण्डे	₹ 7=00
मुहम्मद (सल्ल०) इस्लाम के पैग़म्बर	(हिन्दी, अंग्रेजी)	प्रो० रामा कृष्णा राव	₹ 15=00
हज़रत मुहम्मद और भारतीय धर्म ग्रन्थ	(हिन्दी)	डा० एम० ए० श्रीवास्तव	₹ 18=00
रियाजुस्सालिहीन (हदीस संग्रह)	(हिन्दी)	इमाम मुहिउद्दीन अन-नव्वी	₹ 170=00

दावती काम करने वालों और मुफ़्त तक़सीम करने वालों के लिए विशेष छूट।

मधुर सन्देश संगम

E-20, अबुल फ़ज़ल इन्क्लेव, जामिया नगर,
ओखला, नई दिल्ली - 110025
फोन : 011 - 26953327, 09212356332
E-mail :madhursandeshsangam@yahoo.co.in

सार्थक-सफल जीवन की खोज

■ मौलाना मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ां

संसार में मनुष्य को वह सब कुछ उपलब्ध दिखायी देता है जिससे उसकी भौतिक आवश्यकताएं पूरी हो सकें। इतना ही नहीं, यहां उसकी निगाहों के लिए सुन्दर से सुन्दर वस्तुओं का भी आयोजन पाया जाता है। यहां कितने ही पक्षियों आदि के मीठे स्वर भी हमें सुनने को मिलते हैं। किन्तु मनुष्य के लिए इतना ही काफ़ी नहीं। वह इससे अधिक की कामना करता है। वह चाहता है कि आकर्षक वस्तुएं और सुन्दर दृश्य मधुर शब्दों में ढलकर उसे बता सकते कि वास्तव में वे क्या हैं ? सुन्दरता उसे उस सौंदर्य का परिचय दे सकती जो वास्तविक और पूर्ण है, जिसके माध्यम से वह जगत और जीवन में अपना स्थान निश्चित कर सकता, और इस प्रकार वह अपने जीवन को सार्थक कर सकता।

जिस किसी ने भी जगत को देखने की तरह देखा और उसकी मौजूदगी को पूरी तरह महसूस किया, उसका हृदय स्वत: तरंगित हो उठा। उसे हर चीज़ नूतन लगी। उसके हृदय में कुछ विशिष्ट भाव भी जगे। उसे कुछ अलौकिक स्पर्श का-सा आभास भी हुआ। किन्तु इस सबके बावजूद एक अस्पष्टता शेष ही रही, उस संध्या की तरह जिसमें चीज़ें धुंधली ही दिखायी देती हैं या प्रकाश में जैसे कुछ कालिमा घुली-मिली हो या जैसे नीले आकाश में बादलों का आवरण-सा पाया जा रहा हो।

संभव है जीवन की सुन्दरता, पर्वतमालाओं, बर्फ़ीली चोटियों, वृक्षों और उन पर खिले फूलों और उनके सुगंध आदि के कारण किसी भावुक व्यक्ति को किसी आत्मिक आशा का उज्ज्वल प्रकाश दिख जाए, और वह यह समझने लगे कि उसने जीवन की गहराइयों को छू लिया और उसने सत्य को पूर्णत: ज़ान लिया। लेकिन सच यह है कि उसके बाद भी संदेहों से वह मुक्त नहीं हो पाता। यह संदेह लगा रहता है कि कहीं ये मात्र अपनी ही कल्पनाएं न हों और जिस अंतिम सत्य को जानने की इच्छा हमें थी, संभव है वह कुछ और ही हो। मनुष्य संशय की हालत में जीवन व्यतीत करे, यह ईश्वर कैसे पसन्द कर सकता है। अतएव इस संशय और संदेहों से छुटकारा दिलाने ही के लिए उसने अपने पैग़म्बर भेजे और उन पर अपना कलाम (वाणी) अवतरित किया और जगत और जीवन के मौन संकेतों को उसने इस तरह से स्पष्ट कर दिया मानो समस्त संकेत भाषा में ढल गये। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को संशय और संदेहों के घेरे से निकाल लिया, अंधकार से उसे पूर्ण प्रकाश में ले आया। स्पष्ट शब्दों में उद्घोषणा कर दी गयी कि विवेक से काम लो–

"जो चीज़ भी आकाशों और धरती में है, अल्लाह ही का महिमागान कर रही है।" (क़ुरआन, 59:24)

"निस्संदेह, मैं ही अल्लाह हूं। मेरे सिवा कोई पूज्य-प्रभु नहीं। अत: मेरी ही बन्दगी करो।" (क़ुरआन, 20:14)

ईश्वर शक्तिशाली ही नहीं दयापूर्ण भी है। उसे तो सारे संदेहों को दूर करना ही था।

ईश्वरीय संदेशवाहक या पैग़म्बर बड़ी संख्या में हुए हैं। उन्होंने यही कहा–"ऐ मेरी क़ौम के लोगो ! अल्लाह की बन्दगी करो, उसके अतिरिक्त तुम्हारा कोई पूज्य प्रीतम नहीं, तो क्या तुम डरते नहीं।" (क़ुरआन, 7:65)

पैग़म्बरों ने बताया कि जीवन और जगत क्या है ? मानव की सफलता किस बात पर निर्भर करती है और वह असफल कैसे होता है ? ईश-संदेशवाहकों की शृंखला की अंतिम कड़ी हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) हैं। हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने यह घोषणा भी की कि उनके पश्चात अब कोई पैग़म्बर नहीं आएगा और उन्हें संपूर्ण मानवजाति के मार्गदर्शन के लिए संदेशवाहक बनाकर भेजा गया है। कोई व्यक्ति भी, चाहे वह किसी क़ौम का हो और कहीं का रहने वाला हो, आपके दिखाये हुए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बना सकता है और ईश्वर का सामीप्य प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि वह आपका अनुपालन करने से इन्कार करता है तो वास्तव में वह जीवन और जीवन के वास्तविक लक्ष्य की उपेक्षा करता है। और यह एक अक्षम्य अपराध होगा।

महमूद व अयाज़

■ डॉ॰ सलीम ख़ान

ऊंचे पर्वत से उतरकर एक पतली पगडंडी जब खुले मैदान के महामार्ग से आकर मिली तो अयाज़ ने महमूद से पूछा, ''सरकार, क्या मैं यह घोड़ा आज अपने साथ ले जा सकता हूं ?''

आधी रात हो चुकी थी । ऐसे में यह सवाल महमूद को कुछ अटपटा-सा लगा । वह बोला, ''इतनी रात गये तू घोड़े पर सवार होकर कहां जाएगा ?''

''मैं, कहीं नहीं । मैं तो अब अपने घर जाऊंगा ।''

''घर...तेरा घर तो शाही महल से कुछ फ़र्लांग की दूरी पर है ।''

''जी हां सरकार, आप ठीक फ़रमाते हैं ।''

''तो फिर तुझे घोड़े की क्या ज़रूरत है ?''

''ऐसा है सरकार कि एक दिन मैं घोड़े पर बैठकर अपने घर जाना चाहता हूं ।''

अयाज़ की इच्छा ने महमूद को आश्चर्यचकित कर दिया । अयाज़ उसका पुश्तैनी गुलाम था । उसके बाप दादा में से किसी ने इस तरह की बेतुकी ख़्वाहिश ज़ाहिर नहीं की थी । वह बोला, ''इससे क्या फ़र्क़ पड़ता है अयाज़ ?''

''फ़र्क़...! बहुत फ़र्क़ पड़ता है । आप क्या समझते हैं मेरे घर वालों को इस बात पर कोई हैरत नहीं होगी ?''

''होगी, ज़रूर होगी...लेकिन उससे क्या फ़र्क़ पड़ता है ?''

''वही तो फ़र्क़ है सरकार कि वे सब हैरान रह जाएंगे । वरना मैं रोज़ ही पैदल घर जाता हूं, किसी को कोई आश्चर्य नहीं होता ।''

महमूद को अयाज़ की बात कुछ अजीब-सी लग रही थी । कोई और गुलाम होता तो महमूद उसे डांटकर मना कर देता, लेकिन अयाज़ की बात ही और थी । वह उसका मनपसंद गुलाम था और गुलाम से ज़्यादा उन दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता था । बचपन में दोनों एक साथ खेले थे । उस वक़्त वे दोनों नासमझ बच्चे थे । उस समय उन्हें पता नहीं था कि मालिक किसे क़हते हैं और गुलाम क्या होता है ? महमूद बोला, ''ठीक है, ऐसी बात है तो तुम घोड़ा अपने घर ले जाओ और खाने पीने से निबटने के बाद इसे वापस अस्तबल में लाकर बांध देना । वैसे मेरा ख़याल है कि तुम बेकार में अपने आपको कष्ट दे रहे हो ।''

''जी नहीं जनाब, इसमें कुश्किल कैसी? मैं कल सुबह इस घोड़े को अपने साथ महल ले जाऊंगा ।''

''कल सुबह...! कैसी बात करते हो अयाज़ ? क्या तुम्हारे पास अस्तबल है?''

''जी नहीं ! लेकिन इसकी क्या ज़रूरत है ? गर्मियों की रातों में वैसे हम लोग भी बाहर आंगन में चारपाई बिछाकर सो जाते हैं । वहीं आपका ये घोड़ा भी बंधा रहेगा ।'' ''अयाज़...तुम तो जानते हो ये शाही घोड़ा है ।''

''जी हां सरकार जानता हूं ।'' अयाज़ ने अदब से कहा, ''लेकिन जहां शाही गुलाम रह सकता है, वहां शाही घोड़ा क्यों नहीं रह सकता ?''

''देखो अयाज़, ज़िद न करो । इन्सान का क्या है कि वह तो हालात से समझौता करना जानता है । वह अपने आपको माहौल के मुताबिक़ ढ़ाल लेता है, लेकिन ये बेचारा घोड़ा इस कला में माहिर नहीं है ।''

''कोई बात नहीं जनाब, मैं कई सालों से इसके साथ हूं और मैंने इसे कई हुनर सिखला दिये हैं । आज रात ये मेरे साथ जीने का एक गुर और सीख जाएगा ।''

अयाज़ की बातें अब महमूद को नागवार लगने लगी थीं । लेकिन फिर भी वह बोला, ''देखो अयाज़, तुम बचपन से ही उस घर में रहते रहे हो और वहां रहने के आदी हो गये हो, इसलिए तुम्हें कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता । लेकिन इस घोड़े का जन्म अस्तबल में हुआ और वहीं पला बढ़ा है, इसलिए शायद इसे मुश्किल होगी ।''

''इस घोड़े की मुश्किल का अन्दाज़ा तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन इतना जानता हूं कि आपको इसकी बहुत चिंता है । सच में आप बहुत ही सज्जन और संवेदनशील महापुरुष हैं, अपने जानवरों का भी किस क़द्र ख़याल रखते हैं ?''

महमूद ने बात बदलने का फ़ायदा उठाते हुए कहा, ''एक बात बताऊं अयाज़, तुम बहुत ही भोले-भाले आदमी हो । इसलिए तुम्हारी बातें मुझ जैसे मूर्ख की समझ में बड़ी आसानी से आ जाती थीं । लेकिन आज न जाने क्यों, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं ।''

अयाज़ बोला, ''ऐ मेरे प्यारे आक़ा, जो आपको नासमझ समझे, वह दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है ।''

''अच्छा तो तुमने घुमा फिरा कर मुझे ही मूर्ख कह दिया ।'' महमूद मुस्कुराकर बोला ।

''आप कैसी बातें कर रहे हैं सरकार !! मैं ऐसी गुस्ताख़ी का साहस कैसे कर सकता हूं ?''

''क्यों, तुमने ये नहीं कहा कि जो मुझे...''

''जी हां सरकार मैंने कहा मगर...''

''वही तो, तुम्हारी बातें सुनकर मैं ख़ुद अपने आपको मूर्ख महसूस कर रहा हूं । तो गोया तुम्हारे तर्क के अनुसार मैं दुनिया का सबसे बड़ा...''

''जी नहीं जनाब, यह तो आपकी महानता है कि आप मुझ जैसे अहमक़ ग़ुलाम से दिल्लगी कर रहे हैं ।''

''अच्छा, उस बन्दे से भला मज़ाक़ कौन कर सकता है जो घोड़े पर सवार होकर घर जाना चाहता हो । वैसे मैं तुमसे कह चुका हूं कि अगर तुम रात में वापस लाकर अस्तबल में बांधने के लिए तैयार हो तो इसे अपने घर ले जा सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं ।''

''नहीं जनाब, अगर ऐसी बात है तो जाने दीजिए, मैं इसे यहीं छोड़ देता हूं ।''

अब वे दोनों शाही महल के सामने पहुंच चुके थे । महमूद ने मुस्कुराकर ख़ुदा हाफ़िज़ कहा और दीवान-ए-ख़ास की तरफ़ मुड़ गया । दीवान में मौजूद सारे लोग महमूद को देखकर अदब से खड़े हो गये, सिवाए एक फ़क़ीर के जो झूम-झूमकर गा रहा था–

ख़्वाब से बेदार है ज़रा महकूम अगर
फिर सुला देती है उसको हुक्मरां की साहिरी

अयाज़ घोड़े को अस्तबल में बांधते हुए सोच रहा था कि काश वह मनुष्य नहीं बल्कि घोड़ा होता । शाही घोड़े और शाही ग़ुलाम के बीच का अंतर उसकी समझ में आ गया था । घर जाते हुए अयाज़ को अपने बचपन की एक घटना याद आ गयी जब उसने अपने बाप से पूछा था कि आप घोड़ा दौड़ाना जानते हैं ?

उसके बाप ने उत्तर दिया, ''कैसी बातें करते हो बेटा । तुम्हारा बाप शहर का सबसे बड़ा घुड़सवार है ।''

''अच्छा...तो फिर आप घोड़े पर बैठकर घर क्यों नहीं आते ?''

अपने चंचल बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर वह आश्चर्यचकित रह गया और बोला, ''बेटे बात दरअसल यह है कि मैं अपने मालिक के घोड़े पर सवारी करता हूं । इसलिए घोड़े पर उसकी मर्ज़ी चलती है और उसका आदेश है कि घोड़े को शाही अस्तबल में बांधकर अपने घर पैदल जाया जाए ।''

अपने बाप का यह जवाब सुनकर उसने फिर पूछा, ''घोड़े की हद तक तो ठीक है, परंतु आप पर किसकी मर्ज़ी चलती है ?''

''मुझ पर...मुझ पर भी अपने स्वामी की मर्ज़ी चलती है । मैं उनका आज्ञाकारी दास जो हूं ।''

''अच्छा तो बाबा, आपमें और उस घोड़े में कोई फ़र्क़ है भी या नहीं ?'' न जाने अयाज़ को कहां से यह सवाल सूझ रहे थे ।

''बेटे फ़र्क़ तो ज़रूर है और बहुत बड़ा फ़र्क़ है हम दोनों के अन्दर । दरअसल वह तो सिर्फ़ मालिक की मर्ज़ी पर चलता है, लेकिन मैं न सिर्फ़ ख़ुद उसकी इच्छा के अनुसार चलता हूं बल्कि उसकी मर्ज़ी चलाता भी हूं ।''

''अच्छा...तो गोया ग़ुलामी में आप घोड़े के मुक़ाबले उच्चतम स्थान पर विराजमान हैं?''

''इसमें शंका की कौन-सी बात है ? यही तो हमारी विशेषता है ।'' यह कहते हुए उसके बाप का सीना फूल गया लेकिन आज अयाज़ को आभास हुआ कि उसका बाप बहुत बड़ी ख़ुशफ़हमी का शिकार था । वह नहीं जानता था कि उसके नज़दीक अपने और घोड़े के स्थान में जो अंतर है, उनके स्वामी के लिए नहीं है । राजा के लिए घोड़े का महत्व दास से बहुत अधिक है, उसने फिर एक बार अपने आपसे कहा कि काश वह मनुष्य न होकर घोड़ा होता ।

खेतों में कटाई का काम पूरा हो चुका था । हर तरफ़ आनंदमय वातावरण था । किसानों के पास समय भी था और धनराशि भी, इसलिए वो मनोरंजन के कामों में व्यस्त थे । हर साल वसंत ऋतु में पूर्णिमा की रात शहर के अन्दर एक बहुत बड़ा मेला लगता था । दुकाने लगतीं, खेल तमाशे, नाच रंग की महफ़िलें सजायी जातीं । दूर दराज़ से सगे संबंधी

और यार-दोस्त मुलाक़ात के लिए आते । इस शुभ अवसर पर एक घुड़सवारी की प्रतियोगिता भी सरकार की ओर आयोजित की जाती । बादशाह के कई गुलाम घोड़े दौड़ाते और उनमें जो घुड़सवार विजयी होता, उसे इनाम दिया जाता था । अयाज़ और उसके बाप ने कई बार वह इनाम जीता था ।

इस मुक़ाबले में कामयाबी के लिए जहां घुड़सवार का महत्व था, वहीं घोड़े की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती थी । इसलिए कि कमज़ोर घोड़े पर तेज़ सवार और मज़बूत घोड़े पर हल्का सवार एक-सा परिणाम भोगता था । इसी कारणवश महमूद ने सबसे पहले अयाज़ को अपनी पसंद का घोड़ा चयन करने का अवसर दिया और अस्तबल की ओर इशारा करके पूछा ।

"तुम अब की बार इनमें से कौन सा घोड़ा दौड़ाओगे अयाज़ ?"

"मैं इस बार इनमें से कोई घोड़ा नहीं दौड़ाऊंगा सरकार ।"

महमूद का आश्चर्य हुआ । वह बोला, "क्यों ? ख़ैरियत तो है ?"

"जी हां जनाब, बिल्कुल ख़ैरियत है ।" अयाज़ बोला और महमूद ने चुप्पी साध ली ।

प्रतियोगिता से एक दिन पहले अयाज़ का क़रीबी दोस्त नियाज़ उससे मिलने आया और पूछा ।

"क्यों भाई, ख़ैरियत तो है न । सुना है तुम इस बार घुड़सवारी के मुक़ाबले से पीछे हट गये हो ?"

"ये तुमसे किसने कहा ?" अयाज़ ने पूछा ।

नियाज़ बोला, "किसने ? अरे यह बात तो मुझे ख़ुद महमूद ने कही है ।"

"अच्छा, तो शायद उन्हें कोई ग़लतफ़हमी हो गयी है ।"

"ग़लतफ़हमी और स्वामी को ? कैसी बातें करते हो दोस्त ? ये सब तो हम गुलामों के दोष हैं ।"

"मानवी दोष भी बीमारी के कीटाणु समान होते हैं और वे स्वामी और सेवक में कोई फ़र्क़ नहीं कर पाते ।"

"तुम कहीं और निकल गये अयाज़ । मैं तो तुमसे प्रतियोगिता के बारे में पूछ रहा था । क्या तुम्हारी महमूद से इस बारे में कोई बात नहीं हुई ?

"हुई थी, उन्होंने अपने अस्तबल की तरफ़ इशारा करके पूछा था कि इनमें से तुम कौन-सा घोड़ा दौड़ाओगे? मैंने जवा दिया, "कोई नहीं ।"

"तब तो उन्होंने सही समझा । अगर तुम्हारे पास घोड़ा नहीं है तो क्या तुम ख़ुद दौड़ोगे ?"

अयाज़ हंसकर बोला, "जैसा मालिक वैसा घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा ।"

"पहेलियां न बुझाओ, सीधे-सीधे जवाब दो ।"

"भई मैंने तो सिर्फ़ उनके अस्तबल के घोड़ों के बारे में ये बात कही थी । क्या इससे बाहर की दुनिया में घोड़े नहीं पाये जाते ।"

"क्यों नहीं, ज़रूर पाये जाते हैं लेकिन उन तक हमारी पहुंच कैसे हो सकती है ? मेरा मतलब है हम गुलामों की? हमारे पास तो अपने मालिकों के घोड़े होते हैं । घोड़ा दरअस्ल सरदारों की सवारी है, गुलामों की नहीं ।"

"लेकिन घोड़ा तो नहीं जानता कि उसका मालिक गुलाम है या आक़ा...इसीलिए वह हमारे आक़ाओं की तरह हमें भी अपने ऊपर सवार कर लेता है ।"

"तुम्हारी बात ठीक है । वह बेवक़ूफ़ अगर इंसान होता तो आक़ा और गुलाम में फ़र्क़ समझता ।"

"अच्छा...तो हम अक़लमन्द हैं जो इस फ़र्क़ को जानते हैं ।" अयाज़ ने सवाल किया तो नियाज़ लाजवाब हो गया।

"भई कौन अक़लमन्द है और कौन बेवक़ूफ़ इसका फ़ैसला कल मुक़ाबले के मैदान में होगा ।"

"क्या मतलब ?" अयाज़ ने पूछा ।

"यही कि कल जो जीतेगा वही घोड़ा भी अक़लमन्द होगा और उसका सवार भी । वह कौन होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन कौन नहीं होगा, ये ज़रूर जानता हूं ।"

"अच्छा वह कैसे ?"

"भई, जो मुक़ाबले में हिस्सा ही नहीं लेगा उसकी कामयाबी का सवाल ही पैदा नहीं होता ।"

"तुम्हारी ये बात भी सही है । मूकदर्शकों के भाग्य में कभी भी सफलतां नहीं आती ।"

"अफ़सोस... कि इस बार तुमने अपने आपको ख़ुद ही मूकदर्शक बना लिया है ।"

"तुमने दोबारा वही बात कह दी जिसको मैं पहले ही नकार चुका हूं ।"

"अच्छा तो तुम घोड़े के बग़ैर दौड़ में हिस्सा लोगे ?"

"जी नहीं , मैं घोड़े पर ही प्रतियोगिता में भाग लूंगा ।"

"तो फिर घोड़ा कहां से लाओगे ?"

"घोड़ा मुझे लाने की क्या ज़रूरत है ? वह मेरे घर के पास बंधा हुआ है ।"

"तुम्हारे घर के पास घोड़ा...मैं कुछ समझा नहीं ।"

"क्या तुमको चीनी भाषा में यह बतलाना पड़ेगा कि मेरे घर के पास घोड़ा बंधा हुआ है ।"

"दोस्त तुम्हारी बात तो मैं सुन रहा हूं लेकिन समझ नहीं पा रहा हूं, और इस पर मुझे उसी समय विश्वास होगा जब मैं उस काल्पनिक घोड़े को अपनी आंखों से देख लूंगा ।"

"अगर यही बात है तो हाथ कंगन को आरसी क्या? मेरा घर कौन-सा दूर है, चलो चाय पीते हैं ।"

अयाज़ ने अपनी पत्नी को चाय बनाने के लिए कहा और घोड़े की पीठ पर हाथ फेरा तो वह अपने अनोखे अन्दाज़ में हिनहिनाया । नियाज़ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था । वह बोला, "यार कहां से उठाए लाए इस हैवान को?"

"हैवान कहां पाए जाते हैं ? क्या तुम यह भी नहीं जानते ?"

"तो क्या इसे जंगल से पकड़ लाए हो ?"

"जी हां, एक दिन मैंने इसे जंगल में टहलते देखा और उसके पीछे लग गया । यक़ीन करो, ये प्राणी बड़ी मुश्किल से क़ाबू में आया है ।" अयाज़ ने बड़े प्यार से अपने घोड़े पर हाथ फेरते हुए कहा ।

"तो क्या तुम इस जंगली घोड़े को लेकर मैदान में उतरोगे ?"

"क्यों नहीं ? घोड़ा तो घोड़ा होता है । क्या जंगली और क्या शहरी ? वैसे तमाम ही शाही घोड़ों के पूर्वज किसी न किसी समय जंगल में रहे होंगे ।"

"तुम्हारी बात तो ठीक है लेकिन सरकार दरबार के लोग इस मूलमंत्र को स्वीकार नहीं करते । अगर किसी आदमी को किसी देश की नागरिकता प्राप्त हो जाए तो उसके अधिकारों के संबंध में ये नहीं देखा जाता कि उसके बाप दादा कौन थे और कहां से आए थे ?"

"मुझे तुम्हारा यह तर्क ठीक लगता है नियाज़, इसलिए कि हमारे पूर्वज भी कभी आज़ाद रहे होंगे, लेकिन इससे क्या फ़र्क़ पड़ता है । हम ग़ुलाम हैं और ग़ुलाम रहेंगे ।"

"हां अयाज़...इसलिए मेरा सवाल यह है कि क्या तुमने इसके लिए इजाज़त ली है ?"

"इजाज़त...कैसी इजाज़त ? अगर मैं किसी और का घोड़ा दौड़ाऊं तो मुझे उसके मालिक से अनुमति लेनी होगी लेकिन इसका मालिक तो मैं ख़ुद हूं । इसके लिए मुझे किसी और से इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है ?"

"वह तो ठीक है लेकिन क्या हम लोगों को घोड़ा रखने की अनुमति है ?" नियाज़ ने पूछा ।

अयाज़ हंसकर बोला, "भाई, जिन चीज़ों की अनुमति है, उसकी सूची तो इतनी लम्बी है कि उसके बारे में सूचना प्राप्त करना बड़ा मुश्किल काम है । इसलिए जो निषेध होती हैं, उनके बारे में बतला दिया जाता है और घोड़ा पालना मना है, यह तो मैंने कभी नहीं सुना ।"

"तुम्हारी बात ठीक है अयाज़ लेकिन इस मुक़ाबले के भी तो नियम होंगे । उनके बारे में जानकारी कर लेना बेहतर है वरना बाद में बिना कारण...।"

"वरना क्या ?" अयाज़ ने हंसकर पूछा, "मुझे मुक़ाबले से रोक दिया जाएगा, यही न ।"

"नहीं...मेरा मतलब है कि एहतियात इलाज से बेहतर है । वैसे मैं जानता हूं कि तुम महमूद के चहीते हो, इसलिए तुम्हारे बारे में कोई निर्णय सोच समझकर ही किया जाएगा ।"

"अगर यही बात है तो मैं इस अनुमति के बखेड़े में क्यों पड़ूं ? जो होगा देखा जाएगा । अगर रोक दिया गया तो रुक जाएंगे । खेल तो आख़िर खेल है । वैसे कौन जानता है कि मुक़ाबले में कामयाबी ही हो ।"

"हां अयाज़, किसी भी मुक़ाबले में कामयाबी महत्वपूर्ण होती है, वरना पराजित होने वाले के लिये भाग लेने और न लेने का परिणाम एक जैसा ही होता है ।"

अयाज़ बोला, "मुझे नहीं लगता कि संघर्ष करने के बाद नाकामी और बग़ैर किसी प्रयत्न के हार मान लेना एक जैसे हो सकते हैं ?"

"ख़ैर...तुम्हारे लिए और तुम्हारी इस नयी सवारी के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं ।" नियाज़ ने उठते हुए कहा ।

"तुम्हारे लिए भी !"

"ख़ुदा हाफ़िज़ ।"

पूर्णिमा की रात में सारा गांव मुक़ाबले के मैदान में उमड़ पड़ा था । ऐसा लगता था कि इसमें कामयाब होने वाला विश्व विजेता हो जाएगा । एक तरफ़ दर्शकों का अत्साह और जोश था और दूसरी ओर घुड़सवार अपने सजे सजाए घोड़े के साथ एक पंक्ति में खड़े थे कि उनके बीच

अयाज़ का अपने जंगली घोड़े के साथ आगमन हुआ और वो सारे लोगों की निगाहों का केन्द्र बन गया । अयाज़ के घोड़े पर ज़ीन नहीं थी, एक फटी पुरानी शतरंजी से उसने घोड़े की पीठ को ढांप दिया था और स्वत: शाही वर्दी के बजाय मामली लिबास पहने हुए था, इसलिए वह सबसे अगल दिखायी दे रहा था । प्रथा ये थी कि मुक़ाबले से पहले सारे प्रतिस्पर्धियों से महमूद मुलाक़ात करता था, ताकि उनका उत्साह बढ़े, यह सिलसिला जारी था और लोगों में तरह-तरह की खुसर-फुसर चल रही थी ।

किसी ने कहा, ''इस अयाज़ को देखो...लगता है गुलाम घोड़े पर गुलाम सवार है ।''

दूसरा बोला, ''नहीं...ऐसा नहीं लगता, बल्कि यूं लगता है कि गुलाम घोड़े पर कोई बादशाह, इसलिए कि राजा वर्दी का पाबंद नहीं होता ।''

''अगर ऐसी बात है तो...'' तीसरा बोला, ''अयाज़ के घोड़े पर भी शाही वर्दी नहीं है और न वो शाही अस्तबल से आया है, इसलिए उसे गुलाम कैसे कहा जा सकता है ।''

''लेकिन उसका लिबास तो देखो, उसके पास ज़ीन तक नहीं है । एक फटी-पुरानी दरी ! क्या ये शाहाना ठाठ बाट हैं ?''

''जी हां, वह फटी-पुरानी ज़रूर है लेकिन उसकी अपनी है । वह किसी बादशाह की ख़ैरात नहीं है ।''

''क्या आक़ाओं की दी हुई चीज़ ख़ैरात होती है ?''

''क्या गुलामी और आज़ादी की पहचान लिबास से होती है ?''

मतलब यह कि जितने मुंह उतनी बातें । इस बीच महमूद अनेक प्रतिस्पर्धियों से मिलता मिलता अयाज़ के समक्ष पहुंचा । सबकी ज़ुबानें बंद हो गयीं । हर कोई महमूद की प्रतिक्रिया देखना चाहता था । महमूद ने मुस्कुराकर अयाज़ की तरफ़ देखा तो अयाज़ ने आदत के अनुसार सर को झुका दिया । महमूद ने हाथ को आगे बढ़ाकर प्रथानुसार हाथ मिलाया और अयाज़ के माथे का चुंबन ले लिया । अयाज़ के लिए ये सम्मान प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्ति से अधिक मूल्यवान था।

मुक़ाबले का बिगुल बजा तो सारे घोड़े दौड़ पड़े । इस मुक़ाबले में घुड़सवारों को सात चक्कर लगाने पड़ते थे और जो सबसे पहले इसे पूरा करता वो कामयाब हो जाता था । पहले दो चक्कर में तो अयाज़ पीछे रह जाने वालों में था । लेकिन तीसरे में वह आगे वालों की पंक्ति में शामिल हो गया । इस दृश्य ने सारे लोगों को चौंका दिया और उसके बाद महमूद और शहर के क़ाज़ी के बीच वार्तालाप आरंभ हो गया और दोनों इस बात को भूल गये कि मुक़ाबले में क्या हो रहा है । इन दोनों के बीच में होने वाली चर्चा मुक़ाबले से ज़्यादा गर्म थी और इस बीच ज़बरदस्त शोर बुलन्द हुआ । दर्शकों ने आसमान सर पर उठा लिया । लोग ख़ुशी से फूले नहीं समा रहे थे । उनके गलों से चीख़ और आंखों में आंसू झलक रहे थे । यह अद्‌भुत दृश्य था जो इससे पहले कभी देखने में नहीं आया था । महमूद ने सिर उठाकर पूछा, ''यह क्या हो रहा है ?''

Jamaat-e-Islami Social Service Society (Regd), Gaya

The Society is in service in the field of education, health and Islamic Understanding for the last 34 years. Our resources are limited, our task is tremendous. We seek your co-operation in the following activities:-

1. **IQRA PUBLIC SCHOOL :** Besides 800 paying students, about 150 poor or orphan girls & boys are provided free education upto Matriculation with Islamic Carriculam.
2. **MILLAT HOSPITAL :** Every year about 15,000 poor & needy patients are provided with free medical treatment & medicine besides other services.
3. **ISLAMIC INFORMATION CENTRE :** Established at Bodh-Gaya, where lakhs of foreigners visit every year during Nov-March. The Centre provides reading materials on Islam, distributes Islamic literature and invites interested visitors for discussion besides inter-faith dialogue on regular basis.

Kindly send your Cheque/Draft in favour of the society

(Nayyarruzzama)
Chairman

(Prof. Inamul Huque)
Secretary

J I S S S

Millat Campus, Leitch Road, Gaya-823001

''स्वामी, अयाज़ जीत गया। आपका चहीता गुलाम अयाज़ फिर एक बार कामयाब हो गया सरकार ! बधायी हो, आपको बहुत बहुत मुबारक हो ।'' महमूद का ख़ास सलाहकार उसे बधाई दे रहा था कि क़ाज़ी ने कहा, ''लेकिन अयाज़ आज उनका गुलाम कब था? न शाही वर्दी न शाही घोड़ा...गुलामी के सारे चिन्हों को आज उसने नोचकर फेंक दिया है ।'' महमूद ने गुस्से से शहर के क़ाज़ी की तरफ़ देखा तो वे बोले, ''गुस्ताख़ी माफ़ जनाब...मैं भावुक हो गया था । मुझे यह बात सबके सामने नहीं कहनी चाहिए थी । मैं क्षमा चाहता हूं ।''

महमूद मुस्कुराया और बोला, ''शब्दों के उपयोग से अर्थ नहीं बदलता । आप परिणाम की घोषणा करें ।''

महमूद का वरिष्ठ दरबारी मंच पर आया और उसने घोषणा की–''हमारी परम्परा के अनुसार शहर क़ाज़ी प्रतियोगिता के परिणाम की घोषणा करेंगे और अपने विचार प्रकट करेंगे । हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे यहां पर आने का कष्ट करें ।''

शहर क़ाज़ी उस बस्ती के सबसे अधिक आदरणीय व्यक्ति थे । जब कोई विवाद खड़ा हो जाता था तो वही उसका समाधान करते थे और उस पर आपत्ति व्यक्त करने का साहस कोई नहीं करता था, चाहे सामान्य नागरिक हो या गुलाम । वे तुरंत विवाद की तह तक पहुंच जाते थे और बड़े विश्वास के साथ निर्णय सुनाते थे । लेकिन आज उनके क़दम कांव रहे थे और ज़बान लड़खड़ा रही थी । यह इस बात का प्रमाण था कि मन और मस्तिष्क एक दूसरे की बात नहीं मान रहे थे और जीभ का संबंध दिमाग़ से टूट चुका था ।

पारंपरिक शुभकामनाओं के पश्चात क़ाज़ी जी बोले, ''सज्जनो और देवियो ! आप इस तथ्य से अवगत है कि हमारे प्रांत में पुराने समय से एक संविधान लागू है और हमारे अपने नियम क़ायदे हैं । इसी कारण यहां शांति और सद्भावना क़ायम है । हमारे प्रांत में क़ानून की हुक्मरानी है । मुझे ख़ुशी है कि हम में से किसी ने कभी भी इस परंपरागत क़बायली संविधान पर कोई आपत्ति नहीं जतायी और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी यही परंपरा चलती रहेगी । वरना मुझे डर है कि शांति और सद्भावना का यह वातावरण समाप्त हो जाएगा ।'' अयाज़ को क़ाज़ी जी की इन बातों से धमकी की गंध आ रही थी ।

''देवियो और सज्जनो...हम अपने संविधान की ओर उस समय पलटते हैं जब कोई गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है । जब सब कुछ नियमित रूप से चलता रहता है तो हमें संविधान को देखने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए हम उसे भूल भी जाते हैं । आज शायद हमारे शहर के इतिहास में पहली बार ये हुआ है कि इस मुक़ाबले में किसी ग़ैर शाही घोड़े ने भाग लिया है । हमारे पूर्वजों ने इस परिस्थिति की पूर्व कल्पना कर ली थी और इसका अनुमान बहुत पहले कर लिया था । उन लोगों ने इस बाबत भी हमें मार्गदर्शन कर दिया है । अब आइए, आपको मैं संवैधानिक मार्गदर्शन से अवगत करा दूं ।

संविधान के नियम 11 के अनुसार घोड़ा एक शाही जानवर है, इसलिए किसी सामान्य नागरिक को घोड़ा रखने का अधिकार नहीं है, जब तक कि सरकार उसे किसी विशेष कारण से घोड़ा दान में न दे । लेकिन उस अवस्था में भी उसके पास हुकूमत की तरफ़ से तोहफ़े में प्राप्त घोड़ा ही होगा और उसे किसी भी वक़्त ज़ब्त करने का अधिकार सरकार के पास सुरक्षित होगा । इस बारे में सरकार को किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होगी । संविधान के नियम 12 के अनुसार अगर कोई नागकिर इस क़ानून का उल्लंघन करेगा तो उसे शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा । संविधान के नियम 13 के अनुसार अगर वह नागरिक घोड़ा शाही अस्तबल में जमा करा दे तो वह शहर में रह सकेगा ।

संविधान के नियम 14 के अनुसार अगर कोई गुलाम घोड़ा रखने का अपराध कर बैठे तो उसका मामला अलग है । गुलाम क्योंकि खुद अपने स्वामी का सेवक मात्र होता है, इसलिए उसे अपनी कोई व्यक्तिगत सम्पत्ति रखने का अधिकार नहीं है । उसके पास जो कुछ भी है, अपने स्वामी का है । उसका अपना कुछ भी नहीं है, और अगर वह क़ानून का उल्लंघन करेगा तो उसकी गर्दन मार दी जाएगी ।

संविधान के सारे प्रावधान बिल्कुल साफ़ हैं । इनकी रोशनी में अगर अयाज़ अपना घोड़ा सरकार के हवाले कर दे तो वह इनाम का अधिकारी होगा वरना...।''

क़ाज़ी शहर के साथ सारे लोगों को सांप सूंघ गया । घोषणा हुई–''आज के मुक़ाबले में सबसे आगे रहने वाले अयाज़ आगे आएं और अपनी मर्ज़ी बतलाएं ।''

महमूद समेत सारे लोगों को विश्वास था कि अयाज़

घोड़े को छोड़ देगा और इनाम प्राप्त करके अपने घर लौटेगा । लेकिन अयाज़ के इरादे कुछ और ही थे । उसने आगे आकर कहा, ''मैं अपने शहर की प्रथा के आगे नतमस्तक हूं और शहर के क़ाज़ी का आदर और सम्मान करता हूं । मेरी उनसे प्रार्थना है कि वे मुझ पर प्रथानुसार क़ानून लागू कर दें । मैं उसे विशाल मन से स्वीकार करूंगा लेकिन अपने घोड़े को नहीं दूंगा ।'' अयाज़ ने ये बात बड़े आत्मविश्वास के साथ कही थी । वह मुस्कुरा रहा था लेकिन सारा जन समुदाय, यहां तक कि शहर क़ाज़ी भी असमंजस में पड़ गये थे । इस शहर में बरसों से किसी ने क़ानून का उल्लंघन नहीं किया था । मृत्युदंड तो बहुत दूर की बात है, मामूली सज़ा भी किसी को नहीं हुई थी । इस शहर के मशहूर होने का यही मुख्य कारण था कि वहां जेल नहीं थी और ऐसे शहर में अयाज़ जैसे आज्ञाकारी गुलाम को मौत की सज़ा ? बड़ी विचित्र स्थिति थी । कोई नहीं चाहता था कि ऐसा हो लेकिन सब के सब विवश थे ।

महमूद ने आगे बढ़कर शहर के क़ाज़ी को सम्बोधित करते हुए सवाल किया कि क्या क़ानून में इस बात का प्रावधान है कि इस परिस्थिति में सुलतान दख़लअन्दाज़ी कर सके ? महमूद का प्रश्न सुनकर लोगों में ख़ुशी की लहर दौड़ गयी और अयाज़ का सर गर्व से ऊंचा हो गया ।

क़ाज़ी शहर बोले, ''हमारा क़ानून दूसरी सज़ाओं में सुलतान को सज़ा कम करने की और माफ़ करने की अनुमति देता है, लेकिन मौत की सज़ा के मामले में नहीं । इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता ।''

महमूद ने फिर सवाल किया, ''क्या मुझे अपने गुलाम को आज़ाद करने का अधिकार है ?''

''क्यों नहीं, गुलाम को आज़ाद करने का अधिकार तो हर नागरिक को प्राप्त है, आप तो ख़ैर सुलतान हैं ।''

''अगर मैं अयाज़ को आज़ाद कर दूं तो...?''

''इस सूरत में भी इसे घोड़ा लौटाना पड़ेगा, वरना इसे शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा ।''

महमूद ने अयाज़ की तरफ़ देखा । अयाज़ की आंखों में प्रेम और आदर के आंसू थे । वह बोला, ''मेरे आक़ा, आपने मुझ पर जो कृपा ही है उस पर धन्यवाद कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं, मैं इसे अपने लिये सबसे बड़ा सौभाग्य समझता हूं । मैं क़ाज़ी शहर से विनती करता हूं कि वे शहर बदर होने के क़ानून में न्यूनतम समय सीमा बतलाएं ।''

''अधिक से अधिक तीन दिन तक तुम इस शहर में रह सकते हो अयाज़ !''

क़ाज़ी शहर यह कहकर अपनी सवारी की ओर चल दिये । शहर में पहली बार घोड़ों की दौड़ के मुक़ाबले में इनाम नहीं दिया गया ।

कोई कह रहा था, ''आज के मुक़ाबले में सभी लोग हार गये । कोई भी कामयाब नहीं हुआ ।''

कोई बोला, ''नहीं ऐसी बात नहीं । आज के मुक़ाबले में अयाज़ ने एक ऐसी कामयाबी प्राप्त की है, जो इससे पहले किसी को नसीब नहीं हुई ।''

किसी ने कहा, ''आज के मुक़ाबले में सभी लोग हार गये, सिवाय महमूद के । वह अयाज़ की जान बचाने में कामयाब हो गया और वह बड़ी कामयाबी है ।

जितने मुंह उतनी बातें ।

SHATABDI FOUNDATION, GAYA

- Started Shatabdi Public School in 2001 with primary classes, has now developed into a 10+2 CBSE affiliated educational institution with quality education in modern subjects with moral orientation.
- Presently there are around 1400 students who are provided modern teaching facilities. The Foundation also adopts poor/ orphan students
- Free education is given to poor students of the locality after school time.
- Our immediate needs are—Purchase one more school bus, Construction of Prayer Hall & Purchase of 30 Computers.

(Prof. Z. H. Khan) Chairman

(Prof. M. B. Zaman) Secretary

SHATABDI PUBLIC SCHOOL

Katari Hill Road, Gaya-823001 (Bihar) INDIA

नीम में असाधारण वनौषधि क्षमता

■ आर॰ पी॰ श्रीवास्तव

विश्व में जड़ी-बूटियों तथा विभिन्न प्रकार के पौधों से तैयार होने वाली वनौषधियों तथा कीटनाशक दवाओं की लोकप्रियता और उसकी मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है। भारत के अतिरिक्त पश्चिमी देशों में तथा विशेषकर जर्मनी में इसकी ओर विशेष ध्यान दिया गया है। जर्मनी में नीम वृक्ष का महत्व इन दिनों काफ़ी बढ़ गया है। वहां इसके विविध गुणों तथा इसकी कीटनाशक क्षमता के बारे में विशेष शोध कार्य हो रहे हैं। नीम पर न केवल पेस्टीसाइड नेटवर्क इंटरनेशनल (पी॰ए॰एन॰ इंटरनेशनल) जी॰टी॰ ज़ेड आदि शोध कर रही हैं बल्कि म्यूनिख के समीप स्थित मेक्स प्लैक इंस्टीट्यूट ऑफ बायोकेमिस्ट्री के समग्र कीट प्रबंध कार्यक्रम से भी इसे संबद्ध क्रिया गया हैं।

जहां तक भारत में नीम की लोकप्रियता का प्रश्न है, उसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां की 60 से 70 प्रतिशत जनसंख्या दातून के लिए नीम की टहनी का उपयोग करती है। यह देश की ग्रामीण जनता का ''टूथ पेस्ट'' और ''ब्रश'' दोनों ही है जबकि शहरी जनता विभिन्न प्रकार के टूथ पेस्ट, ब्रश और मंजन पर करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष ख़र्च करती है, फिर भी अपने दांतों को सुरक्षित नहीं रख पाती है। इसके अतिरिक्त भारतीय जनता अन्न को कीड़ों से रक्षा करने, ऊनी वस्त्रों को बचाने, फोड़े-फुंसियों में इसका अनेक तरह से उपयोग में लाती है। अब तो इसका व्यापक प्रचार होता जा रहा है। इसके अन्य उपयोग इस प्रकार हैं—जैसे खाद के रूप में, जानवरों और मुर्ग़ियों के लिए प्रोटीन युक्त भोजन के रूप में, रक्त शुद्धिकरण, गठिया रोग, आंख, त्वचा, गुर्दा और मुत्राशय रोगों के इलाज के लिए, मच्छर प्रतिरोधक के रूप में, भूमि के कृमि और परजीवी पौधों को नष्ट करने के लिए और नांव, घर और हल निर्माण के लिए। इसके अतिरिक्त इंजनों में तेल देने के लिए साबुन, काग़ज़, प्लास्टिक, हार्डबोर्ड बनाने के लिए तथा गर्भ निरोधक के रूप में इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

भारत में नीम ही नहीं अनेक वृक्षों, पौधों और जड़ी-बूटियों का उपयोग औषधि के रूप में प्राचीनकाल से होता आ रहा है। भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में जगह-जगह वृक्षों और जड़ी-बूटियों से औषधि निर्माण और उससे इलाज की विस्तृत चर्चा है। उदाहरण के लिए तुलसी का पौधा ही लीजिए। आंवले के वृक्ष और उसके फल की उपयोगिता और उसके महत्व से शायद ही कोई भारतीय अनभिज्ञ हो। ऐसा माना जाता है कि आंवले के निरंतर सेवन से शरीर का कायाकल्प हो जाता है। इसके वृक्ष के नीचे बैठने से फेफड़े का रोग नहीं होता है। चर्म रोग से आदमी बच जाता है, इसी प्रकार बेल के पत्ते का औषधि महत्व है। इसका उपयोग हर प्रकार के नशे को उतारने अथवा विष के प्रभाव को कम करने में लाया जाता है।



शीतला सिंह आयोग ने क्या कहा ?

पिछले साल 24 अक्तूबर को फ़ैज़ाबाद और आसपास के बड़े इलाक़े में जो साम्प्रदायिक हिंसा हुई, उसमें मुसलमानों के जानमाल का बहुत नुक़्सान हुआ । भारतीय प्रेस परिषद ने इसकी व्यापक जांच के लिए वरिष्ठ पत्रकार श्री शीतला सिंह की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट पिछले दिनों सार्वजनिक की गयी । ऐसा बहुत कम हुआ है कि किसी भी साम्प्रदायिक दंगे की रिपोर्ट को पूरी तरह मीडिया या अन्य मंचों पर उजागर किया गया हो । इस रिपोर्ट की उपयोगिता को देखते हुए इसे हासिल करके इसके महत्वपूर्ण हिस्सों को इस अंक में प्रकाशित किया जा रहा है । इस रिपोर्ट से इस दंगे की हक़ीक़त का पता चल ही जाता है ।

–संपादक

प्रेस परिषद के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री मार्कंडेय काटजू ने सुश्री तीस्ता सीतलवाड़, संयुक्त संपादक, 'कम्युनिज़्म कम्बैट', सबरंग कम्यूनिकेशन एंड पब्लिशिंग प्रा॰लि॰, जुहू मुम्बई की शिकायत जो फ़ैज़ाबाद में 24 अक्तूबर 2012 तथा उसके बाद चौक भदरसा, रुदौली या अन्य स्थानों पर हुई साम्प्रदायिक हिंसा, आगज़नी, लूटपाट, 'आपकी ताक़त' समाचार पत्र के कार्यालय में हुई घटनाओं तथा संवाद माध्यमों के ग़ैर-पेशेवराना प्रवृत्तियों के संबंध में थी पर दिनांक 30-10-2012 को श्री शीतला सिंह एकल सदस्यीय आयोग का गठन प्रेस परिषद अधिनियम 1978 की धारा 8 (1) के अन्तर्गत किया ।

उपरोक्त शिकायत में बाबरी मस्जिद विध्वंस जो 20 वर्ष पहले हो चुका था उसका भी ज़िक्र किया गया था जिसमें योगी आदित्यनाथ तथा फ़ैज़ाबाद के कुछ साम्प्रदायिक तत्वों का भी हवाला दिया गया था जो साम्प्रदायिकता फैलाने पर उतारू थे। इस संबंध में प्रेस परिषद की सचिव श्रीमती विभा भार्गव और सूचना एवं जन संपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का भी साम्प्रदायिक तनाव और मीडिया के रोल के संबंध में एक सदस्यीय समिति के गठन के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार से माननीय समिति को जांच में पूर्ण सहयोग एवं वांछित सूचना उपलब्ध कराने का आग्रह भी था ।

समिति ने अपने कई जांच सत्र आयोजित किये और सभी प्रेस मीडिया संगठनों, पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों, दंगा प्रभावित व्यक्तियों एवं अन्य पक्षकारों को सुना तथा सभी घटनाओं की वीडियोग्राफ़ी भी की ।

'आपकी ताक़त' (साप्ताहिक) पर हमला

'आपकी ताक़त' के संपादक श्री मंज़र मेहदी के पत्र दिनांक 7-11-2012 के अनुसार मैं 24 अक्तूबर को रात्रि के लगभग 11 बजे चौक आया तो उस समय चारों ओर अंधेरा था चौक में दुकानें जल रही थीं फ़ायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझा रही थीं । मैंने डी॰एम॰, एस॰पी॰ जो उस समय मौजूद थे से अपने साथ मस्जिद के ऊपर चलने का आग्रह किया । मैं अपने आफ़िस को देखना चाहता था जिसमें लूटपाट हुई थी । दोनों आला अफ़सरों के साथ अयोध्या के विधायक और सपा के ज़िलाध्यक्ष भी मस्जिद के ऊपर आ गये, मेरे आफ़िस के पास शीशे का काम करने वाले शादाब की दुकान पूरी तरह जला दी गयी थी। मेरे आफ़िस में रखे कंप्यूटर, कैमरा और लैपटाप वग़ैरह दंगाई लूट ले गये थे, आफ़िस के अन्दर जमकर तोड़फोड़ की गयी थी । श्री मंज़र मेहदी के अनुसार 24 अक्तूबर 2012 का दंगा पूरी तरह सुनियोजित था । मुसलमानों की दुकानें चुन-चुनकर जलायी गयीं । 'आपकी ताक़त' के आफ़िस पर संपादक की जो नेमप्लेट लगी थी उसे निशाना बनाया गया था । उनका यह भी कहना है कि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं

दंगों के जांच-आयोगों की उपेक्षा न करें

श्री मंज़र मेहदी के अनुसार 24 अक्तूबर 2012 का दंगा पूरी तरह सुनियोजित था। मुसलमानों की दुकाने चुन-चुनकर जलायी गयीं। 'आपकी ताक़त' के आफ़िस पर संपादक की जो नेमप्लेट लगी थी उसे निशाना बनाया गया था। उनका यह भी कहना है कि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। अख़बार 'आपकी ताक़त' एक साथ हिन्दी, उर्दू में निकलता है जिसका नारा भी है कि 'हिन्दू-मुस्लिम दो भाई' और 'हिन्दी-उर्दू दो बहनें' हैं। इस घटना का मुख्य उद्देश्य मेरा मुस्लिम सम्प्रदाय का होना ही है।

है। अख़बार 'आपकी ताक़त' एक साथ हिन्दी, उर्दू में निकलता है जिसका नारा भी है कि 'हिन्दू-मुस्लिम दो भाई' और 'हिन्दी-उर्दू दो बहनें' हैं। इस घटना का मुख्य उद्देश्य मेरा मुस्लिम सम्प्रदाय का होना ही है। वे 'आपकी ताक़त' के 29 नवम्बर के अंक में दंगे का कारण लड़की छेड़े जाने की घटना बताया था। न तो किसी को उसका नाम मालूम है, न पता और न लड़की या उसके परिवार की ओर से कोई शिकायत ही पुलिस में दर्ज करायी गयी है। उनका मानना है कि चूंकि मुसलमानों की दुकानें चुन-चुनकर जलायी गयी थीं, इसलिए यह घटना भी देश के दुश्मनों की है, जो मेरे भी दुश्मन हो सकते हैं, साम्प्रदायिक कारणों से मेरे कार्यालय पर भी हमले हुए। उनका कहना है कि मैं हमेशा राष्ट्रीय एकता, आपसी सौहार्द व भाईचारे के लिए अख़बार में लिखता रहता हूं और साथ ही अपनी संस्था गुलदस्ता प्रोडक्शन सोसायटी के बैनर तले आपसी भाईचारे का कार्यक्रम भी कराता रहता हूं। वे इससे इन्कार करते हैं कि घटना उनके किसी लेखन पर की गयी प्रतिक्रिया थी, बल्कि वे यही कहते हैं कि ऐसा केवल साम्प्रदायिक कारणों से ही किया गया। समाचारपत्रों की भूमिका तथा उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तथा टिप्पणियों को घटनाओं के विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रश्न पर विचार करते हुए पूर्व में घटित घटनाओं का संज्ञान लिया गया। दिनांक 21 सितम्बर 2012 की रात्रि में विख्यात देवकाली मंदिर से तीन मूर्तियां चोरी हो गयी थी। इस संबंध में मुक़दमा अपराध संख्या 3262 दिनांक 22-9-12 कोतवाली फ़ैज़ाबाद में दर्ज हुआ। दिनांक 22-9-12 को मूर्तियों की चोरी के विरोध में श्री लल्लू सिंह पूर्व विधायक, श्री रामचन्द्र यादव विधायक, श्री अशोक कसौधन एवं अन्य द्वारा धरना दिया गया जिसके संबंध में 'हिन्दुस्तान' समाचार पत्र के दिनांक 23-9-12 के अंक में समाचार प्रकाशित हुआ। दिनांक 23-9-12 को 'हिन्दुस्तान' समाचार पत्र में श्री डॉ॰ राम विलास वेदांती पूर्व सांसद का यह बयान प्रकाशित हुआ कि यदि मंदिर के आसपास निवास करने वाले एक विशेष वर्ग के लोगों को खंगाला जाए तो इसका खुलासा हो जाएगा। मूर्तियों की चोरी को हिन्दुओं की भावनाओं और धर्म पर हमला बताया गया। विश्व हिन्दू महासंघ के ज़िला अध्यक्ष मनीष कुमार और हिन्दू युवा वाहिनी के ज़िलाध्यक्ष शंभूनाथ जायसवाल ने भी अपने संगठनों की बैठक की। श्री लल्लू सिंह पूर्व विधायक और श्री विजय गुप्ता चेयरमैन नगरपालिका परिषद फ़ैज़ाबाद द्वारा बंद का आह्वान किया गया। दिनांक 23-9-12 को आयोजित बंद में केन्द्र दुर्गा पूजा समिति और हिन्दू युवा वाहिनी सहित अनेक व्यक्तियों ने इस बंद में भाग लिया। फ़ैज़ाबाद चौक सब्ज़ीमंडी में बंद आयोजनकर्ताओं और मुस्लिम दुकानदारों के बीच झड़प भी हुई जिसमें पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। इस संबंध में दिनांक 24-9-12 को समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए।

दिनांक 21-9-12 से 12-10-12 तक प्रतिदिन मूर्ति चोरी की घटना के विरोध में धरना एवं प्रदर्शन आयोजित हुए। इन आयोजनों के दौरान ये बार-बार दोहराया गया कि

मूर्ति की चोरी हिन्दुत्व पर हमला है । आन्दोलन कार्यों द्वारा पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाये गये और मंदिरों के कपाट भी बन्द किये गये । कोतवाली का घेराव किया गया और मौन जुलूस निकाले गये । प्रतिदिन इस प्रकार के प्रदर्शन हुए जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए । 'हिन्दुस्तान' समाचार पत्र के दिनांक 26, 27, 28 व 30-9-12 के अंकों में समाचार प्रकाशित हुए । दिनांक 2 अक्तूबर और 7 अक्तूबर को भी 'हिन्दुस्तान' समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित हुए।

दिनांक 13-10-12 को हिन्दू युवा वाहिनी के अध्यक्ष सांसद योगी आदित्यनाथ ने देवकाली मंदिर पर अनेक धर्माचार्यों के साथ जनसभा की जिसमें उन्होंने कहा कि मूर्तियों की चोरी हिन्दुत्व पर हमला है और सूबे में हिन्दू विरोधी सरकार है । इस दौरान उन्होंने अनेक उत्तेजक बातें कही, उत्तेजक गीत भी गाये । उन्होंने कहा कि आस्था पर चोट की जा रही है । जगह-जगह अपमानित किया जा रहा है । हिन्दू निरीह व कमज़ोर हो गया है जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है । हमारे बीच रहकर पूरी सुविधा लेने वाले हमारी आस्था पर प्रहार कर रहे हैं । ऐसे लोगों को पहचानना होगा । अयोध्या में गुलामी का प्रतीक ढांचा ढह गया तो धर्मनिरपेक्ष दलों ने ख़ूब रोना रोया । कश्मीर में हिन्दुओं का उत्पीड़न इन लोगों को नहीं दिख रहा है । असम में मुंहतोड़ जवाब दिया गया तो धर्मनिरपेक्षता ख़तरे में पड़ गयी । श्री वेदांती पूर्व सांसद ने कहा कि राम जन्मभूमि पर आतंकी हमले में भी इसी पार्टी के झंडे लगे वाहन से आतंकवादी और विस्फोटक पहुंचाये गये थे, पुलिस ने चालक को वैसे ही छोड़ दिया ।

योगी आदित्यनाथ, श्री वेदांती और अन्य द्वारा दिये गये उक्त बयानों का प्रकाशन दिनांक 14 अक्तूबर 2012 को समाचार पत्र अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान और राष्ट्रीय सहारा में हुआ । पूर्व सांसद डॉ० राम विलास वेदांती ने कहा कि सपा के शासनकाल में हिन्दुओं की आस्था पर चोट करने वाली घटनाएं बढ़ जाती हैं । उन्होंने कहा कि मूर्ति चोरी में किसी आतंकवादी संगठन के हाथ होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । चाणक्य परिषद के संरक्षक कृपा निधान तिवारी ने आत्मदाह की धमकी दी । दिनांक 15 अक्तूबर को प्रदर्शन कर रैली निकाली गयी ।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि दिनांक 21 सितम्बर 2012 की रात्रि में मूर्ति चोरी होने के बाद से श्री लल्लू सिंह पूर्व विधायक भाजपा, रामचन्द्र यादव विधायक भाजपा व अशोक कसौधन चेयरमैन नगर पालिका रुदौली अन्य ने धरना प्रदर्शन जुलूस आयोजित किये जिसमें भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ जो कि हिन्दू युवा वाहिनी के अध्यक्ष हैं और पूर्व सांसद श्री वेदान्ती ने हिस्सा लिया । इन सभी ने अपने भाषणों और बयानों में मूर्ति चोरी को मुसलमानों से जोड़ा और सपा सरकार को भी निशाना बनाया इससे भोली-भाली जनता में मुस्लिम विरोधी संदेश गया और नफ़रत फ़ैली जिसने 24 अक्तूबर को घातक रूप इख़्तियार किया । मूर्ति चोरी की घटना समान रूप से वैसी ही घटना थी जैसी अन्य मंदिरों से मूर्ति चोरी की घटनाएं होती हैं । और जिनमें अपराधियों को पकड़ने के लिए क़ानून अपना काम करता है परन्तु उनका साम्प्रदायिक हिंसा और नफ़रत फैलाने के लिए उपयोग नहीं होता है परन्तु देवकाली मंदिर की मूर्तियों की चोरी को हिन्दू आस्था पर हमला और आतंकवादियों के हाथ होने की संभावना बताकर सपा सरकार पर निशाना साधा गया । वह राजनीति से प्रेरित था और उसका कोई औचित्य नहीं था यह सब कुछ सोची-समझी योजना के तहत किया गया प्रतीत होता है कि राजनीतिक लाभ उठाया जा सके ।

इस संबंध में श्री के०पी० सिंह भी इसमें मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाते हैं जिनकी शिकायत संलग्न है ।

जहां तक 24 अक्तूबर 2012 को आरंभ होने वाली घटनाओं जिसमें अल्हवाना, बिगनियापुर, शुजागंज, भदरसा और ग्रामीण क्षेत्रों तारुन, बीकापुर तथा इनायतनगर थाना क्षेत्रों में हुई घटनाओं का संबंध है इस संबंध में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-

दिनांक 24 अक्तूबर की क्रमवार घटनाएं :

अल्हवाना

दिनांक 24 अक्तूबर 2012 को रुदौली थानान्तर्गत पवन कुमार द्वारा मुक़दमा अपराध संख्या 1014 सन 12 अन्तर्गत धारा 147,323, 427, 506 आई०पी०सी० इम्तियाज़ व 15 अन्य के विरुद्ध दर्ज कराया गया । इस रिपोर्ट पर प्रार्थी के रूप में रमेश चन्द्र राज कुमार संजीव कुमार व अन्य कई ने हस्ताक्षर किये हैं । मूर्ति विसर्जन जुलूस का संयोजक रमेश

चन्द्र है जिसने स्वयं को बजरंग दल का सदस्य बताया है ।

रिपोर्ट के अनुसार 24 अक्तूबर को दोपहर 12 बजे जब ट्रैक्टर ट्राली इम्तियाज़ के घर के सामने पहुंची तो एक छोटा बच्चा रोने लगा और जैसे ही ट्राली से उतरने लगा तो इम्तियाज़ ने कहा कि ट्राली आगे नहीं बढ़ेगी और रिपोर्ट में नामज़द मुसलमान लड़के ट्राली पर चढ़ गये और सभी मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया और महिलाओं व बच्चों की पिटाई की ।

उपरोक्त रिपोर्ट में इम्तियाज़ द्वारा ट्रैक्टर ट्राली रोकने का जो कारण वादी पवन कुमार द्वारा बताया गया वह सामान्य बुद्धि से परे है बच्चे के रोने से इम्तियाज़ को क्या परेशानी हुई वह समझ में नहीं आती । प्रतीत होता है कि यह पवन कुमार द्वारा गढ़ी गयी कहानी है (दूसरे रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि सभी मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया) यह सत्य नहीं क्योंकि घटना की जो वीडियो फ़िल्म समिति के समक्ष साक्ष्य के रूप में श्री असद हयात द्वारा प्रस्तुत की गयी उसको अवलोकित किया गया जिसमें यह पाया गया कि दुर्गा प्रतिमा ट्राली पर सुरक्षित खड़ी है और क्षतिग्रस्त नहीं है । यह प्रतिमा अल्हवाना में प्राइमरी स्कूल के पास खड़ी है जो इम्तियाज़ का निवास पार करने के बाद ग्राम के बाहरी हिस्से में है । इस प्रकार वादी पवन कुमार का यह आरोप झूठा है कि रिपोर्ट में नामित मुसलमान लड़के ट्राली पर चढ़ गये और सभी मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया ।

घटनाएं-भेलसर, बिगिनिया पुल, शुजागंज

अल्हवाना की घटना के पश्चात विधायक राम चन्द्र यादव और अशोक कसौधन चेयरमैन रुदौली के इशारे पर भेलसर चौराहे पर मुसलमानों की दुकानों, मकानों को लूटा व जलाया गया । उनके वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया । राहगीरों को पीटा गया । इस संबंध में नसीम अख़्तर द्वारा मुक़दमा अपराध संख्या 1016 सन 12 अन्तर्गत धारा 147, 336, 427, 504 आई॰पी॰सी॰ थाना रुदौली में दर्ज कराया गया । इसमें विधायक रामचन्द्र यादव और अशोक कसौधन चेयरमैन सहित 21 अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज कराया । मुक़दमा अपराध संख्या 1020 सन 12 मौलाना मुहम्मद आसिफ़ अध्यक्ष मस्जिद भलेसर द्वारा थाना रुदौली अन्तर्गत धारा 143, 295, क, 427, 336, 323, आई॰पी॰सी॰ रोशन पासवान व पचपन अन्य नामज़द अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज कराया कि अभियुक्तों ने 4 बजे दिन में मस्जिद पर पथराव किया व मुसलमानों की दुकानों को तोड़ा । इन दोनों की मुक़दमा की विवेचना प्रचलित है । प्रभारी निरीक्षक श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह ने अपने बयान में कहा है कि दंगाइयों ने भेलसर तिराहे व नेशनल रोड तिराहे पर जाम लगाया जिसको पुलिस अधीक्षक व ज़िला अधिकारी द्वारा खुलवाया गया जिसकी प्रतिक्रिया में बिगिनिया पुल पर मुसलमानों की गुमटियों को पलट दिया व दो छप्परों में आग लगा दी । विगिनिया पुल की 24 अक्तूबर 2012 की इस घटना के संबंध में रियाज़ अहमद द्वारा मुक़दमा अपराध संख्या 1019 अंतर्गत धारा 143, 295, 29क, 427, 504, 436, 336 आई॰पी॰सी॰ हरीशरण और 27 अन्य नामज़द अभियुक्तों के ख़िलाफ़ दर्ज कराया हैं जिसमें कहा गया है कि नामज़द अभियुक्तों द्वारा रियाज़ अहमद और 25 अन्य मुसलमानों की दुकानों को लूटा, तोड़ा और उनमें आग लगा दी, मस्जिद को भी क्षति पहुंचायी और मुसलमानों को ज़िंदा जलाने की कोशिश की । पीड़ित दुकानदारों के नाम ज़ुबैर, नईम, शेर मुहम्मद, शमीम हयात, अलकलीम, अमीम, वसीम, अतीक़, आशिक़ अली, हाशिम, अलीम, हनीफ़, हसीब, कल्लू, अकबर अली, मुनीर अहमद द्वारा अंतर्गत धारा 143, 506, 295क, आई॰पी॰सी॰ थाना रुदौली में विनोद सिंह व 7 अन्य नामज़द के ख़िलाफ़ दर्ज करायी है कि दिनांक 24-10-12 को अभियुक्तों ने मस्जिद को जाने वाली बिजली की लाइन के खंभों को गिरा दिया और पेड़ों को काट कर सड़क पर जाम लगाया तथा मुसलमानों व इस्लाम विरोधी नारे लगाए तथा जान से मारने की धमकी दी ।

ग्राम अल्हवाना भेलसर चौराहा, बिगिनिया पुल और शुजागंज की घटनाएं एक ही सूत्राधार से जुड़ी हैं जो कि विधायक रुदौली और चेयरमैन रुदौली है जिनके सहायक पवन कुमार, कृष्ण दत्त पाठक और दूसरे अन्य व्यक्ति हैं जिन्हें दर्ज कराये गये मुक़दमों में अभियुक्त बनाया गया है । श्री राम चन्द यादव की भूमिका दंगे की साज़िश के मुख्य सूत्राधार के रूप में सामने आती है । देवकाली मंदिर से मूर्तियां चोरी होने के बाद सर्वप्रथम धरना आयोजित करने वाले भी वही थे ।

भदरसा क़स्बा और ग्रामीण क्षेत्र की घटनाएं

भदरसा में दिनांक 24-10-12 को शाम 4 बजे तक पूरी तरह शांति तथा साम्प्रदायिक तनाव नहीं था शाम साढ़े पांच बजे बाज़ार में जब मूर्ति विसर्जन जुलूस निकल रहा था तब अफ़रा-तफ़री मच गयी उसके बाद जो हुआ उसके संबंध में परस्पर विरोधी तथ्य सामने आये हैं। अनुराग गुप्ता द्वारा मुक़दमा अपराध संख्या 684 सन 12 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 506, 302, आई०पी०सी० दर्ज कराया गया जिसमें सद्दू क़ुरैशी सहित 13 को अभियुक्त बनाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़ी मस्जिद के पास नामज़द अभियुक्तों ने ललकार कर कहा कि इन लोगों को जान से मार दो और किसी को छोड़ना नहीं। इस पर इक़बाल ने दुर्गा प्रसाद को पकड़ कर खींच लिया और सद्दू ने पीठ में चाक़ू मार दिया और लोगों ने ईंट गुम्मा बरसाना शुरू कर दिया जिसमें दुर्गा प्रसाद की मृत्यु हो गयी। अनुराग गुप्ता की इस रिपोर्ट से क्रास वर्जन में तौहीद पुत्र जब्बार द्वारा अंतर्गत धारा-156(3) सी०आर०पी०सी० प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया गया है कि थाने पर उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि जुलूस के दौरान गुप्पी नाम का लड़का अफ़वाह फैलाने लगा कि रुदौली के आसपास मूर्ति तोड़ दी गयी है और रामबोध सोनी, रामू सोनी, भगवती प्रसाद उर्फ़ दयालू, भोला मास्टर उर्फ़ भगवती गुप्ता और अन्य लोग भी आ गये और कहने लगे कि रुदौली से विधायक जी ने कहा है कि जुलूस रोक लो, विसर्जन मत करो। माता जी का मुसलमानों ने अपमान किया है। इस पर ये लोग ने तौहीद व अन्य लोगों की दुकानों पर पथराव, लूटपाट व आगज़नी करने लगे। तौहीद के मना करने पर उपरोक्त लोगों ने ललकारा और कहा कि सालों को जान से मार डालो तब गुप्पी तौहीद को जान से मारने की नीयति से आगे बढ़ा, तौहीद पीछे हट गया और चाक़ू तौहीद के बराबर में खड़े दुर्गा प्रसाद को लगा जिससे उनकी मौत हो गयी। इस घटना को बहुत से लोगों ने देखा। तौहीद व अन्य लोगों की दुकानों को जलाकर राख कर दिया गया।

भदरसा की 24 अक्तूबर की घटनाओं का प्रभाव

दिनांक 26 अक्तूबर 12 को थाना पूरा कलन्दर की जनरल डायरी को एंट्री नम्बर 20 में उल्लेख किया गया है कि समाचार पत्र दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, अमर उजाला में प्रकाशित ख़बरों को पढ़कर भदरसा व आसपास के क्षेत्र के विभिन्न संप्रदायों में एक-दूसरे संप्रदाय के लोगों में जनाक्रोष व्याप्त हो गया है तथा जनमानस में भय का वातावरण बना हुआ है। सांप्रदायिक सद्भावना क़ायम नहीं हो पा रही है। क्षेत्र के सामान्य जनसमुदाय में लोक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी हैं आज भी क़स्बा भदरसा व आसपास की सड़कें भय व आतंक के कारण सुनसान हैं। दिनांक 24 व 25 अक्तूबर को हुई घटनाओं के संबंध में पीड़ितों द्वारा कई रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। मुहम्मद इस्माईल द्वारा मुक़दमा अपराध संख्या 699 सन 12, शमसुद्दीन द्वारा मुक़दमा अपराध संख्या 701 सन 12, अब्दुल वहीद द्वारा मुक़दमा अपराध संख्या 701ए सन 12 इस्राईल ख़ां द्वारा मुक़दमा अपराध संख्या 701बी और शौकत उल्लाह द्वारा मुक़दमा अपराध संख्या 688ए, मुहम्मद इश्तियाक़ द्वारा मुक़दमा अपराध संख्या 688 सन 12 दर्ज कराया गया है। दिनांक 27-10-12 को एंट्री नम्बर 14 समय 14:30 पर एस०ओ० चन्द्रभान यादव द्वारा दिनांक 26 अक्तूबर की रात्रि को घटित घटनाओं का उल्लेख किया गया है जिसमें लिखा है कि फ़तेहपुर जिवपुर कैलकेशवपुर, मिर्ज़ापुर, निमौली, मीराजैन, बभगन गवां आदि गांव में भी आगज़नी व उपद्रव की सूचना फ़ोन पर लगातार आ रही थी। मुहल्ला फुलवरिया में चारों दिशाओं से एक दो मील के अन्दर झोपड़ियों व मकानों में आग लगा दी गयी थी और उत्तेजित करने वाले नारे लगाये जा रहे थे और आग की लपट दिखायी पड़ रही थी। पुलिस बल व अधिकारी 2 हज़ार उपद्रवियों से घिरे थे। इसी समय सूचना म्रिल रही थी कि लालपुर में एक सेक्शन ड्यूटी पर मौजूद पी०ए०सी० एक हज़ार उपद्रवियों से घिर गयी है।

थाना अध्यक्ष द्वारा जो उपरोक्त उल्लेख किया गया है उससे यह प्रश्न पैदा होता है कि भदरसा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में दिनांक 24 अक्तूबर की रात्रि में ही प्रशासन द्वारा कर्फ़्यू क्यों नहीं लगाया गया और क्यों उपद्रवियों को अवसर मिला कि उन्होंने जमकर लूटपाट व आगज़नी की।

थाना तारुन, थाना बीकापुर की घटनाएं

थाना बीकापुर अंतर्गत शकील अहमद द्वारा मुक़दमा अपराध संख्या 670 सन 12 लुट्टर शुक्ला व 15 अन्य

नामज़द व 150 अज्ञात के विरुद्ध दर्ज कराया । उन अभियुक्तों ने 11 मुसलमानों की दुकानों व मकानों में आग लगा दी जो गांव उमरपुर और रूरू चौराहे पर थे । मुक़दमा संख्या 669 सन 12 अब्दुस सलाम द्वारा थाना बीकापुर में दर्ज करायी गयी जिसमें अशोक गुप्ता, सियाराम निषाद और अन्य को अभियुक्त बनाया गया । थाना बीकापुर के अंतर्गत राम पूरे बजाज बबुरिहा ओंधा तेंदुआमाफ़ी तोरोमाफ़ी शेरपुर इछौरी शेरपुर कोतवाली दशरथपुर ग्रमों में भी आगज़नी की घटनाएं हुईं ।

थाना इनायतनगर की घटनाएं

दिनांक 25 अक्तूबर 2012 को शाहगंज में साम्प्रदायिक दंगाइयों द्वारा मुहम्मद उमर की हत्या कर दी गयी । और इस घटना में उमर का पुत्र मारूफ़ घायल हुआ जिसके द्वारा मुक़दमा अपराध संख्या 879 सन 12 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 302, 120बी आई०पी०सी० दर्ज कराया गया । जिसमें 21 व्यक्तियों को नामज़द किया । रिपोर्ट के अनुसार 25-10-12 को जब वह खेत पर अपने पिता मुहम्मद उमर के साथ काम कर रहा था तो नामज़द अभियुक्त वहां आये और मारने-पीटने लगे जिससे उमर की मौक़े पर ही मौत हो गयी और वह जान बचाकर भाग आया।

फ़ैज़ाबाद नगर की घटनाएं

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि देवकाली मंदिर मूर्ति चोरी की घटना की आड़ में नगर फ़ैज़ाबाद में साम्प्रदायिक नफ़रत फैलायी गयी । दिनांक 24 अक्तूबर 2012 को मूर्ति विसर्जन जुलूस आयोजित किया गया था । कार्यालय ज़िला मजिस्ट्रेट श्री दीपक अग्रवाल ने आदेश जारी किया और शांति व्यवस्था बनाने के लिए अधिकारियों को क्षेत्र आवंटित किये । नगर फ़ैज़ाबाद में श्री तिलक धारी सिंह यादव को शान्ति व्यवस्था का प्रभार दिया गया । श्री ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव डिप्टी कलेक्टर को जुलूस के पीछे रहकर शांति व्यवस्था सुनिश्चित करना था । जुलूस के प्रारम्भ होने का समय 10 बजे प्रात: निर्धारित था । श्री भुल्लन यादव निरीक्षक फ़ैज़ाबाद कोतवाली ने समिति को अपना लिखित बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दोपहर 2.30 बजे जी०आई०सी० कालेज से क्रमवार निकल रही मूतियों के क्रम को तोड़कर कुछ मूर्तियां जुलूस में प्रवेश कर रही थीं । जिससे विवाद पैदा हो गया, समय क़रीब 5:30 बजे जुलूस रिकाबगंज में था । प्रश्न यह है कि जिस जुलूस को 10 बजे प्रात: प्रारंभ होना था वह जुलूस 5.30 बजे शाम को रिकाबगंज पहुंचा । प्रश्न यह है कि जब जुलूस रिकाबगंज पहुंचा तो कितनी ट्राली रिकाबगंज से आगे निकल चुकी थी । और कितनी रिकाबगंज से जी०आई०सी० कालेज तक खड़ी थीं ।

श्री मनोज जायसवाल जो केन्द्रीय दुर्गापूजा समिति के अध्यक्ष हैं ने अपना बयान लिखित समिति के समक्ष दिया और जुलूस में शामिल 120 ट्रालियों की सूची भी दी है । अपने बयान में उन्होंने कहा है कि वह जुलूस में आगे चल रहे थे और 4 बजे मरीनघाट पहुंच गये थे और 17 नवम्बर तक की मूर्तियों का विसर्जन करा चुके थे । 18 से 43 नम्बर तक की मूर्तियों को सदर बाज़ार से टी०वी० टावर तक रोक ली गयी । यह लोग विसर्जन नहीं कर रहे थे, रोके हुए थे । 44 से 120 नम्बर तक की मूर्तियां रिकाबगंज से चौक फ़तेहगंज में रुकी थीं । श्री मनोज जायसवाल आगे अपने बयान में कहा कि सूर्यकान्त पांडेय प्रशासन और अन्य लोगों ने उन्हें फ़ोन पर कहा कि जुलूस को आगे बढ़वाइये तब वे मीरनघाट से रिकाबगंज पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया तो नवजवान लोग उन पर उत्तेजित हो गये और उनको घेर लिया और कहा कि मूर्तियों को हम विसर्जित नहीं करेंगे क्योंकि पापुलर गली की घटना छेड़खानी और पथराव पर उन्हें रोष था और लोग गुस्से में थे । श्री जायसवाल ने अपने बयान में आगे कहा कि मीरनघाट पर टेलीफ़ोन पर सूचना मिली कि 45 और 46 नम्बर की मूर्ति जो पापुलर गली के पास थी लड़की की छेड़खानी को लेकर कुछ विवाद हो गया है और पथराव हुआ है । मौक़े पर एस०पी० सी०टी० और चौकी प्रभारी पंहुंच गये थे । तब तक मनोज जायसवाल मौक़े नहीं थे और रात्रि 8 बजे जुलूस को आगे बढ़ाने के लिए जब वह रिकाबगंज चौराहे पर पहुंचे तो दुकानों में तोड़-फोड़ व आगज़नी की उन्हें जानकारी हुई ।

श्री मनोज जायसवाल के उपरोक्त बयान से यह निष्कर्ष निकलता है कि पापुलर गली के सामने 45 व 46 नम्बर की

ट्राली खड़ी थी जिनमें 45 नम्बर की ट्राली मां शारदा शक्ति दुर्गापूजा समिति अंजनीपुरम देवकाली की थी और 46 नम्बर की ट्राली जय मां विंध्यावासिनी दुर्गापूजा समिति सिटी स्टेशन की थी। श्री मनोज जायसवाल द्वारा आधी जानकारी अपने बयान में दी है परन्तु उन्होंने यह स्वीकार किया है कि वे घटना स्थल पर मौजूद थे और 8 बजे तक रिकाबगंज चौक में मौजूद थे जब लूटपाट और आगज़नी हो रही थी। श्री मनोज जायसवाल जो दुर्गापूजा आयोजन समिति के अध्यक्ष थे और जिनके पास ट्रालियों की पूरी सूची और जानकारी थी, वे अवश्य जानते थे कि किस ट्राली पर कौन-कौन लोग बैठे हैं और कौन साथ में हैं। क्योंकि जिन नवजवानों ने उन्हें घेरा वे यही कह रहे थे कि मूर्तियों का विसर्जन नहीं करेंगे और पापुलर गली की छेड़खानी और पथराव से नाराज़ थे। यह कोई भीड़ नहीं थी कि उसमें शामिल अभियुक्तों की पहचान न हो सके। बल्कि विभिन्न-विभिन्न दुर्गा पूजा कमेटियों के रूप में जुलूस में शामिल एक संगठित समूह था। यदि विसर्जन ट्रालियों के मालिकों और उन पर बैठे और साथ चल रहे लोगों का किसी छेड़छाड़ की घटना और पथराव से कोई लेना देना नहीं था तो उन्होंने जुलूस को क्यों रोका ? इतने सारे प्रश्नों का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है। क्या लड़की छेड़ की घटना और पथराव की कहानी गढ़ना दंगे की साज़िश थी। इस पर विचार करने के लिए कुछ अन्य तथ्यों व साक्ष्यों को भी देखना होगा।

फ़ैज़ाबाद जनपद में जुलूस संचालन में हुई ग़लती

बिन्दु नम्बर एक पर तथ्यों का विश्लेषण करते समय अधिकारियों द्वारा दिये गये बयानों और साक्ष्यों का विस्तार से विवरण आया है।

श्रीकांत मिश्रा तत्कालीन अपर ज़िला मजिस्ट्रेट नगर (निर्लंबित) द्वारा ज़िला अधिकारी का आदेश संख्या 743 दिनांक 20 अक्तूबर 12 प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार श्री अमित कुमार अपर ज़िला अधिकारी को दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन जुलूस के आगे की व्यवस्था का प्रभार दिया गया था और श्री ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव डिप्टी कलेक्टर को जुलूस के पीछे रहकर शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रभार दिया गया था और श्री कंचन राम उप ज़िला मजिस्ट्रेट मिल्कीपुर को राजकीय इंटर कॉलेज फ़ैज़ाबाद में उपस्थित रहकर शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रभार था। श्री तिलकधारी सिंह यादव नगर मजिस्ट्रेट को नगर फ़ैज़ाबाद की शांति व्यवस्था का प्रभार दिया गया था।

श्री सुरेन्द्र नाथ राय, श्री भुल्लन यादव ने अपने बयानों में कहा है कि दिनांक 24-10-12 की प्रातः 5 बजे तक सभी 120 मूर्तियां जी०आई०सी० मैदान में आ चुकी थीं और 10:50 मिनट पर जुलूस जी०आई०सी० मैदान में शुरू हुआ जिस समय सायं लगभग 5 बजे कथित विवाद शुरू हुआ। उस समय केवल 43 ट्राली ही रिकाबगंज चौराहा पार कर चुकी थीं जिनमें से 1 से 17 तक का विसर्जन मीरनघाट पर हो चुका था और 18 से 43 नम्बर तक की मूर्ति ट्राली सदर बाज़ार से टी०वी० टॉवर तक रुकी थी जो विसर्जन नहीं कर रहे थे।

कर्फ़्यू की घोषणा

उपरोक्त विवरण में यह स्थापित तथ्य है कि क़स्बा भदरसा में शाम 5:30 बजे और इसी समय नगर फ़ैज़ाबाद में मूर्ति विसर्जन जुलूसों के दौरान दंगा प्रारंभ हुआ जिनमें भारी हानि हुई और लोक व्यवस्था भी छिन्न-भिन्न हो गयी। भदरसा और फ़ैज़ाबाद दोनों स्थलों पर लगभग 100-100 से अधिक दुकानों और मकानों को लूटा व जलाया गया। भदरसा और उसके समीपवर्ती गांवों में इसकी पुनरावृत्ति 25, 26, 27 अक्तूबर को भी हुई। जिनमें फिर जनहानि हुई।

इसका विवरण थाना पूरा कलंदर की जी०डी० दिनांक 27 अक्तूबर 2012 में भी दर्ज है। 24 अक्तूबर को दिन के समय ग्राम अल्हवाना और भेलसर चौराहा की घटनाओं के पश्चात भदरसा फ़ैज़ाबाद और शाहगंज में दंगा शुरू हुआ तब तुरंत ज़िला प्रशासन को बढ़े क़दम उठाते हुए संपूर्ण जनपद के प्रभावित क्षेत्रों में कर्फ़्यू की तुरंत घोषणा और हिंसा, उपद्रव रोकने के हर संभव उपाय कर देने चाहिए थे। परंतु ऐसा नहीं किया गया। दंगाई पूरी आज़ादी के साथ बिना डर लूटपाट व आगज़नी करते रहे और पुलिस मूकदर्शक बनी रही।

24 अक्तूबर को घटित घटनाओं को ज़िला प्रशासन ने पब्लिक आर्डर और क़ानून उल्लंघन नहीं माना जिसमें

दुकानों में भारी लूटपाट व आगज़नी हुई, सरकारी वाहनों फ़ायर ब्रिगेड को तोड़ा व जलाया गया और पुलिस बलों पर हमला किया गया। क्या इससे क़ानून व्यवस्था की स्थिति को ख़तरा नहीं हुआ ? परंतु जब 25 अक्तूबर 2012 को प्रात: चौक में जली हुई दुकानों के मंज़र को मुसलमानों द्वारा देखकर अपने गुस्से का इज़हार नारों द्वारा किया गया और प्रशासन के अनुसार भीड़ ने पुलिस बलों पर पथराव शुरू कर दिया तो प्रशासन को लगा कि क़ानून व्यवस्था ख़तरे में पड़ गयी है । यह प्रशासनिक अधिकारियों की भेदभावपूर्ण मानसिकता को दर्शाता है ।

यदि धार्मिक परंपरा के पालन में जुलूस निकालना उनका अधिकार है तो क़ानून व्यवस्था के अनुसार यह किया जाएगा किंतु क़ानून तोड़कर नहीं । यदि वे ऐसा करते हैं तो राज्य को उनके अधिकारों में हस्तक्षेप और उचित प्रतिबंध लागू करते हुए क़ानून व्यवस्था को संभालना चाहिए था और पीड़ितों को सुरक्षा देनी चाहिए थी । परंतु ज़िला प्रशासन के इस ग़लत निर्णय से दंगाइयों को छूट मिली और उन्होंने मूर्ति विसर्जन करने के बजाय जमकर लूटपाट, आगज़नी व तोड़फोड़ की और पुलिस बलों को भी पीटा । इससे पीड़ित मुस्लिम वर्ग की अपने मौलिक अधिकारों के प्रति आस्था और प्रशासन में विश्वास ख़त्म होने की स्थिति आयी ।

क्या यह दंगा भी उसी मानसिकता की पुनरावृत्ति थी कि अल्पसंख्यकों एवं घरों दुकानों को हानि से बचाना साम्प्रदायिक मानसिकता वालों पर कार्रवाई करना, उसे उत्तेजित तथा नाराज़ करना होगा इससे बचा जाना चाहिए । इस संविधान विरोधी भेदभावपूर्ण मानसिकता को उचित नहीं माना जा सकता । जब फ़ैज़ाबाद चौक की दुकानें उपद्रवियों द्वारा जलाई जा रही थीं उस समय बिजली संचालन व्यवस्था को ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा यह कहकर बन्द करवाना कि इससे लोगों की जानें जा सकती हैं उचित नहीं प्रतीत होता क्योंकि जब अपराध हो रहे हों तो घटना स्थल पर अंधेरा करना तथा मुग़लपुरा और हैदरगंज के जो शांत क्षेत्र थे उनकी भी बिजली प्रशासनिक आदेश से काटना उचित एवं संगत नहीं प्रतीत होता ।

फ़ैज़ाबाद में बिजली विभाग के मुख्य अभियंता का कहना है कि ऐसे अवसरों के लिए फ्यूज ट्रांसफार्मर तथा सब स्टेशनों पर प्रतिरक्षा उपाय पहले से ही मौजूद है जिनके कारण बिजली की लाइन स्वत: कट जाएगी ।

राज्य सरकार का सहयोग

जांच में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जांच के संबंध में विज्ञाप्तियों को समाचार पत्रों में विज्ञापन के रूप में छपवाने, सुनवाई स्थल के लिए कार्यालय उपलब्ध करवाने, सुनवाई तथा दौरों के लिए सरकारी वाहन की व्यवस्था करने एवं प्रत्येक घटना की वीडियो ग्राफ़ी की व्यवस्था भी की गयी ।

समिति के सहायक के रूप में सूचना विभाग के एक कर्मचारी की नियुक्ति की गयी । मुख्यमंत्री और सरकार के प्रयासों के कारण ही निलंबित अधिकारी तथा स्थानांतरित ज़िला अधिकारी समिति के समक्ष बयान देने आये । पुलिस अधीक्षक नगर सुभाष वगेत को अपना प्रतिनिधि बनाकर समिति के समक्ष जवाब देने के लिए भेजा । इस प्रकार मुख्यमंत्री और राज्य सरकार का समिति को पूर्ण सहयोग मिला ।

निष्कर्ष

1. फ़ैज़ाबाद तथा उसके आसपास साम्प्रदायिक दंगा किसी त्वरित घटना का परिणाम नहीं बल्कि साम्प्रदायिक सोच पर आधारित षड्यंत्र का परिणाम थी जिससे यह क्षेत्र विशेष के बजाय जिससे 50 किलोमीटर तक फैली ।

प्रशासनिक अकुशलता तथा साम्प्रदायिक दंगों से निबटने के लिए इच्छाशक्ति हीनता भी उसके लिए ज़िम्मेदार थी ।

2. फ़ैज़ाबाद के 'आपकी ताक़त' साप्ताहिक पत्र पर हमला किसी लेखन, विचार के कारण नहीं बल्कि साम्प्रदायिक उपद्रव के समय संपादक का धर्म और जाति थी ।

3. समाचार पत्रों की ग़ैर-पेशवाराना रिपोर्ट के कारण समाचार पत्रों का साम्प्रदायिकता से बचने तथा ऐसे दंगों की रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित आचार संहिता का पालन न करने की प्रवृत्ति थी ।

दिनांक : 08/02/2013

शीतला सिंह
सदस्य एवं अध्यक्ष,
एक सदस्यीय जांच समिति
फ़ैज़ाबाद, उ०प्र०

सुझाव एवं संस्तुतियां

1. जिन अधिकारियों पर कर्तव्यों की अवहेलना, अकुशलता और इच्छाशक्ति के अभाव का आरोप है, उन्हें प्रशासनिक अनुशासनहीनता का दोषी मानकर दंडित किया जाए और भविष्य में निर्णायक पदों पर नियुक्त न किया जाए ।

2. पुलिस और प्रशासन की साम्प्रदायिक दंगों में लिप्तता, ऐसी घटनाओं को रोकने में असफलता एवं दरगुज़र करने की प्रवृत्ति का मूल कारण साम्प्रदायिक सोच और मानसिकता होती है, जो देश के कई दंगों में देखी गयी है । इस संबंध में जबलपुर, सागर और नरसिंहपुर की 1961 की घटनाओं के संबंध में जस्टिस शिवदयाल श्रीवास्तव आयोग की रिपोर्ट, अहमदाबाद दंगों के संबंध में जस्टिस जगमोहन रेड्डी की रिपोर्ट, मई 1970 में भिवंडी जलगांव में हुए दंगों की जस्टिस डी॰पी॰ मदन आयोग की रिपोर्ट, अप्रैल 1969 में जमशेदपुर में हुए दंगे के संबंध में जस्टिस जे॰ नारायण की रिपोर्ट, 1982 के मेरठ दंगे के संबंध में भारतीय प्रशासनिक संस्थान के निदेशक श्री एन॰सी॰ सक्सेना की रिपोर्ट का अध्ययन करके उनकी संस्तुतियों के अनुसार क़दम उठाना उपयोगी होगा ।

3. साम्प्रदायिक संगठनों के संबंध में अनुचित गतिविधि निरोध अधिनियम 1967 के अनुसार भी कार्रवाई की जा सकती है ।

4. साम्प्रदायिक दुष्प्रचार, उसके प्रकाशन और प्रोत्साहन को रोकने के लिए भी राज्य द्वारा ऐसे क़दम उठाये जाने चाहिए जिससे उनकी पुनरावृत्ति रुके ।

5. 1990 के दशक के बाद दंगों का फैलाव शहरों से गांवों की ओर बढ़ रहा है । इस मानसिकता का मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी कराया जाना चाहिए ।

6. भारतीय प्रेस परिषद ने पत्रकारिता के आचरण, मानक तथा विशिष्ट मुद्दों पर 1969, 1991 एवं 1993 में जो दिशा-निर्देश जारी किये हैं, उनका अनुपालन न करने वाले संवाद माध्यमों को सरकारी सुविधाओं के लिए, राज्य और केन्द्र द्वारा, अपात्र की श्रेणी में डालना भी उचित क़दम हो सकता है । संवाद माध्यमों की मान्यता और सुविधा के समय उनके द्वारा इन दिशा-निर्देशों के अनुपालन की स्थिति पर भी विचार किया जाना चाहिए ।

7. उत्तर प्रदेश सरकार को प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों में बढ़ती हुई साम्प्रदायिक सोच का अध्ययन करके उचित क़दम उठाने के लिए एक समयबद्ध आयोग गठित करना चाहिए जिससे उसकी अनुशंसाओं पर अमल किया जा सके । साम्प्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के लिए भारत के गृहमंत्रालय द्वारा अक्तूबर 1997 में जो दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, उनके अनुसार ऐसा करने वालों के ख़िलाफ़ भारतीय दंड विधि की धारा-153ए, 153बी, 295, 298 और 505 का उपयोग किया जाना चाहिए ।

8. जातीय, भाषाई, धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा का दायित्व सरकार का है । इन वर्गों के लिए संविधान में विशेष व्यवस्थाएं की गयी हैं । यह संयुक्त राष्ट्र की 18 दिसम्बर, 1992 की घोषणाओं का भी अंग है । इसलिए इन अधिकारों की रक्षा राज्य का दायित्व है । जो लोग इसके विपरीत कार्य करते हैं उनकी पहचान और दंड देने की व्यवस्था भी राज्य को करनी चाहिए।

9. चूंकि इस दंगे में लोक व्यवस्था तथा अल्पसंख्यकों की जानमाल की रक्षा के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है इसलिए समग्र दोषियों की जांच एक न्यायिक आयोग या एक स्वतंत्र आयोग बनाकर की जानी चाहिए, जिससे सभी दोषियों को दंडित किया जा सके ।

10. अल्पसंख्यकों के जानमाल की रक्षा एवं सरकारी अधिकारियों के दायित्व निर्धारण करने वाली (प्रिवेंशन ऑफ़ कम्यूनल एंड टारगेटेड वायलेंस इक्सेस टू जस्टिस एंड रिपरेशन) विधेयक 2011 केन्द्र सरकार द्वारा पारित कराये जाने का प्रयास किया जाना चाहिए ।

शीतला सिंह
अध्यक्ष एवं सदस्य
एकल सदस्यीय जांच उप समिति

For Information On
City Shops, Roads, Restaurants, Magazine, Schools and much more.
Syed Shahbaz Alam Barvi
Business Development Director (09049185093)
Visit us:
www.shoppinglanes.com

कैसे हो विधवाओं का उद्धार ?

○ गुलज़ार सहराई

सुलभ इंटरनेशनल नामक स्वयंसेवी संस्था विधवाओं के सशक्तीकरण के लिए भी काम करती है । इसकी ओर से निराश्रित विधवाओं को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के अलावा 2000 रुपये मासिक भत्ता भी दिया जा रहा है ।

भारत में विधवाओं की दयनीय स्थिति संवेदनशील व्यक्तियों के लिए सदैव ही चिंता का विषय रही है, जिसे सुधारने के लिए समय-समय पर सकारात्मक प्रयास भी होते रहे हैं, परंतु आज तक न तो उनकी स्थिति में सुधार हुआ और न उनके प्रति जनमानस की सोच में कोई सकारात्मक बदलाव ही दिखायी देता है ।

यही नहीं, खुद सरकार की मानसिकता भी इस मामले में प्रचलित धारणा से अलग नहीं है । तभी तो सरकारी आश्रमों में रहने वाली विधवाओं को इस महंगाई के ज़माने में भी मात्र 850 रुपये मासिक (300 रुपये मासिक पेंशन +500 रुपये खान-पान+50 रुपये जेब ख़र्च) दिये जाते हैं ।

वृंदावन और मथुरा में विधवाओं की बदहाली पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा तीन वर्ष पूर्व कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार 5,000 वृद्ध विधवाएं और बेसहारा महिलाएं तब पूरी तरह से मिलने वाली भीख पर आश्रित थीं । इन महिलाओं में 74 प्रतिशत छत्तीसगढ़ से थीं । अधिकतर विधवाएं किराये पर कमरा लेकर रहती थीं और भीख मांगती थीं । ऐसे में रंगहीन विधवाओं के जीवन में रंग बिखेरने का उपर्युक्त प्रयास आशा की किरण तो जगाता है परंतु यह प्रतीकात्मक प्रयास विधवाओं के जीवन की वास्तविक रंगहीनता दूर करने में सफल होगा इसकी संभावना कम ही दिखायी देती है, क्योंकि विधवाओं की मूल समस्या मात्र रंगहीन वस्त्र नहीं, बल्कि उनके प्रति जनमानस के अन्तर्मन में बैठी विद्वेष, घृणा और अलगाववाद की वह कालिमा है, जिसने समाज का अंग होते हुए भी इन विधवाओं को समाज से बहिष्कृत कर रखा है ।

इसलिए जो लोग वास्तव में विधवाओं की स्थिति सुधारना चाहते हैं उन्हें समस्या के मूल कारणों की खोज करनी होगी । यह सर्वविदित है कि प्राचीन भारत में विधवा को पति की चिता के साथ सती होना पड़ता था और जो सती नहीं होती थीं, वे अत्यंत कष्टदायक और दयनीय जीवन जीने पर मजबूर होती थीं । उनके साथ क़दम-क़दम पर भेदभाव किया जाता था । दूसरा विवाह तो उनके लिए निषिद्ध था ही, दूसरों के विवाहों तथा खुशी के अन्य अवसरों पर उनकी छाया पड़ना भी अपशकुन माना जाता था, मानो अपने वैधव्य के लिए वे स्वयं दोषी हों । यह सब धर्म के नाम पर किया जाता था ।

ज़ाहिर है धर्म के नाम पर रची गयी यह नकारात्मक सोच आसानी से दूर नहीं की जा सकती । इस सोच को विशुद्ध धर्म विरोधी भी नहीं बदल सके हैं, क्योंकि धर्म इन्सान की नैसर्गिक आवश्यकता है, उससे विमुखता इन्सान को समाधान नहीं बल्कि जटिलताओं की ओर ले जाती है । ऐसे में क्यों न अन्य धर्मों की शिक्षाओं में भी इसका समाधान खोजा जाए । इस संबंध में इस्लाम की शिक्षाएं बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है ।

इस्लाम के अनुसार विधवा घृणा की नहीं बल्कि सहानुभूति की पात्र है और उसका पुनर्विवाह एक सामाजिक दायित्व और अत्यंत पुण्य का कार्य बताया गया है । इस्लाम में बहुपत्नीत्व का जो प्रावधान रखा गया उसका एक उद्देश्य विधवा और परित्यक्त महिलाओं को आश्रय देना भी है, जो ज़ाहिर है इससे ज़्यादा बेहतर ढंग से नहीं दिया जा सकता कि उन्हें पत्नी का सम्मानित अधिकार देकर अपने जीवन का अंग बना लिया जाए ।

इस्लाम के पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का जीवन इसका सर्वोत्तम उदाहरण है । आप (सल्ल०) ने 25 वर्ष की युवावस्था में अपना पहला निकाह एक 40 वर्षीया विधवा हज़रत ख़दीजा (रज़ि०) से किया था । यही नहीं इसके बाद आपने जिन महिलाओं से निकाह किये उनमें हज़रत आइशा (रज़ि०) के सिवा सभी विधवा या परित्यक्त महिलाएं थीं ।

درسیات کی مقبول عام درسی کتاب "سچا دین" کے ہندی اڈیشن

सच्चा दीन

लड़कों और लड़कियों के लिए दीनी तालीमात का सेट

مجلس تدوین وترتیب درسیات کی نظر ثانی اور حذف واضافہ کے بعد نئی کمپوزنگ اور نئے سائز میں بچوں کو اسلامی عقائد، عبادت، سیرت رسول ﷺ، سیرت انبیاء وصلحاء، اخلاق و عادات اور معاشرتی آداب سے متعلق ضروری معلومات عام فہم اور دل نشیں انداز میں بہم پہنچائی گئیں ہیں۔

ہر سبق کے بعد مشکل الفاظ کے معانی اور مناسب مشقی سوالات بھی دیے گئے ہیں۔ اس صورت میں کتاب کی اہمیت میں اور اضافہ ہوگیا ہے۔

- [حصہ اوّل] سائز 20 x 30 / 8 • صفحات: 112 • قیمت: 50.00
- [حصہ دوم] سائز 20 x 30 / 8 • صفحات: 124 • قیمت: 46.00
- [حصہ سوم] سائز 20 x 30 / 8 • صفحات: 140 • قیمت: 70.00
- [حصہ چہارم] سائز 20 x 30 / 8 • صفحات: 144 • قیمت: 70.00

مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز، نئی دہلی ۲۵

D-307, Dawat Nagar, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025
Phone: 26971652, 26954341, 26946447(D) Fax: 26947858
E-mail: mmipublishers@gmail.com • Website: www.mmipublishers.net

"हर कोई निकला अपने शिकार में"

■ डॉ॰ मुहम्मद अहमद

तमिलों के मुद्दे पर डी॰एम॰के॰ द्वारा केन्द्र सरकार को दिये जा रहे समर्थन की वापसी से यह सामयिक संकट आया और प्राय: चला गया, क्योंकि केन्द्र सरकार के पास अन्य विकल्प मौजूद हैं । ख़ुद वित्तमंत्री पी॰ चिदंबरम डी॰ एम॰के॰ के समर्थन के प्रति आशान्वित हैं और डी॰एम॰के॰ भी सरकार गिराने के मूड में नहीं है । संयुक्तराष्ट्र मानवाधिकार केन्द्र की बैठक में तमिलों के ख़िलाफ़ हिंसा की स्वतंत्र जांच की मांग के अमेरिकी प्रस्ताव की भाषा को हलका बनाने पर केन्द्र सरकार से नाराज़ होकर और विधिवत जांच का प्रस्ताव लाने की मांग को लेकर पिछले 19 मार्च को डी॰एम॰के॰ ने समर्थन वापस ले लिया था । इस पर केन्द्र सरकार के संकटमोचक बने पी॰ चिदंबरम ने यहां तक कह दिया कि हाल के कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ कि द्रमुक को यह फ़ैसला लेना पड़ा ।

वित्तमंत्री ने सरकार का रुख़ साफ़ करते हुए कहा कि यू॰एन॰एच॰आर॰सी॰ को कठोर प्रस्ताव पारित करना चाहिए । श्रीलंका के ख़िलाफ़ प्रस्ताव भी मानवाधिकार केन्द्र में पारित हो गया, पर डी॰एम॰के॰ की नरमी बहुत देर तक नहीं टिक पायी थी कि डी॰एम॰के॰ प्रमुख एम॰ करुणानिधि के बेटे एम॰के॰ स्टालिन के घर समेत 19 स्थानों पर सी॰बी॰आई॰ के छापों ने माहौल को फिर गरमा दिया । डी॰एम॰के॰ ने छापों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री डॉ॰ मनमोहन सिंह को यह कहना पड़ा कि सरकार का इस कार्रवाई से कोई लेना-देना नहीं है और वे इस घटना से खिन्न हैं । कुछ राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि यह केन्द्र सरकार की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई है । बाबा रामदेव के ख़िलाफ़ भी इस अचूक अस्त्र का इस्तेमाल किया गया था । छापों की यह कार्रवाई दबाव की रणनीति है ताकि डी॰एम॰के॰ केन्द्र सरकार का दामन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से थामे रहे । बताया जाता है कि यह कार्रवाई उस वक़्त अनिवार्य हो गयी थी, जब मुलायम सिंह यादव को बयानबाज़ी के पुराने खिलाड़ी और पुराने सोशलिस्ट बेनी प्रसाद वर्मा ने बुरी तरह बिफ़रा दिया । केन्द्रीय इस्पात मंत्री वर्मा ने मुलायम सिंह पर आरोप लगा दिया कि वे केन्द्र को समर्थन देने के लिए रक़म लेते हैं । इस आरोप पर मुलायम सिंह तिलमिलाये हुए थे । जब कांग्रेस ने समर्थन मांगा, तो रख दी वर्मा जी को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग...कांग्रेस आला कमान के कहने पर वर्मा जी ने खेद तो प्रकट कर दिया, पर इससे भी मुलायम जी कठोर ही बने हुए हैं ।

सोनिया गांधी ने उन्हें मनाया भी, मगर उनकी अस्ल मंशा तो किसी जुगाड़ से प्रधानमंत्री बनने की है, जिसका इज़हार वे कई बार कर चुके हैं । वैसे हर राजनेता की 'अंतिम' इच्छा यही होती भी है । हां, यह बात भी अपनी जगह सही है कि जब चुनाव नज़दीक हों, तो फ़ितरी तौर पर यह उत्कंठा अधिक बढ़ जाती है । इसलिए भी हर पार्टी की हर हरकत चुनावी नफ़ा-नुक़्सान के मद्देनज़र होती है । करुणानिधि भी इसी फेर में हैं । तमिलनाडु में उनकी पार्टी में पहले जैसी कशिश बाक़ी नहीं रही । तमिलों का मुद्दा उछालने के पीछे चुनाव में कुछ उछलने के जुगाड़ के तौर पर देखा जाता है और छापेमारी को इसका एक प्रभावी प्रतिकार ! दरहक़ीक़त हर राजनीतिक पार्टी को अपनी पड़ी है । इस स्थिति में जैसा कि आप जानते हैं कि केन्द्र सरकार बैसाखी पर है और उसकी स्थिति तराज़ू में मेढक तौलने जैसी बनी हुई है । इस मार्मिक राज़ से सभी वाक़िफ़ हैं । इसे इस मिसाल से भी समझा जा सकता है—डी॰एम॰के॰ की मांगों पर जब ग़ौर किया जा रहा था, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने उन पर एतिराज़ किया, अंतत: सरकार अल्पमत में आने के बाद बाहरी समर्थन के भरोसे रह गयी ।

यहां नैतिकता का कोई सवाल नहीं है । सवाल जुगाड़बाज़ी और राजनैतिक दिखावे एवं दांव-पेंच का है । सही पोज़ीशन यह है कि कोई भी दल आज कांग्रेस को नैतिकता या कथित आदर्शों के चलते सहयोग नहीं कर रहा है । बाहर से समर्थन दे रहे सपा-बसपा के लिए तो और भी डर का मसला है । बहनजी को सी॰बी॰आई॰ की 'मार' से बचना है, तो मुलायम जी को अपनी राज्य सरकार के लिए

केन्द्र का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। इस दुखती रग से कौन नहीं वाक़िफ़ ? इसी कारण केन्द्र के एक मंत्री इन दोनों पार्टियों के नेताओं को सार्वजनिक रूप से काफ़ी कुछ कह गये, पर प्रतिक्रिया कहां हुई ? जब तक सरकार की मज़बूती दिखी सपा भी संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ के खेद से संतुष्ट हो गयी मानो कुछ हुआ ही नहीं ! पर जैसे ही हवा बदली बेनी बाबू को माफ़ी मांगनी पड़ी । यह तो सियासत है, वह भी हिन्दुस्तानी !

इसे देखते हुए डी॰एम॰के॰ का मुख्य मसला तमिल प्रेम का भी नहीं है । मुख्य बात तो चुनाव पास देखकर संप्रग से बाहर आना ही है क्योंकि उसे उसके साथ होने का कोई लाभ नहीं दीखता । हां, कुछ घाटे की ज़रूर आशंका है । फिर तमिल मसला उठाकर राज्य की राजनीति में वापसी करने का मौक़ा जो मिल गया है, उसे कौन गंवाना चाहेगा? डी॰एम॰के॰ का दांव इसी ओर है । पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह उसकी धुनाई हुई थी उसमें इस भावनात्मक मुद्दे के सहारे वापसी न भी हो तो स्थिति को सुधारा तो जा ही सकता है । एक और मुद्दा है कांग्रेस से पुराना हिसाब चुकता करना, अपमान का बदला लेना...कांग्रेस ने जिस तरह से 2-जी मामले में अपना पल्लू झाड़ लिया और सारा दोष डी॰एम॰के॰ नेताओं और पार्टी सुप्रीमो की दुलारी बेटी के मत्थे डाल दिया, वह सिर्फ़ प्रतिष्ठा के नुक़सान का ही नहीं राज्य की सत्ता के नुक़सान का मसला भी साबित हुआ । अब मनमोहन सरकार बाहरी समर्थन पर निर्भर रह गयी है, वहीं यह भी तय है कि मायावती हों या मुलायम अभी तुरंत सरकार को गिराना नहीं चाहेंगे । मायावती नहीं चाहती कि तुरंत चुनाव हो जाएं, पर चुनाव के लिए तैयार बैठे मुलायम सिंह यादव भी सरकार के ख़िलाफ़ तभी वोट करने का निर्णय लेंगे जब सरकार का गिरना तय हो । वे न तो भाजपा के साथ दिखना चाहेंगे न ही अपना वोट देने के बाद भी सरकार को बचते देखना चाहेंगे । स्पष्ट है, यह सूरत अभी नहीं बनी है ।

दूसरी ओर इस पेंग से इन्कार नहीं किया जा सकता, जो नीतीश बाबू की ओर से आयी है । वे पहले ही कह चुके हैं कि जो भी बिहार के लिए स्पेशल पैकेज देगा वह जद के समर्थन का अधिकारी होगा । कांग्रेस इस चारे को भी सामने पड़ा देख रही है । कहने का मतलब यह कि कांग्रेस के सामने विकल्पों की कमी नहीं । ऐसा भी हो सकता है कि इस साल दिल्ली और कर्नाटक में होने वाले विधानसभाओं के चुनाव में उसे अच्छी जीत मिली, तो वह खुद आम चुनाव समय-पूर्व कराने पर ग़ौर कर सकती है ।

مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ اِلاّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ (سورۃ ق ۱۸)

(انسان زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا مگر اس کے لیے ایک مستعد نگراں موجود ہے)

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے :

"ہر صبح کو انسان کے تمام اعضاء زبان کے آگے عاجزی کرتے ہیں، کہتے ہیں خدا کے لیے ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر۔ اگر تو سیدھی ہے تو ہم بھی سیدھے ہیں، اگر تو ٹیڑھی ہے تو ہم بھی ٹیڑھے رہیں گے۔" (ترمذی)

KIRAN BOOK DEPOT
T. Model School Lane
G. B. Road, Gaya
TELEFAX : 0631-2430863

KIRAN BOOK DEPOT
Main Road Ranchi-1 (JHARKHAND)

दलितों के कल्याण की राह

विगत 25 दिसम्बर 2012 के हिन्दी दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण में डॉ॰ भरत झुनझुनवाला के विचार उपरोक्त शीर्षक के माध्यम से पढ़ने को मिले । पढ़कर ऐसा आभास हुआ कि जैसे भरत झुनझुनवाला ने दलित वर्ग पर गंभीरतापूर्वक अध्ययन न कर पाये हों, अन्यथा वे ऐसी मिथ्या अनर्गल बातें कदापि न लिखते ?

उन्होंने लिखा कि ऐतिहासिक अन्याय दूर करने के लिए एक सीमा के आगे प्रायश्चित नहीं किया जा सकता है । जैसे किसी ने गाली दे दी, तो उसे आजीवन बंधुआ मज़दूर नहीं बनाया जा सकता ? गाली दे दी तथा सदियों तक गाली देते रहने में अन्तर समझना चाहिए । देश में दलित वर्ग पर क्षणिक अन्याय नहीं हुआ है अपितु सदियों से निरन्तर अन्याय, अनाचार होता आ रहा है । वर्तमान में भी अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार हो रहा है, जो किसी से छिपा नहीं है ? यदि सवर्ण समाज की मानसिक सोच की स्थिति यही रही तथा दलित समाज पर अन्याय, अत्याचार होता रहा और लगातार सवर्ण वर्ग की दलितों के प्रति संकीर्ण मानसिकता का घिनौना कुव्यवहार बरक़रार रहेगा तो पदोन्नति में आरक्षण भी लगातार रहना परम आवश्यक है ।

कितनी आश्चर्यजनक बात है कि लेखक ने अतिश्योक्ति पूर्ण भाषा में सामान्य वर्ग को बंधुआ मज़दूर संज्ञा का क़रार दिया है, इन्हें सामान्य वर्ग तो बंधुआ मज़दूर नज़र आ रहा है और दलित वर्ग ज़मीदार ? दलित अधिकारियों का प्रयास अपने आपको कुनबे से प्रथक करके उच्च जातियों के साथ जोड़ने का होता है यह कितनी हास्यस्पद बात है ?

मैं यहां लेखक को बताना चाहूंगा कि जब दलित वर्ग उठता है अर्थात प्रगति की ओर अग्रसर होता है तो, उसका सवर्ण वर्ग के साथ जोड़ना अथवा जुड़ना होता है । वास्तव में सवर्ण वर्ग द्वारा उसे जोड़ना अपने आप में ये भी एक महत्वपूर्ण स्वाभाविक प्रतिक्रिया है । वास्तव में दोनों ओर की प्रतिक्रियाएं ही निस्संदेह समाज में विघटन को कम कर रही है और दलित वर्ग के उठने से दोनों वर्गों में जुड़ाव संभव है, न कि कमज़ोर बने रहने से । दुर्बल एवं निर्धन दलित का सवर्ण वर्ग से जुड़ने का तो कदापि साहस नहीं होगा और न ही सवर्ण वर्ग इसे अपने से जोड़ने का साहस करेगा । मेरे विचार से लेखक को उक्त प्रकार की प्रतिक्रियाओं पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए ।

विद्वान लेखक डॉ॰ भरत झुनझुनवाला का यह मानना है कि राष्ट्रीय नेता तथा सरकारीकर्मी दलित सहित सम्पूर्ण समाज को लूट रहे हैं । यदि अनुसूचित जाति के लोग यह सोच रहे हैं कि सरकारी सेवा में शामिल होने के साथ उन्हें भी इस लूट में शामिल होने का अवसर मिल जाएगा तो यह सही चिंतन नहीं है ।

मैं लेखक से यह पूछना चाहूंगा कि सम्पूर्ण राष्ट्र के किस क्षेत्र में लूट नहीं है तथा दलित वर्ग किस क्षेत्र एवं सीमा तक सीमित रहे ? बेगार करने, मज़दूरी करने, तथा दास बने रहने तक जैसे क्षेत्र में अपेक्षाकृत लूट नगण्य है, क्या दलित वर्ग उन क्षेत्रों तक ही सीमित बना रहे ?

डॉ॰ भरत झुनझुनवाला के कथनानुसार क्या सवर्ण वर्ग के लोग इसलिए दलित वर्ग के लिए आरक्षण का विरोध करते चले आ रहे हैं कि वह उनके साथ में इस लूट में भागीदार न हो सके ?

मैं लेखक के इस मत से कदापि सहमत नहीं हूं और न ही दलित वर्ग की ऐसी ओछी-घटिया सोच है और न ही सवर्ण वर्ग, यह दोनों वर्गों के संबंध में मात्र लेखक झुनझुनवाला की ही सोच हो सकती है । जो कि किसी भी प्रकार से उचित नहीं है अपितु यह उनकी संकीर्ण मानसिकता की ही द्योतक है ।

उक्त शीर्षक के माध्यम से यह भी व्यक्त किया गया है कि दलित देशवासियों के मन-मस्तिष्क में यह बात बैठ गयी है कि अपने कुनबे के प्रति द्वेष रखा जाता है और उनकी यह भावना विघटन की ओर ले जाएगी । लेखक की यह उक्त सोच निराधार व खोखली है । सभी सामान्य

वर्ग के लोग दलित समाज के प्रति द्वेषपूर्ण नहीं रहे हैं, अपितु दलित वर्ग के कल्याण की दिशा में बहुत से लोगों का विशेष योगदान रहा है । परन्तु लेखक झुनझुनवाला जैसे मुट्ठी भर लोग दलित वर्ग में यह भावना है कि उनके प्रति द्वेष रखा जाता है । ठीक उसी प्रकार अवश्य उत्पन्न कर रहे है, जिस प्रकार से एक या कुछ मछलियां तालाब को अस्वच्छ कर रही है । सोच वालों से द्वेष भावना की सोच को उत्पन्न करने वाले कहीं अधिक ज़िम्मेदार व दोषी हैं ?

मैं भी चाहता हूं कि शासन-प्रशासन में दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े । कनिष्ठ दलित कर्मचारी शेष ज्येष्ठ लोगों से ज्येष्ठ न हो, ज्येष्ठता तथा श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति हो । समाज में द्वेष भाव उत्पन्न न हो तथा अन्य वर्गों को भी हानि न हो, सभी वर्गों के साथ प्राकृतिक न्याय रहे ।

समाज में समरसता एवं एकता क़ायम हो तथा उक्त के साथ यह भी चाहता हूं कि दलित वर्ग सभी क्षेत्रों में समुचित भागीदार भी हो, यह भी सामान्य वर्ग की स्थिति में हो । उपरोक्त के लिए आरक्षण के स्थान पर जो भी उचित विकल्प सामान्य वर्ग की दृष्टि में सार्थक सिद्ध हो सकते है लागू किया जाए । लगभग दस वर्षों तक परीक्षण कर लिया जाए कि आरक्षण की तुलना में दलित वर्ग को उन विकल्पों से कही अधिक लाभ होना सिद्ध हो तो आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए विकल्पों का निर्धारण सामान्य वर्ग पर डाला जाए, दलित वर्ग पर नहीं क्योंकि उसके पास दलित वर्ग अपेक्षाकृत बेहतर विकल्प हो सकते हैं ।

कौन नहीं जानता कि पदोन्नति में आरक्षण का विरोध मात्र मेढ़क की टर्र-टर्र के अतिरिक्त कुछ भी नही है ? सरकारी, ग़ैर सरकारी कार्यालयों में, चौराहों पर, गली-बस्तियों में निकम्मों और ठाली पड़े ठलवे लोग जो देश और समाज को दूषित कर टुकड़े-टुकड़े करना चाहते हैं तथा राजनीति में शिखर पर चढ़ना चाहते हैं, वे ही ऐसी संकीर्ण मानसिकता वाले लोग है, जो दलित से घृणा भाव रखते हैं । जब महाराष्ट्र में 'राज ठाकरे' द्वारा हिन्दी भाषियों को रेल में, बसों में, स्कूलों विद्यालयों में, होटलों में तथा फुटपाथों पर मारा-पीटा और ज़िन्दा जलाने का प्रयास किया ज़ाता रहा है, तो झुनझुनवाला जैसे चिंतकों की जुबान क्यों बन्द हो जाती है ? आख़िर ऐसे आतंकवादी के विरुद्ध डॉ॰ भरत झुनझुनवाला जैसे लेखकों की लेखनी को क्यों जंग लग जाता है ?

मैं यहां डॉ॰ झुनझुनवाला से आदरपूर्वक यह अवश्य पूछना चाहूंगा कि क्या आज सवर्ण समाज के लोगों ने गंभीरतापूर्वक विचार करने का कष्ट किया है कि, राष्ट्र के सरकारी, ग़ैर-सरकारी विभागों में जैसे नगर परिषद, नगरपालिका, महानगर पालिकाओं, नभ, जल, थल, एयर इंडिया, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका, अस्पतालों, होटलों, रेस्टोरेंट आदि सभी स्थानों में सफ़ाई के क्षेत्रों में आरक्षण प्रणाली क्यों नहीं है ? जबकि 100 प्रतिशत सफ़ाई कर्मचारी दलित ही है । अपने इस ओर उंगुली नहीं उठायी है आख़िर क्यों ? क्यों सफ़ाई आदि का कार्य दलित समुदाय से ही कराया जाता रहा है ? सफ़ाई कार्य क्षेत्र में 80 प्रतिशत सवर्ण क्यों नहीं लिए जाते हैं ?

नगरों-महानगरों की बस्तियों, कालोनियों में एक ही समुदाय के सवर्ण वर्ग के जन्म से मल-मूत्र से लेकर मृत्युपरांत तक की सफ़ाई आदि का कार्य एक भी निम्न वर्ग पर क्यों थोंपा जाता है ? जबकि आरक्षण पद्धति के अनुसार उपरोक्त विभागों में आरक्षण लागू क्यों नहीं हैं ? आख़िर क्यों डॉ॰ झुनझुनवाला का ध्यान इस ओर नहीं जाता है ?

यहां डॉ॰ भरत झुनझुनवाला से यह भी पूछा जाना चाहिए कि राष्ट्र के हज़ारों, लाखों पूजा संस्थाओं मन्दिरों में एक विशेष वर्ग के ही लोग पूजा-पाठ वाले पुरोहित 100 प्रतिशत आरक्षण आज से ही नहीं अपितु सदियों से आरक्षण का अनुचित लाभ ले रहे हैं । क्या कभी डॉ॰ झुनझुनवाला जैसे लेखकों इस विशेष समुदाय पुरोहितों के आरक्षण पर आपत्ति जतायी है ? आख़िर क्यों ? यह पक्षपातपूर्ण अन्याय कब तक चलता रहेगा ? डॉ॰ झुनझुनवाला के यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि जो पहिये की चक्र की परिधि (अर्णे) नीचे होती है, वह एक बार ऊपर अवश्य आती है, तभी देश की धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और शैक्षिक गति का चक्र पूर्ण रूप से अविरल गतिमान रहेगा ।

● **हीरालाल कर्दम**
189, श्रद्धांजलि भवन, कोठी गेट हापुड़,
ज़िला-हापुड़-245101 (उ॰प्र॰)

संघर्ष

हल्की-हल्की ठंड हल्का-हल्का कोहरा सुबह को बहुत ख़ूबसूरत बना रहा था । छिटपुट सूरज की लालिमा बिखरी थी । स्वीपर की झाड़ू सड़क पर खर्र-खर्र धूल उड़ाती आगे बढ़ रही थी ।

ताज़ा दम लोगों की खनखनाती आवाज़ें संगीत की तरह कानों में रस घोल रही थीं । वह हर चीज़ को उत्साह के साथ ग़ौर से देख रहा था । सामने अन्ना हज़ारे का मुस्कराता चेहरा नुक्कड़ पर गड़े खंभे पर टंगा था । हवा के झोंके से पोस्टर हिला भी जा रहा था । उसके कानों में कुछ स्वर गूंज उठे ।

''अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं ।''

काफ़ी तादाद में लोग सड़क पर उतरे थे और नारे लगा रहे थे । कल वह इस भीड़ में फंस गया था । वह पहले से तनाव में था और ऊपर से भीड़ उसकी कनपट्टियां तन गयी थीं । लगता था सर में ब्लास्ट हो जाएगा । बड़ी मुश्किल से यह इस भीड़ से निकल पाया था ।

''अन्ना हमारा गांधी है ।''

इससे पहले के जुमले क्या थे मानस पटल पर ज़ोर देने पर भी उसे याद न आया । इस वाक्य पर वह मुड़ा ज़रूर था और उसकी अंतरात्मा बोल उठी ''आज के युग में भी गांधी, नहीं-नहीं ऐसा न हो ।''

'दूध गाड़ी के हार्न से वह वापस अपनी दुनिया में आया । चहचहाते परिन्दे वही चाय से खनखनाती सुबह । मगर अब वह कुछ बोझिल-सा हो गया था । वह अन्दर रूम में आ गया । 1947 का ज़लता भारत मुहम्मद अली जिनाह, जवाहर लाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, गांधी जी क्या यह बचा पाये थे हमारे मुल्क को । इनकी क़ुरबानियां भी नहीं बच पायीं । उफ़ आज तक वह रंज भुला नहीं पाया । अब्बू की चीख़ें अम्मी की सिसकियां, कराहती लाशें आग, धुआं, ख़ून और ख़ून से रंगी दीवारें गलियारें । उसने सामने दीवार पर नज़र डाली । उसे ख़ून के धब्बे नज़र आये । वह सख़्त ख़ौफ़ज़दा हुआ । इतने में दरवाज़े पर नॉक हुई, उसने घबरा कर पूछा–''कौन ?''

''पापा, पापा मैं । दरवाज़े पर मनु था उसका 21 वर्षीय बेटा, जिसका एम०बी०बी०एस० में एडमिशन कराने उसके मेडिकल कॉलेज जाना था ।

''पापा नौ बज गये हैं । देर हो जाएगी कॉलेज पहुंचने में । आप तैयार हो रहे हैं ?''

'हूं' वह बस इतना ही कह पाया था । पच्चीस लाख मनु की एडमिशन फ़ीस जमा करनी थी । हफ़्ते भर की भाग-दौड़ के बाद वह इतनी राशि जुटा पाया था । ये फार्म वहां पर दस्तख़त उफ़ कितनी शपथ लेनी पड़ी थी उसे । रिटायरमेंट से पहले उसे मन के एडमिशन के लिए फंड निकलवाना पड़ा था । फंड का राशि चेक हाथ में पकड़ते ही उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे बह बिना जड़ का पौधा हो ।

मनु की काउंसिलिंग के समय उसके दिल में आया कि काश वह भी अनशन पर बैठ जाता और इस डोनेशन के ख़िलाफ़ नारेबाज़ी करता । वह अपना पूरा साहस भी जुटा लेता तब भी वह ऐसा नहीं कर सकता था । दोपहर बाद के तीन बज रहे थे । वह दोनों लौट रहे थे । पिता को इतना शांत देखकर मनु भी कुछ कहने का साहस नहीं जुटा पाया। चौक पर वही लोगों की दीवानगी थी । वही नारेबाज़ी थी। ''अन्ना तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं ।'' पिता पुत्र चुपचाप यह वाक्य सुनते आगे बढ़ गये ।

मासूम अंसारी
लखनऊ (उ०प्र०)

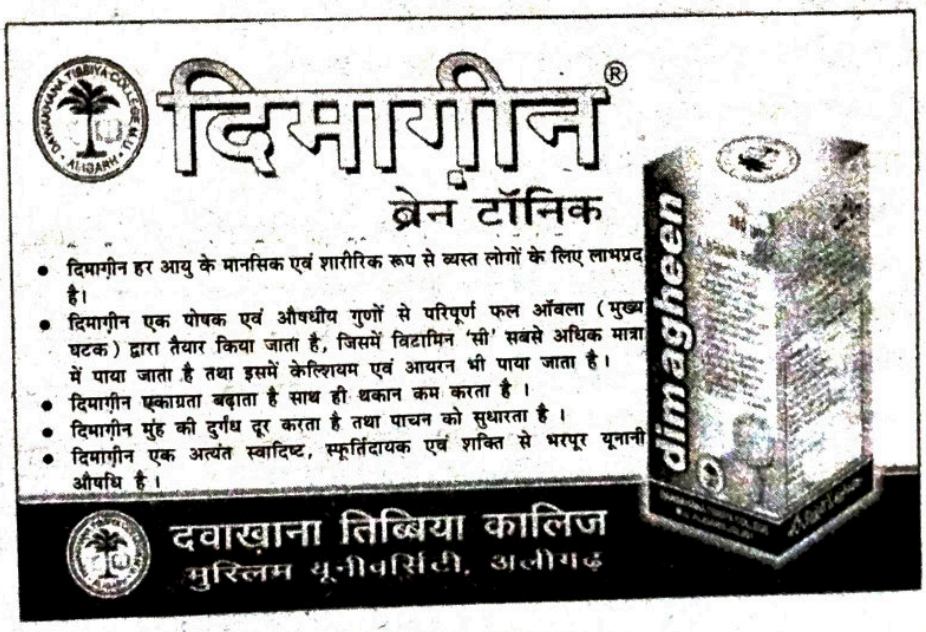

ज़कात का हिसाब

■ रुपये की ज़कात का हिसाब सोने से लगाया जाए या चांदी से ?

जवाब : बेहतर यह है कि इस दौर में रुपये पैसे की ज़कात की हिसाब सोने से लगाया जाए, चांदी से नहीं । क्योंकि जब अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने ज़कात का निसाब सोने और चांदी दोनों से मुक़र्रर किया था तो आपका यह मक़सद हरगिज़ नहीं था कि दो निसाब मुक़र्रर किये जाएं, एक सोने का और एक चांदी का । बल्कि वह एक ही निसाब था चाहे वह सोने का हो या चांदी का । नबी (सल्ल०) ने सोने का निसाब 20 दीनार और चांदी का निसाब 200 दिरहम मुक़र्रर किया था । उस ज़माने में एक दीनार 10 दिरहम के बराबर होता था । यानी 20 दीनार और 200 दिरहम क़ीमत में बराबर थे ।

उसके बाद सोने की तुलना में चांदी की क़ीमत लगातार गिरती गयी और इन दोनों की क़ीमतों के बीच बहुत फ़र्क़ है ।

इस्लाम में ज़कात अमीरों पर फ़र्ज़ की गयी है, ताकि उनका कुछ माल ग़रीबों की तरफ़ लौटाया जाए । इस ज़माने में चांदी की क़ीमत इतनी गिर गयी है कि 200 दिरहम के बराबर चांदी रखने वाले को अमीर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 200 दिरहम के बराबर की चांदी ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये के बराबर होगी । इसके बरख़िलाफ़ 20 दीनार के बराबर सोना लगभग साढ़े सात तोला या 50 ग्राम होता है, जिसकी क़ीमत 30 हज़ार रुपये से ज़्यादा होती है ।

एक नज़र हम अगर रुपये-पैसों के अलावा दूसरी उन चीज़ों पर डालें, जिन पर ज़कात वाजिब है, यानी ऊंट, बकरी वग़ैरह तो हमें इत्मीनान हो जाएगा कि सोने को ही रुपये-पैसे का निसाब मुक़र्रर करना चाहिए, क्योंकि ऊंट और बकरी की जो तादाद ज़कात के निसाब के लिए मुक़र्रर की गयी है, उसकी क़ीमत साढ़े सात तोला सोने के आसपास तो हो सकती है लेकिन 200 दिरहम चांदी के आसपास कभी नहीं हो सकती ।

अल्लामा यूसुफ़ अल-क़रज़ावी
('फ़तावा यूसुफ़ अल-क़रज़ावी', भाग-1 से)

ज़कात की रक़म से दीन की तब्लीग़

■ अगर कोई मुसलमान ज़कात की रक़म से हिन्दी तर्जुमा-ए-क़ुरआन ख़रीद कर पढ़े-लिखे मालदार ग़ैर-मुस्लिम भाइयों को दीन की तब्लीग़ की नीयत से दे, तो यह जायज़ है या नहीं ?

जवाब : ज़कात के मसरफ़ में एक मसरफ़ 'फ़ी सबीलिल्लाह' (अल्लाह की राह में) भी है और दीन की तब्लीग़ पहले दर्जे का 'फ़ी सबीलिल्लाह' है । इसलिए पढ़े-लिखे ग़ैर-मुस्लिम भाइयों को चाहे वे मालदार हों या नहीं हों, ज़कात की रक़म से मुसतनद तर्जुमा-ए-क़ुरआन ख़रीद कर देना मेरे ख़याल से जायज़ होगा । लेकिन इसका ज़रूर ख़याल रखा जाए कि जिसको भी ज़कात की रक़म से क़ुरआन का तर्जुमा ख़रीद कर दी जाए उसके बारे में ज़्यादा इत्मीनान हो कि वह इसे पढ़ेगा, ऐसा न हो कि वह किताब को लेकर कहीं डाल दे और रक़म बर्बाद हो ।

■ क्या रिश्तेदारों को ज़कात दी जा सकती है ?

जवाब : ज़कात के मुस्तहक़ अपने रिश्तेदारों को ज़कात देना जायज़ है, बल्कि इनहें देने से सदक़ा और सिला-ए-रहमी दोनों का सवाब मिलता है । यह बात सही हदीसों से साबित है । अलबत्ता सिला-ए-रहमी के लिए सिर्फ़ ज़कात की रक़म मख़सूस नहीं करनी चाहिए, बल्कि अगर गुंजाइश हो तो दूसरे माल से भी उनकी मदद करनी चाहिए । लेकिन अगर गुंजाइश न हो, सिर्फ़ ज़कात ही की रक़म से कोई उनकी मदद कर सकता हो तो मुहब्बत और ज़रूरतमन्द रिश्तेदार इसके ज़्यादा मुस्तहक़ हैं ।

फ़ुक़हा ने ऐसे रिश्तेदारों को बता दिया है, जिनको कोई आदमी अपनी ज़कात दे सकता है और जिनको नहीं दे सकता है । मां, बाप, दादा, दादी, बेटे, बेटियां और उनकी औलाद को अपनी ज़कात देना सही नहीं है । भाई, चचा, ख़ालू, मामू और दामाद वग़ैरह को ज़कात दी जा सकती है ।

मौलाना अहमद उरूज क़ादरी
('अहकाम व मसायल' से)

ग़रीबी उन्मूलन में ज़कात का महत्वपूर्ण योगदान

■ डॉ॰ एम॰ ए॰ रशीद

यदि हम कुछ आंकड़ों और समाचारों पर ध्यान दें तो यह जानकारी सामने आती है–

(1) यूनीसेफ़ की एक रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक ग़रीबी और भोजन की कमी के कारण प्रतिदिन मरने वाले बच्चों की संख्या 25,000 होती है और ये मौतें उन निर्धन ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं जहां साम्राज्यवादियों की चकाचौंध दुनिया का ज़मीर दस्तक नहीं देता ।

(2) विश्व के अत्यधिक धनाढ्य देश अमेरिका में, 2012 के आंकड़े बताते हैं कि, ग़रीबी में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है जिस कारण अमेरिका की 12.5 प्रतिशत आबादी ग़रीब कहलाती थी । अब वह बढ़कर 15.1 हो गयी है । ये आंकड़े अमेरिका के जनगणना ब्यूरो ने ज़ारी किये हैं । उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2010 के मध्य 46.2 मिलियन अमेरिकन अत्यधिक ग़रीबी के शिकार हो गये है । वहां ग़रीबी का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है । पिछले 52 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ था ।

(3) एक्शन एड (2009) के अनुसार भारत में भुखमरी से जूझ रहे लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है । 1990 से अब तक यह बढ़ोत्तरी तीन करोड़ दर्ज की गयी है । रिपोर्ट के अनुसार यह समस्या भोजन की कमी से नहीं अपितु भोजन तक पहुंचने की है । स्पष्ट है कि साम्राज्यवाद ने जहां अपनी जड़ें जमायी उसने वहां समाज को पृथककरण के द्वारा खोखला भी किया है । मजबूर व्यक्ति अन्ततः विवश होकर ज़िंदगी का अंत कर लेता है ।

भारत के राष्ट्रपति प्रणव मुर्खजी ने पदग्रहण के तुरन्त बाद ग़रीबी को देश से निकालने का संकल्प लिया । ऐसा कार्य वही कर सकता है जिसे उसका भास एवं ज्ञान हो । इस लेख में यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि किस योजना के तहत ग़रीबी मिटायी जा सकती है ? इस्लाम एक संपूर्ण जीवन व्यवस्था का नाम है जो व्यक्ति के जीवन से जुड़े शरीर एवं आत्मा को आवश्यक सामग्री प्रदान कर उसे पूर्ण जीवन प्रदान करता है । आर्थिक व्यवस्था भी उसमें से एक है । देखा जाए तो इस्लाम की अनेकों व्यवस्थाओं में आर्थिक व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था से हटकर संपत्ति को प्रगति प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभाती है । वह जमापूंजी को एक ही हाथ में नहीं रोके रखता । इस्लाम की आर्थिक व्यवस्था में अमीरों, पूंजीवादियों की शुद्ध एवं वैध संपत्ति में छोटा-बड़ा दान फ़ितरा तथा ज़कात को अनिवार्य घोषित कर वह संपत्ति गरीबों, लाचारों, असहायों के हक़ में विभिन्न अवसरों द्वारा पहुंच जाती है । इस कारण समाज के निम्नवर्ग की दशाओं में सुधार आ जाता है ।

ज़मीन-जायदाद को उसके हक़दारों में बांटकर इस्लाम ने उसे भी फैलाव का रूप दिया । इस्लाम ने उन जड़ों की भी कांट-छांट की हैं, जिसमें ग़रीब, ग़रीब तथा अमीर और अमीर होते हैं । ग़रीबी की रोकथाम में एक समान आर्थिक परिश्रम के अवसर उपलब्ध कराना इस्लाम के बुनियादी उद्देश्यों में से एक है ।

अंतिम ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने फ़रमाया : 'निकट है कि ग़रीबी (व्यक्ति को) नास्तिक होने तक पहुंचा दे, (बहकी) । और यह कथन भी प्रसिद्ध है कि 'पेट की पुकार के आगे अन्तरात्मा (ज़मीर) की आवाज़ भी दब जाती है' । यहां तक कि उससे बुरे कार्य होने लगते हैं । पारिवारिक गठजोड़ बिखर जाता है तथा सामाजिक उत्थान के कार्यों में बाधाएं खड़ी होने लगती हैं, ऐसे व्यक्ति की कल्पनाएं बुरी तरह प्रभावित हो जाती हैं और वह किसी समस्या का एकमत होकर चिंतन-मंथन करने के योग्य नहीं रह पाता । इसी कारण उसमें कुरआन एवं सुन्नत के अनुसार निर्णय लेने का साहस नहीं रह पाता । परिणामस्वरूप एक प्रकार के पतन का समय आ जाता है । इस संबंध में प्यारे नबी (सल्ल॰) का प्रसिद्ध कथन है कि–"आदम के बेटे का बुनियादी अधिकार यह है कि उसके लिए एक घर हो, जिसमें वह रह सके, कपड़ा हो जिससे वह अपने शरीर को

इस्लामी बुनियादों पर रिश्ता

लगभग पांच सौ हाईस्कूल, पोस्टग्रेजुएट लड़कियों के लिए रिश्ता मतलूब है ।

E-mail : islaminikah30@gmail.com

ढांक सके और खाने के लिए रोटी और पीने के लिए पानी हो'' (तिरमिज़ी) ।

जिस किसी के पास यह न हा तो वह ग़रीबी रेखा में आ जाता है, इसी ग़रीबी को मिटाने के लिए इस्लाम ने निम्न उपाये सुझाए हैं–

देश या शहर का विकास, सामाजिक उत्थान आदि संपत्ति पर ही आधारित है तथा संपत्ति, परिश्रम से ही प्राप्त होती है । इसिलिए इस्लाम ने रोज़ी (जीविका) को तलाश करने को अनिवार्य कर उसे इबादत का महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने कहा कि–''कुछ पापों का कफ़्फ़ारा (शमन), रोज़ी कमाने में चिंतित रहना है'', (तिबरानी) । आप (सल्ल०) ने ''अपने हाथ की कमाई को सर्वश्रेष्ठ कमाई घोषित किया'' और आपने यह भी कहा कि ''जो व्यक्ति दुनिया को वैद्य (जायज़) तरीक़े से प्राप्त करता है ताकि मांगने से बचे और परिवार का पालन-पोषण करे, पड़ोसी की सहायता करे तो वह अल्लाह तआला से इस हाल में मिलेगा कि उसका चेहरा चौदहवीं के चांद (पूर्णिमा) की तरह रौशन होगा ।''

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने धन कमाने में वैध ही तरीक़े को अपनाने का कहा है जिसमें खेती, मज़दूरी, व्यवसाय, पशुपालन आदि शामिल है । इस्लाम ने मात्र इन क्रियात्मक शैली को ही नहीं अपनाया बल्कि प्रसन्न अवस्था के लिये निम्न साधनों को धारण करने के भी संकेत दिये हैं–

(1) ''जो व्यक्ति किसी बेकार पड़ी ज़मीन को लाभकारी बनाले, वह उसकी हो जाएगी ।'' (अल-ख़िराज)

(2) ''व्यापार को क्योंकि जीविका (रोज़ी) का 9/10 भाग इसी में है'', (ग़रीबुल हदीस)

(3) ''अल्लाह उस बंदा-ए-मोमिन को प्रेमी रखता है जो किसी पेशे के द्वारा जीविका कमाता हो ।'' (तबरानी)

(4) ''अपने हाथों की कमाई खाने से श्रेष्ठ तुमने कभी कोई खाना न खाया होगा ।'' (बुख़ारी)

(5) इब्ने माजा के अनुसार–''हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) पे पूंजीपतियों को आदेश दिया कि बकरियां पालें और ग़रीबों को आदेश दिया मुर्ग़ियां पालें ताकि प्रसन्नता प्राप्त हो ।''

(6) ''रिश्तेदारों और मुहताजों और मुसाफ़िरों को उनका हक़ अदा करो ।'' (क़ुरआन, 17:27)

इस्लाम ने कुछ पापों का शमन खानपान और आर्थिक दान से किया है जिससे स्पष्ट होता है कि वहां ग़रीबों की सहायता होती दिखायी देती है ।

(1) क़सम का पाप शमन : क़सम का पाप शमन (कफ़्फ़ारा) यह है कि क़सम खाकर तोड़ देने वाला दस फ़क़ीरों (आसक्त) को मध्यम श्रेणी का भोजन कराए जो वह खाता था और कपड़ा पहनाए । जो वह पहनता था या फ़िर गुलाम आज़ाद करे । (क़ुरआन, 5:89)

(2) यदि किसी ने अपनी पत्नी को अपनी मां से समानता दे दी तो उसका पाप शमन एक गुलाम आज़ाद

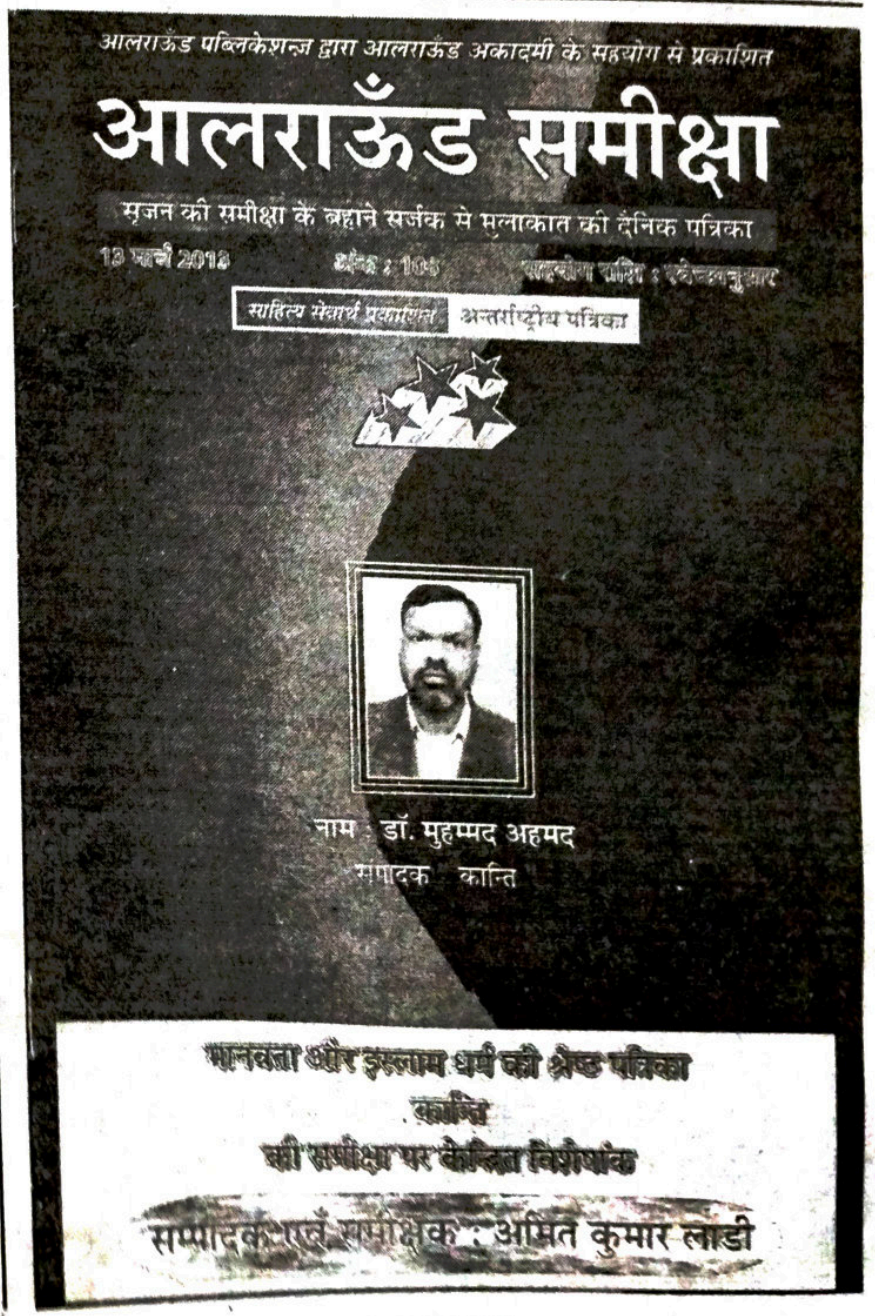

करना या लगातार दो माह के रोज़े रखना, यह भी न हो सके तो साठ फ़क़ीरों को खाना खिलाना है ।

(3) रमज़ान के दिन में संभोग का पाप शमन पत्नी के मां के समानता की तरह अनिवार्य है ।

(4) बुढ़ापे या बीमारी के कारण रोज़ा न रखने का बदला पवित्र क़ुरआन (2:184) में आदेश दिया गया कि, (रमज़ान के रोज़े) गिनती के कुछ दिन, इस पर भी जो कोई तुम में बीमार हो, या यात्रा में हो, तो दूसरे दिनों में संख्या पूरी कर ले, और जो लोग उसकी (खाने खिलाने की) सामर्थ्य रखते हों उनपर एक रोज़े का बदला एक मोहताज का खाना, फिर जो कोई कुछ और भलाई करे, तो वह उसके लिए अच्छा है ।''

(5) हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं को रोज़ा रखने से बच्चे के बारे में खतरा लगने पर उसके लिये भी यही आदेश जारी किया है ।'' (मुवत्ता)

(6) ग़रीबों का दूसरा हक़ खेती की कटायी से भी जुड़ा हुआ है । पवित्र क़ुरआन (6:142) के अनुसार–''जब ये फल दें तो तुम उनके फलों को खाओ और कटायी के उस दिन का हक़ ग़रीबों तक पहुंचाओं ।''

(7) आवश्यकता पड़ने पर हस्तमुक्त होकर ऋण (क़र्ज़) दें और कोई चीज़ थेड़ी देर के लिये मांगी जाए तो देने से इन्कार न करें, बल्कि क़र्ज़ को सदक़ा (दान) बताया गया है । किसी धन को दोबारा क़र्ज़ देने की दशा में इस धनराशि को सदक़ा करने के बराबर पुण्य-सवाब मिलने की शुभ संदेश दिया गया (इब्ने माजा) ।

(8) प्रेरणा का स्वर्णिम कथन भी देखिये कि फ़क़ीरों की भूख व प्यास मिटाने को अल्लाह तआला ने स्वयं अपनी भूख व प्यास मिटाने के तुल्य कहा । जो हमदर्दी सहानुभूति की भावना को बढ़ाने का इससे उत्तम मार्ग भला कौन-सा हो सकता है ? फिर इस्लाम ने ग़रीबी पनप ही न सके, उसके संबंध में उपाय सुझाए कि लगातार दान कर पुण्य प्राप्त किया जाए, अनाजों के भंडारण, ब्याज की निंदा कर आदि अनेकों आदेश दिये गये कि ग़रीबी सिर ही न उठा सके ।

दर्पण



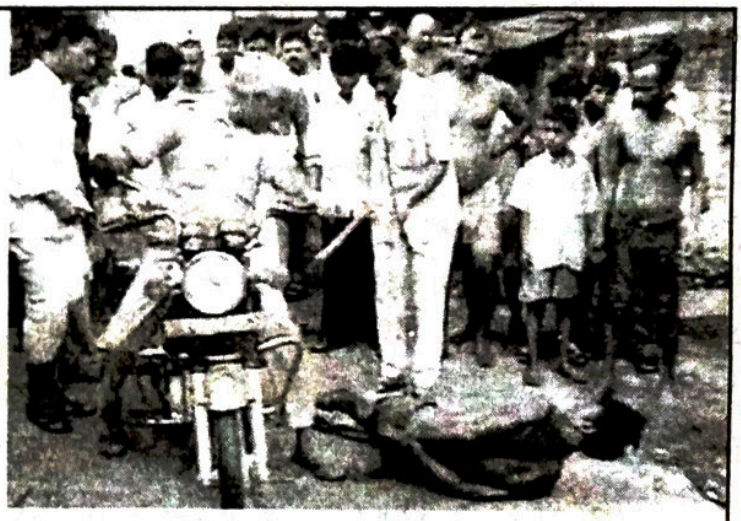

पुलिस अत्याचार–कुछ दृश्य





डॉ॰ नीलम खरे को अक्षर शिल्पी अलंकरण



कवयित्री/लेखिका, समाजसेविका तथा सी॰सी॰एन॰ (टी॰ वी॰) की न्यूज़रीडर तथा एंकर एवं अनेकों सम्मान प्राप्त प्रखर व्यक्तित्व डॉ॰ (श्रीमती) नीलम खरे को उनके द्वारा की गयी समर्पित साहित्य-सेवा के लिए संस्कार-सारथी एवं साहित्य क्रांति पत्रिकाओं ने दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में आयोजित अखिल भारतीय साहित्य-सम्मेलन एवं अलंकरण समारोह में भव्यतापूर्वक अक्षर शिल्पी अलंकरण प्रदान किया । सम्मान में अलंकरण पत्र, शॉल, स्मृति चिन्ह, साहित्य प्रदान किया गया तथा बैज लगाकर व पुण्यहार पहनाकर अभिनंदन किया गया । मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉ॰ श्यामसिंह 'शशि' थे । समारोह की अध्यक्षता डॉ॰ कमलकिशोर गोयनका ने की ।

डॉ॰ 'मानव' को दोहरा सम्मान

हिसार । साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट एवं बहुआयामी योगदान के दृष्टिगत, वरिष्ठ साहित्यकार डॉ॰ रामनिवास 'मानव' को मध्य प्रदेश के जबलपुर में, दोहरा सम्मान प्राप्त हुआ है । मध्य प्रदेश लघुकथाकार-परिषद् के 28वें वार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन में, समग्र कृतित्व-योजना के अंतर्गत, परिषद् द्वारा उन्हें 'विशिष्ट सरस्वती-पुत्र सम्मान' प्रदान किया गया, वहीं पाथेय साहित्य-कला अकादमी ने उन्हें 'पंडित ब्रह्मदत्त तिवारी स्मृति-सम्मान' प्रदान किया । परिषद् के अध्यक्ष मुहम्मद मुईनुद्दीन 'अतहर', अकादमी के निदेशक डॉ॰ राजकुमार तिवारी 'सुमित्र' तथा वरिष्ठ साहित्यकार आचार्य भगवत दुबे ने समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे डॉ॰ 'मानव' को, दोनों संस्थाओं की ओर से, अलग-अलग शॉल, सम्मान-पत्र और नक़द राशि भेंट कर, उनका सार्वजनिक रूप से अभिनंदन किया ।

SIDMED Remedies
(Prodducts)

Siddiqui Pharma
(Distributer)

Products Available

•SID-MVIT •SIDTONE CAP •SIDFLOX-200 •SIDCAL •SIDNIM-P
•SIDFLOX-OZ •SIDCLAV-DRY SYP •SIDTONE 200 ML
•PROSID PLUS PROTEIN POWDER •PEACE-FORT
•LIMRA-20 •LIMRA-D •LECROSID-500
•LYPHOPEN-40 •CIDCOLD SYP

SIDMED Remedies

Saleem Siddiqui
Shaikh Iqbal

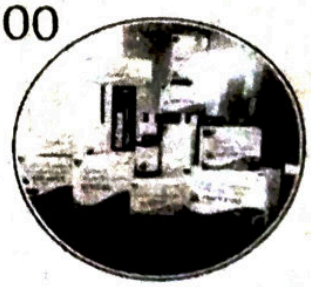

B-102 Tanwar Nagar, Kawsa,
Thane-400612

Siddiqui Tower, Roshan Gate,
Aurangabad M.S.

''मेले में लड़की''–महिलाओं की बदहाली का सजीव चित्रण

❖ डॉ॰ मुहम्मद अहमद

छह अप्रैल 2013 का दिन मेरे लिए यूं ही विशिष्ट नहीं रहा । मुझे ऐसी ख़बर जो मिली...सदियों की वेदना, घुटन, उपेक्षा, तिरस्कार और दर्द को शब्दों के द्वारा जानने-समझने की, वह भी इन्हें यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने वाली शख़्सियत के कहानी संग्रह ''मेले में लड़की'' की ज़बानी । ''आज यह ख़बर मेरे लिए ख़बर नहीं, एक आह, आंसुओं में बहाना दर्द है । अपना और अपनों का दर्द जो मुझे अन्दर तक छलनी कर गया और मेरे लिए यह कोई ख़बर नहीं, एक ख़ौफ़नाक सत्य है ।'' चर्चित कथाकार पूनम तुषामड़ जी की 'ख़बर' शीर्षक कहानी की यह अंतर्वेदना सचमुच दिल को बेंधती ही नहीं, बहुत गहरा एहसास भी करा डालती हैं ।





इस वेदना, उत्पीड़न और संत्रास को सभी लोग महसूस कर सकें, इस मक़सद से राइटर्स एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन, दिल्ली के तत्वावधान में इस 130 पृष्ठीय कहानी संग्रह का लोकार्पण-कार्यक्रम नयी दिल्ली स्थित गांधी शांति प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया । मेरे लिए इस ख़बर का कैनवास बढ़ता ही जा रहा था । इस क्रम में राइटर्स एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय श्री अरविन्द कुमार सिंह से मुलाक़ात हुई । मैं आपके आमंत्रितों में था । और फिर बहुत-से लेखक, पत्रकार एवं प्रबुद्धजनों से परिचयात्मक सौमनस्यतापूर्ण वार्ता हुई । पूनम जी ने यह ख़बर दी कि ''एक स्त्री ने एक बच्ची के साथ रेलगाड़ी से कटकर जान दे दी...परन्तु यह अंत तक मालूम न हो सका कि इनमें से शबाना-नसीम कौन थीं, लेकिन मैं शबाना-नसीम के अलावा अन्यों के बारे में नहीं जानती थी, वरना उस समय कई कहानियां एक जैसी लिखी जातीं ।''

इसी कहानी (''शबाना का शव'') में वे बहुत क्षुब्ध-भाव से यह वास्तविकता बयान करती हैं कि ''न जाने दया अम्मा जैसी औरतों के भीतर कौन-सी ग्रंथि काम करती है, जिसके चलते एक औरत होकर भी वे औरत की दुश्मन हो जाती हैं ।'' अंतहीन उत्पीड़नों के बाद शव में तब्दील होना अर्थात दुखांत ही इस कथा का तानाबाना है ।

अब वह समय भी आ गया, जब लोकमंगल की विपुल भावना समेटे लोकार्पण-कार्यक्रम की शुरुआत हुई । एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अरविन्द कुमार सिंह ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि वंचित और उपेक्षित वर्ग की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है । चर्चित कथाकार पूनम तुषामड़ जी ने महिला-पात्रों

के ज़रिये इस दारुण दशा को बखूबी उभारा है । इसके लिए मैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देता हूं । वास्तव में 'मेले में लड़की' की स्तरीयता को देखते हुए एसोसिएशन ने अपने तत्वावधान में इसका लोकार्पण कराने का फ़ैसला किया । उन्होंने कहा कि साहित्य जगत में इस प्रकार की उपलब्धियों और कोशिशों का एसोसिएशन सदैव स्वागत, समादर, समर्थन और सहयोग करता रहेगा ।

स्वतंत्र पत्रकार, स्तंभकार अवधेश कुमार जी ने 'मेले में लड़की' के विविध पक्षों को रेखांकित करते हुए कहा कि हिन्दी कथा-साहित्य में चल रहा दलित-चेतना का दौर यक़ीनन स्वागतयोग्य है । इस कथा-संग्रह में शामिल सभी दसों कहानियां इतनी स्तरीय और वास्तविकताबोधक हैं कि 'दस नम्बरी' फ़िल्म के इस गीत की याद दिला देती हैं– कहत कबीर सुनो भाई साधो, बात कहूं मैं खरी कि दुनिया एक नम्बरी तो मैं दस नम्बरी ।

अखिल भारतीय अनुसूचित जाति, जनजाति संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ॰ उदित राज ने पूनम जी को इस कृति के लिए धन्यवाद और बधाई देते हुए कहा कि इस संग्रह ने साहित्य-जगत की एक बड़ी ज़रूरत पूरी की है । उन्होंने कहा कि मैंने 'मेले में लड़की' की सभी दसों कहानियां पढ़ी हैं । सभी एक से बढ़कर एक हैं । कहानियों में जो दु:ख-दर्द बयान हुआ है, वह नारी-जीवन की कटु सच्चाई है । उन्होंने सुझाव दिया कि कहानियों में समस्या का समाधान भी कुछ पंक्तियों में किसी पात्र या किसी टिप्पणी के माध्यम से होता, तो बहुत बेहतर होता । उन्होंने दलितों और अल्पसंख्यकों के विरुद्ध चल रहे साज़िशी अभियान से भी आगाह किया ।

गंभीर अध्येता, कहानीकार अनीता भारती जी ने सामाजिक असामनता, अन्याय और विसंगतियों के दंश झेलती दलित-महिलाओं की व्यथा को चित्रित किया । उन्होंने कहा कि पूनम जी ने सारी महिलाओं के दु:ख-दर्द को समान व अखंड मानकर जो लेखन किया है, वह निश्चय ही सराहनीय-प्रशंसनीय है, लेकिन यह भी सच है कि दलित महिला की व्यथा का कोई सानी नहीं है, इसिलए समाज की सबसे निचली सीढ़ी पर खड़ी दलित-आदिवासी स्त्री ने समाज की वर्जनाओं, निषेधाज्ञाओं को लांघते हुए सुविधाभोगी व्यवस्था के आधार स्तम्भ पितृसत्ता, धर्म और जातीयता को हमेशा ही कड़ी टक्कर दी है ।

उल्लेखनीय है कि अनीता भारती जी का कहानी संग्रह 'एक थी कोटेवाली और अन्य कहानियां' बहुत मशहूर और मारूफ़ हुआ । इसमें दलित और महिला विमर्श से संबद्ध पन्द्रह कहानियां हैं, जिनमें सभ्य समाज की नैतिकताओं की आड़ में दलितों एवं महिलाओं के साथ हो रहे अमानवीय-क्रूर व्यवहारों को चित्रित किया गया है ।

प्रख्यात साहित्यकार हेमलता माहेश्वर जी ने लोकार्पण कार्यक्रम में महिलाओं से जुड़ी कुछ सामाजिक बेड़ियों और वेदनाओं का उल्लेख करते हुए 'मेले में लड़की' की लगभग सभी कहानियों पर समीक्षात्मक टिप्पणियां कीं और कुछ उपयोगी सुझाव भी दिये । उन्होंने प्रतीकों के चयन में सावधानी की भी बात कही ।

'मेले में लड़की' के रूप-रंग से परिचित कराया चर्चित कवयित्री-कथाकार पूनम तुषामड़ जी ने । उन्होंने कई कहानियों के लेखन की पृष्ठभूमि से भी लोक-मानस को अवगत कराया । अन्य वक्ताओं ने भी 'मेले में लड़की' के नख-शिख का अवलोकन किया ।

राइटर्स एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से मुझे धन्यवाद ज्ञापन का सुअवसर मिला । मैने सभी वक्ताओं का आभार-धन्यवाद व्यक्त किया । सम्यक प्रकाशन के शांति स्वरूप जी का भी विशेषकर शुक्रिया अदा किया, जिनके सक्रिय सहयोग से यह पुस्तक मंज़रेआम पर आयी है ।

'मेले में लड़की' की कहानियों को पढ़ने के बाद मुझे साफ़ तौर पर महसूस हुआ कि महिलाओं के परावलम्बी और पराश्रित जीवन के साथ इसकी हर कहानी शुरू होती है और जहां तक ग़रीबी का ताल्लुक़ है, इसे महिलाओं को पुरुष की अपेक्षा अधिक भोगनी पड़ती है । ऐसा सफल चित्रण हर किसी कथाकार के बस की बात नहीं, लेकिन पूनम जी इसे बखूबी निभाया है । यह बात अलग है कि यथार्थबोध के लिए वे कहीं-कहीं विक्षोभ, आक्रोश और आगे बढ़कर विस्फोटक शब्दावली का प्रयोग करती हैं, कहीं नश्तर, तो कभी आलपिन चुभोने की कोशिश करती हैं और बहुत-बहुत बार मिठास-पगी शैली में हौले-हौले हमें महिलाओं की दारुण-दशा पर सोचने-समझने की सकारात्मक दिशा देती हैं । सभी कहानियों में ग़रीबी और मजबूरी की अवस्था में आत्मसम्मान के प्रति जो प्रतिबद्धता है, वह इन कहानियों की बड़ी उपलब्धि है । निश्चय ही ये कहानियां गंभीर सामाजिक समस्याओं को मंथन-चिन्तन के लिए आगे बढ़ती हैं ।

नया प्रिज़न एक्ट

ठंडे बस्ते में क़ैद

■ विद्या प्रकाश

उ०प्र० में लगभग साढ़े चार साल पहले शासन को सुपुर्द किये गये नये प्रिज़न एक्ट (Prison Act) के संबंध में अभी तक कोई स्पष्ट रिर्ण नहीं लिया जा सका है । कारागार में विभिन्न आरोपों में क़ैद बन्दियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से शासन को कारागार विभाग की तरफ़ से भेजा गया नवीन प्रिज़न एक्ट सरकारी फाइलों के अम्बार में दफ़्न होकर रह गया है ।

बन्दियों को नियंत्रित करने के मक़सद से बनाये गये ब्रिटिशकालीन एक्ट की वजह से वर्तमान परिवर्तित परिस्थितियों में विभागीय अधिकारियों को व्यावहारिक स्तर पर अनेकानेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । इस स्थिति में कारागार मुख्यालय ने स्वीकृति के लिए नये प्रिज़न एक्ट को सरकार के सुपुर्द किया था । मगर साढ़े चार साल का वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद शासन स्तर पर अभी तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं हो पाया है । इस नवीन एक्ट को लेकर कारागार विभाग के अधिकारियों में खलबली मची हुई है ।

कारागारों का संचालन प्रिज़न एक्ट के अंतर्गत होता है तथा इससे ही जेल संबंधी प्रावधानों का क्रियान्वयन किया जाता है । हमारे देश में प्रचलित वर्तमान प्रिज़न एक्ट 22 मार्च सन 1894 को बनाया गया था जो वर्ष 1912 के एक जुलाई को प्रभावी किया गया है । इसके अतिरिक्त कारागार में क़ैद बन्दियों की देख-रेख तथा न्यायिक हिरासत के दौरान उन्हें सरकारी तौर पर उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं के उद्देश्य से 2 फ़रवरी सन 1900 को प्रिज़नर्स एक्ट का विधान किया गया था । वर्ष 1938 में प्रिज़नर्स रिलीज़ ऑन प्रोबेशन एक्ट में क़ैदियों की रिहाई आदि के संचालन तथा व्यवस्था के संबंध में नियम और क़ानून निर्मित किये गये थे । लगभग एक शताब्दी अथवा उससे अधिक पुराने होने के कारण ये एक्ट व्यावहारिक दृष्टि से वर्तमान समय में पूरी तरह उपयोगी साबित नहीं हो पा रहा है और न समय के साथ चल पा रहा है ।

सूत्रों के अनुसार कारागारों के संचालन से लेकर बन्दियों की देख-रेख, न्यायालयों में मुक़दमे की तारीख़ पेशी पर प्रत्यक्षीकरण तथा रिहाई वग़ैरह के मक़सद से बनाये गये इन तीनों एक्टों को मिलाकर विभागाधिकारियों के एक दल ने नया प्रिज़न एक्ट तैयार किया । क़रीब साढ़े चार साल पहले तत्कालीन महानिरीक्षक कारागार सुलखान सिंह की अगुआई ममें इस नये प्रिज़न एक्ट को कारागार में क़ैद बन्दियों की वर्तमान आवश्यकताओं तथा कारागार संचालन में उत्पन्न होने वाली दिक़्क़तों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है । 37 पृष्ठों के इस नवीन प्रिज़न एक्ट में निष्प्रभावी हो चुके क़ानूनों को अलग कर वर्तमान परिस्थितियों की आवश्यकतानुसार क़ानून में किया गया है । इस प्रिज़न एक्ट को महानिरीक्षक कारागार ने शासन के सुपुर्द कर दिया था । जानकारी के अनुसार प्रमुख सचिव गृह को सुपुर्द किये गये प्रिज़न एक्ट की पड़ताल के पश्चात इसे न्यायिक अधिकारियों के पास प्रेषित किया जाएगा ।

न्यायाधिकारियों की पड़ताल के बाद यदि इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता महसूस की गयी तो इसे पुनर्विचार के लिए विभाग को वापस कर दिया जाएगा । अन्यथा इस नये प्रिज़न एक्ट को स्वीकृति हेतु मंत्रिमंडल के पास भेज दिया जाएगा । मंत्रिमंडल से स्वीकृति मिलने के पश्चात इस एक्ट को विधानसभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा । इस विभिन्न स्तरीय प्रक्रिया की औपचारिकता को पूरा करने के उपरांत नये प्रिज़न एक्ट को प्रदेश के राज्यपाल के समक्ष लागू करने के लिए भेजा जाएगा ।

सूत्रों के अनुसार इस प्रक्रिया से गुज़रने के बजाय यह नया एक्ट फाइलों में क़ैद होकर तथा दबकर रह गया है ।

यदि यह समय पर लागू हो गया होता तो इससे कारागार प्रशासन में सुधार हुआ होता । देश की स्वतंत्रता के बाद से अब तक दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल तथा केरल में कारागार संबंधी क़ानून में वर्तमान परिस्थितियों तथा आवश्यकता के अनुसार यथोचित संशोधन किया जा चुका है । मगर उत्तर प्रदेश में अभी तक वर्ष 1894 से चले आ रहे सौ साल से भी पुराने प्रिज़न एक्ट से कारागार संचालन तथा क़ैदियों की आमद व रिहाई से संबंधित व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है । किसे इतनी रुचि तथा अवकाश है जो ठंडे बस्ते से निकालकर अमल की दिशा में पहलक़दमी और रुख़ करे ।

कोयल

परभृत, वसन्तदत्त, पिक, कोकिल के हैं नाम ।
वनप्रिय भी इसे कहें, काकलीक उपनाम ।।
कहीं कोयली जन कहें, कहीं कोइरी नाम ।
कू-कू करके कूकना, बस बसन्त में काम ।।
रोहित गीतों में हुआ, कोयल का गुणगान ।
उसकी मीठी कूक को, सब लेते पहचान ।।
नहीं बनाती नीड़ है, कोयल है चालाक ।
अपने अंडे छोड़ती, मीत घोंसले काक ।।
होता काला रंग है, नर कोयल का ख़ास ।
नर-मादा रोहित रहें, देख आस ही पास ।।
आता सावन मीत जब, चढ़े घटा घनघोर ।
नर कोयल है कूकता, कहीं कूकता मोर ।।
छोटे फल 'औ' कीट ही, बनते कोयल ग्रास ।
पेड़ों के झुरमुट बने, रोहित इनका वास ।।
सर्दी में सुनती नहीं, मितवा कोयल कूक ।
यह बसन्त में कूकता, करे न इसमें चूक ।।
मीठी बोली से हुआ, कोयल का सत्कार ।
कड़वी बोली काक की, देते सब दुत्कार ।।
बेशक काला रंग है, पर है मीठी कूक ।
कोयल सम मानव बने, गुस्सा दे वह थूक ।।

● रोहित यादव

मां की दुआएं

मुक्तक

जब-जब सिर के ऊपर दुख का बादल गहराया
बिजली कड़की तूफ़ानों ने भय को भरमाया
जब-जब कोई धूप समय की झुलसाये तन-मन
तब-तब मां का शीतल आंचल मस्तक पर छाया
छांव चाहिए तो द्वारे के पीपल को मरने मत देना

घर के आंगन से पुरखों के चिन्ह कभी मिटने मत देना
बड़ा कठिन जीवन का पथ है जलते रेगिस्तान मिलेंगे
सिर से मां की आशीषों का हाथ कभी हटने मत देना
अधर पर गीत हों तो ये हवाएं गुनगुनाएंगी
अगर दिग्मूढ़ हो जाओ तो बचपन याद कर लेना

तुम्हें मां की दुआएं फिर तुम्हारा पथ दिखाएंगी
मैं रोया तो मां की आंखों में जल पाया है
दर्दों को अपने अन्तर से ओझल पाया है
जीवन-रण में लड़ते-लड़ते जब-जब टूटा हूं
सिर पर मां की आशीषों का आंचल पाया है ।

डॉ० रामसनेही लाल शर्मा 'यायावर'
86, तिलकनगर, बाईपास,
फ़ीरोज़ाबाद-283203

इस्लामी पुस्तकें

क्या कुरआन ईश्वरीय ग्रन्थ है?	(डॉ. ज़ाकिर नाइक)	₹40
मांसाहार उचित या अनुचित	(डॉ. ज़ाकिर नाइक)	₹45
इस्लामी में महिलाओं के अधिकार	(डॉ. ज़ाकिर नाइक)	₹45
पवित्र क़ुरआन और आधुनिक विज्ञान	(डॉ. ज़ाकिर नाइक)	₹35

पुस्तक विक्रेता और दावती काम करनेवालों के लिए विशेष छूट

KHALID BOOK DEPOT
Head Office: Chander Ghata, Maqbara, Kota - 6 (Raj.)
Ph.: 0744-2381650, 08233318955 E-mail: mkkhan123456@gmail.com
Branch Office: JAMAL BOOK DEPOT
25/B-1 (Basement) Rehman Complex, Batla House Chowk,
Jamia Nagar, N.Delhi-25 | Ph.: 9990507638

मुद्रक एवं प्रकाशक ख़लील अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि०), D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट, गली क़ासिम जान, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से मुद्रित ।
फोन: 09818799223, 011-26949430
संपादक : डॉ० मुहम्मद अहमद

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है ।

ایک بوڑھے کی سرگزشت

EK-BURHAI-KI-SARGUZISHT

(ENAYAT KHAN FOUNDER OF THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE)

(عنایت خانؒ بانیِ یتیم خانہ اسلامیہ گیا کی تحریروں سے ماخوذ ایک مختصر تاریخی دستاویز
اور بانیِ یتیم خانہ اسلامیہ گیا کی کہانی ان کی زبانی وخطوط، پمفلٹ اور سالانہ رپورٹ
پر مبنی اکتوبر ۱۹۱۷ء سے ۳۰ ستمبر ۱۹۷۰ء تک کی داستان جدّ وجہد)



ترتیب و پیشکش

ڈاکٹر اقبال احمد خاں

شائع کردہ

مکتبہ عنایت گیا

مسلم لڑکیوں کا یتیم خانہ، گیا

واقع کلونا، ڈاکخانہ چرکی، ضلع گیا-824237 (بہار) الہند

Posted on 20-21 April 2013
May 2013
E-mail: kantimonthly@hotmail.com
Publishing Date: 18.4.2013

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका
कान्ति

RNI 53372/91
DL(S)-01/3147/2012-2014
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U (SE)-73/2012-14

AL-KABIR POLYTECHNIC

A Muslim Minority Vnaided Institution
Recognised by SBTE, Govt. of Jharkhand
& Approved by AICTE Govt. of India

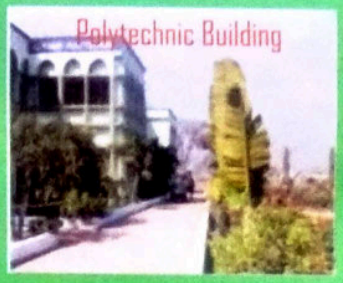

The institute in its academic program imparts three year diploma courses in engineering in following branches.

- Civil Engg.
- Electrical Engg.
- Mechanical Engg.
- Automobile Engg.
- Computer Science & Engg.



Laboratories and workshop

★ ★ ★

Kabir Nagar, P.O. Kopali, Via-Mango,
Jamshedpur-831012, Jharkhand
Tel. : 06591-260092, Tele Fax : 06591-260414
E-mail : principal_akpjsr@rediffmail.com
Website : www.al-kabirjsr.com